(A Government of India Enterprise)

You focus on exports. We cover the risks.

प्रस्ताव हेतु अनुरोध (आर एफ पी)

ईसीजीसी लिमिटेड में भारतीय लेखा मानक (इंड एएस)

के कार्यान्वयन के लिए परामर्शदाता की नियुक्ति हेतु

संदर्भ : ईसीजीसी/निविदा/आर एफ पी–1/वित्त–लेखा/इंड एएस 2024-2025

दिनांक : 15.04.2024

विवरणी

विषयसूची

अनुभाग 1 ----------5

1. परिचय----------5

1.1. बोलीकर्ताओं को निमंत्रण ----------5

1.2. घटनाओं की अनुसूची ----------6

अनुभाग 2----------7

2. अस्वीकरण ----------7

अनुभाग -3----------10

3. बोलीकर्ताओं के लिए निर्देश ----------10

3.1. सामान्य अनुदेश ----------10

3.2. बोली की लागत:----------15

3.3. वैधता अवधि:---------- 15

3.4. कार्यक्षेत्र ----------16

3.5 व्यावसायिक कर्मचारी----------24

3.6. बोली दस्तावेज----------25

3.6.1 बोली का गठन करने वाले दस्तावेज़:---------- 25

3.6.2 बोली-पूर्व बैठक:---------- 25

3.7. बोलियों की तैयारी---------- 26

3.7.1 बोली की भाषा----------26

3.7.2 बोली में शामिल दस्तावेज़ ----------26

3.7.3 मूल्य/वाणिज्यिक बोली---------- 26

3.7.4 बोली प्रपत्र ---------- 27

3.7.5 बोली मूल्य----------27

3.7.6 बोलीदाता की पात्रता एवं योग्यता स्थापित करने वाले दस्तावेजी साक्ष्य----------27

3.7.7 बोली का प्रारूप एवं हस्ताक्षर----------28

3.8. बोलियां जमा करना ----------29

3.8.1 बोलियों की सीलिंग एवं अंकन ----------29

3.9. बोलियां जमा करने की अंतिम तिथि ----------30

3.10. विलंब बोली:----------30

3.11. बोलियों में संशोधन एवं वापसी ----------30

3.12. बोलियों को खोलना एवं मूल्यांकन----------31

3.12.1 कंपनी द्वारा बोलियां खोलना ----------31

3.12.2 प्रारंभिक मूल्यांकन ----------31

3.12.3 बोलियों का मूल्यांकन ----------32

3.12.4 मूल्य बोलियों का मूल्यांकन एवं अंतिम रूप देना: अंतिम चयन सी क्यू सी सी बी एस मूल्यांकन प्रक्रिया पर आधारित होगा जिसका वर्णन निम्नानुसार है :----------33

3.12.5 कंपनी से संपर्क करना ----------35

3.12.6 पुरस्कार मानदंड----------36

3.12.7 कंपनी का किसी भी बोली को स्वीकार करने एवं किसी या सभी बोलियों को अस्वीकार करने का अधिकार: ----------36

3.12.8 निष्पादन बैंक गारंटी ----------37

3.12.9 बयाना राशि जमा: ----------38

3.13. गोपनीयता प्रावधान ----------38

3.14. हानिरहित ----------38

3.15. त्रुटियों हेतु दायित्व ----------39

3.16. शर्तों की स्वीकृति ----------39

अनुभाग 4 ----------40

4.1 अनुबंध की निबंधन एवं शर्तें (टीसीसी) ----------40

अनुभाग – 5 ----------41

अनुलग्नक - 1: पात्रता मानदंड और विशिष्टताएँ ----------42

अनुलग्नक - 2: अभिस्वीकृति ----------59

अनुलग्नक - 3: मूल्य/वाणिज्यिक बोली प्रारूप ----------62

अनुलग्नक - 4: निष्पादन हेतु बैंक गारंटी प्रारूप ----------64

अनुलग्नक - 5: प्रश्न प्रारूप----------68

अनुलग्नक - 6: प्राधिकार पत्र का प्रारूप ----------69

परिशिष्ट - 7: सत्यनिष्ठा संहिता ----------70

अनुलग्नक - 8: सेवा अनुबंध मसौदा----------71

अनुभाग 1

1. प्रस्तावना

1.1. बोलीकर्ताओं को आमंत्रण

इस प्रस्ताव के लिए अनुरोध ('आरएफपी') दस्तावेज़ के माध्यम से (इसके बाद इसे 'बोली दस्तावेज़' या 'आरएफपी दस्तावेज़' के रूप से जाना जाएगा) **ईसीजीसी लिमिटेड** (इसके बाद इसे 'ईसीजीसी/कंपनी' के रूप से जाना जाएगा), कंपनी भारत सरकार की एक पूर्ण स्वामित्व वाली एवं 1957 में स्थापित कंपनी द्वारा, आवेदकों (इसके पश्चात **बोलीकर्ताओं** के रूप से जाना जाएगा) से "**भारतीय लेखांकन मानकों (इंड एएस) के कार्यान्वयन के लिए परामर्शदाता की नियुक्ति हेतु प्रस्ताव के लिए अनुरोध (आर एफ पी)**" आमंत्रित की जाती हैं।

सहायक दस्तावेजों के साथ "तकनीकी एवं मूल्य/वाणिज्यिक बोलियां" केवल भौतिक रूप में प्राप्त की जाएंगी।

बोलीकर्ताओं को सूचित किया जाता है कि वे आरएफपी दस्तावेज़ का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें। आरएफपी दस्तावेज़ के सावधानीपूर्वक अध्ययन एवं परीक्षण के उपरांत , इसके निहितार्थों को पूर्ण रूप से समझते हुए बोलीकर्ता के विवेक पर बोलियों को स्वेच्छा से जमा किया जाना होगा।

बोली दस्तावेज़ कंपनी की वेबसाइट https://www.ecgc.in से डाउनलोड किया जा सकता है। कृपया ध्यान दें कि आरएफपी दस्तावेज़ में मांगी गई सभी आवश्यक जानकारी बोलीकर्ताओं द्वारा उपलब्ध की जानी होगी। अधूरी जानकारी के कारण बोली अस्वीकृत की जा सकती है। कंपनी उसके वेब साइट पर प्रदर्शित इस आरएफपी दस्तावेज़ में उल्लिखित तारीखों को बदलने का अधिकार सुरक्षित रखती है। इस आरएफपी दस्तावेज़ के जवाब में बोलीकर्ताओं द्वारा प्रदान की गई जानकारी ईसीजीसी की संपत्ति बन जाएगी एवं उसे वापस नहीं किया जाएगा।

ईसीजीसी इस आरएफपी दस्तावेज़ एवं इसके पश्चात किए जाने वाले सभी संशोधनों, यदि कोई हो, को संशोधित करने, रद्द करने अथवा पुनः जारी करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। संशोधन अथवा परिवर्तन केवल ईसीजीसी की वेबसाइट पर प्रदर्शित किए जाएंगे।

1.2. कालक्रम

बोली दस्तावेज़ उपलब्धता	बोली दस्तावेज़ 06.05.2024 तक वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है।
बोलीकर्ताओं द्वारा एक्सेल प्रारूप में प्रश्न प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख।	23.04.2024 को सायं 04:00 बजे
प्राप्त प्रश्नों के आधार पर यदि कंपनी आवश्यक समझे तो बोली-पूर्व बैठक। सहायक सामग्रियों के साथ प्रश्नों के उत्तर केवल इच्छुक बोलीकर्ताओं के लिए प्रकाशित किए जाएंगे।	22.04.2024 को प्रातः 10:00 बजे
बोलियां जमा करने की अंतिम तिथि।	06.05.2024 को अपराह्न 3:00 बजे
सीलबंद बोलियों को खोलना।	बोलियां ईसीजीसी के आंतरिक रूप से निर्धारित दिशानिर्देशों एवं लेखा परीक्षा प्रक्रिया के अनुसार खोली जाएंगी।
योग्यता सह पात्रता बोलियाँ खोलना।	13.05.2024 को अपराह्न 3:00 बजे
तकनीकी बोलियाँ खोलना।	पात्रता बोली को अर्हता प्राप्त करने वाले बोलीदाता को सूचित किया जाएगा।
बोलीकर्ता द्वारा समाधान की प्रस्तुति।	तारीख एवं समय की सूचना बाद में दी जाएगी।
मूल्य/वाणिज्यिक बोलियां खोलना।	तकनीकी बोलियाँ खुलने के पंद्रह दिनों के भीतर। तारीख की सूचना आहर्ता प्राप्त तकनीकी बोलीकर्ताओं को दी जाएगी।
सम्पर्क करने का विवरण: सहायक महाप्रबंधक (वित्त व लेखा): 022- 66590738 वरिष्ठ प्रबंधक (वित्त व लेखा): 022- 66590779	
संचार एवं बोली जमा करने का पता।	सहायक महाप्रबंधक (एफ एंड ए) ईसीजीसी लिमिटेड ईसीजीसी भवन, सीटीएस नंबर 393, 393/1-45, म.वि. सड़क, अंधेरी (पूर्व), मुंबई - 400069
इस आरएफपी दस्तावेज़ से संबंधित सभी पत्राचार/प्रश्न केवल निम्नलिखित ईमेल आईडी पर/के माध्यम से भेजे जाने चाहिए	cat.accounts@ecgc.in

नोट : समय सीमा में संशोधन ईसीजीसी लिमिटेड के विवेक के अधीन होगा।

अनुभाग 2

2. अस्वीकारण

2.1 प्रदान की गयी जानकारी की प्रकृति

इस आरएफपी दस्तावेज़/बोली में निहित जानकारी अथवा बोलीकर्ताओं अथवा आवेदकों को मौखिक रूप से अथवा दस्तावेजी रूप में ईसीजीसी द्वारा अथवा उसकी ओर से प्रदान की गई जानकारी इस आरएफपी दस्तावेज़ में निर्धारित निबंधनों एवं शर्तों पर एवं अन्य सभी निबंधनों एवं शर्तों अधीन बोलीकर्ताओं को प्रदान की जाएगी। यह आरएफपी दस्तावेज़ न तो कोई समझौता है और न ही कोई प्रस्ताव तथा यह कंपनी द्वारा बोली जमा करने के लिए इच्छुक पार्टियों को निमंत्रण मात्र है। इस आर पी एफ दस्तावेज़ में न तो ईसीजीसी , न ही इसका कोई निदेशक, अधिकारी, कर्मचारी, एजेंट, प्रतिनिधि, अनुबंधकर्ता अथवा सलाहकार द्वारा किसी लेखन, सूचना अथवा बयान की सटीकता, अद्यतन अथवा पूर्णता के विषय में व्यक्त अथवा निहित कोई प्रतिनिधित्व अथवा वारंटी (चाहे मौखिक अथवा लिखित) नहीं दिया गया है।

आरएफपी प्रक्रिया से तब तक कोई संविदात्मक दायित्व उत्पन्न नहीं होगा जब तक कि चयनित बोलीकर्ता के साथ ईसीजीसी के विधिवत अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा औपचारिक अनुबंध / सेवा समझौते पर हस्ताक्षर एवं निष्पादन नहीं किए जाते।

यह आरएफपी दस्तावेज़ पूरी तरह से उस पार्टी के सूचना उद्देश्य के लिए है जिसके लिए इसे जारी किया गया है अर्थात बोलीकर्ता के लिए , एवं किसी अन्य व्यक्ति/कंपनी/संगठन के लिए नहीं तथा इससे ईसीजीसी पर कोई कानूनी दायित्व निर्मित नहीं होगा।

2.2 ईसीजीसी का कोई दायित्व नहीं

ईसीजीसी एवं इसके निदेशक, अधिकारी, कर्मचारी, अनुबंधकरता , प्रतिनिधि, एजेंट एवं सलाहकार इस आरएफपी दस्तावेज़ की सटीकता, विश्वसनीयता अथवा पूर्णता के संबंध में कोई प्रतिनिधित्व या वारंटी नहीं देते हैं। वे , इस आरएफपी दस्तावेज़ अथवा सहायक आचरण संहिता में निहित पूर्वानुमानों, बयानों, अनुमानों सहित किसी भी अनुमान अथवा जानकारी (चाहे मौखिक अथवा लिखित तथा व्यक्त अथवा निहित) सहित किसी भी

कारण कार्य करने वाले अथवा कार्य करने से परहेज करने वाले किसी भी व्यक्ति को, ईसीजीसी अथवा उसके किसी निदेशक, अधिकारी, कर्मचारी ठेकेदार, प्रतिनिधि, एजेंट, अथवा सलाहकारों की ओर से किसी अज्ञानता, लापरवाही, असावधानी, आकस्मिकता, उपेक्षा, चूक, देखभाल की कमी, अपरिपक्व जानकारी, मिथ्याकरण अथवा गलत बयानी के कारण हुई किसी भी क्षति से उत्पन्न किसी भी हानि, दावे, व्यय (जिसमें बिना किसी सीमा के, कोई कानूनी शुल्क, लागत, प्रभार, मांग, कार्रवाई, देनदारियां, व्यय अथवा संवितरण अथवा उससे संबंधित) अथवा क्षति, (चाहे पूर्वानुमान योग्य हो अथवा नहीं) (" हानियों ") से संबन्धित सभी प्रकार के दायित्वों को अस्वीकार करते हैं।

इस आरएफपी दस्तावेज़ में शामिल जानकारी चयनात्मक है एवं ईसीजीसी अपने पूर्ण विवेक से, लेकिन ऐसा करने के लिए किसी भी प्रकार की बाध्यता के बिना , इस आरएफपी दस्तावेज़ में उल्लिखित जानकारी को अद्यतित , संशोधित, उससे संबन्धित पूरक व्यवस्था को वापस ले सकता है।

ईसीजीसी के पास बिना कोई कारण बताए किसी भी स्तर पर इस दस्तावेज़ के उत्तर में प्राप्त किसी भी अथवा सभी बोलियों को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है। इस संबंध में ईसीजीसी का निर्णय अंतिम, निर्णायक एवं सभी पक्षों पर बाध्यकारी होगा। इस दस्तावेज़ के प्रत्युत्तर में बोलीदाता द्वारा प्रदान की गई जानकारी ईसीजीसी की संपत्ति बन जाएगी एवं उसे वापस नहीं लौटाया जाएगा।

2.3 बोलीकर्ताओं की स्वयं सूचना की बाध्यता

इस आरएफपी दस्तावेज़ का उद्देश्य बोलीकर्ताओं को उनकी बोलियां तैयार करने में सहायता के लिए जानकारी प्रदान करना है।

यह आरएफपी दस्तावेज़ प्रत्येक बोलीकर्ता के लिए आवश्यक हर प्रकार की जानकारी शामिल करने का दावा नहीं करता है। प्रत्येक बोलीकर्ता द्वारा अपनी स्वतंत्र जांच, विश्लेषण किया जाना आवश्यक है एवं इस आरएफपी दस्तावेज़ में जानकारी की सटीकता, विश्वसनीयता तथा पूर्णता एवं उस जानकारी के अर्थ तथा प्रभाव के संबंध में खुद को संतुष्ट करना होगा एवं जहां भी आवश्यक हो, उसे स्वतंत्र सलाह प्राप्त करना होगा।

2.4 ईसीजीसी पर कोई बाध्यकारी बाध्यता नहीं

कंपनी द्वारा उसके पूर्ण विवेक से, परंतु ऐसे करने हेतु किसी भी प्रकार की बाध्यता के बिना, जानकारी को अद्यतन, संशोधित, एवं उसके लिए पूरक व्यवस्था की जा सकती है अथवा उसके द्वारा किसी भी स्तर पर इस आरएफपी दस्तावेज़ को वापस लिया जा सकता है। ईसीजीसी के पास इस आरएफपी दस्तावेज़ के उत्तर में प्राप्त किसी भी अथवा सभी बोलियों/प्रस्तावों को बिना कोई कारण बताए किसी भी स्तर पर अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है। इस संबंध में ईसीजीसी का निर्णय अंतिम, निर्णायक एवं सभी पक्षों पर बाध्यकारी होगा। इस निविदा दस्तावेज़ के उत्तर में बोलीकर्ता द्वारा प्रदान की गई जानकारी ईसीजीसी की संपत्ति बन जाएगी एवं वापस नहीं की जाएगी। चयनित बोलीकर्ता के साथ कंपनी के विधिवत अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा औपचारिक अनुबंध पर हस्ताक्षर एवं निष्पादन होने तक आरएफपी प्रक्रिया से किसी भी प्रकार की संविदात्मक बाध्यता उत्पन्न नहीं होगी।

2.5 त्रुटियाँ एवं चूक

प्रत्येक बोलीकर्ता के लिए आवश्यक है कि 10 जनवरी, 2024 अथवा उससे पहले (पूर्व बोली बैठक की तारीख) तक अथवा उससे पूर्व शाम 05:00 बजे तक इस आरएफपी दस्तावेज़ में पाई गई किसी भी त्रुटि, गलती, चूक अथवा विसंगति के विषय में उसके द्वारा ईसीजीसी को सूचना दी जाये।

अनुभाग 3

3. बोलीकर्ताओं के लिए निर्देश

3.1. सामान्य निर्देश

3.1.1 बोली लगाने से पूर्व बोलीकर्ताओं से अनुरोध है कि वे ईसीजीसी की वेबसाइट https://www.ecgc.in पर जाएं एवं **अनुलग्नक-8** के अधीन प्रदान किए गए आरएफपी दस्तावेज़ एवं सेवा समझौते के मसौदे तथा अनुबंध के सामान्य नियमों और शर्तों की सावधानीपूर्वक जांच कर लें तथा यदि आरएफपी दस्तावेज़ एवं समझौते की किसी भी शर्त के बीच कोई अस्पष्टता अथवा विसंगति प्रतीत होती है, तो उन्हें स्पष्टीकरण के लिए तुरंत ईसीजीसी से संपर्क करें।

3.1.2 हालाँकि यह दस्तावेज़ सद्भाव से तैयार किया गया है, न तो ईसीजीसी व न ही इसका कोई कर्मचारी इस संबंध में कोई प्रतिनिधित्व करता है अथवा वारंटी देता है तथा आरएफपी की सटीकता, पर्याप्तता, शुद्धता, पूर्णता अथवा विश्वसनीयता तथा किसी भी मूल्यांकन, धारणा, बयान अथवा जानकारी सहित इस आर पी एफ का भाग बनाने वाले किसी भी तथ्य के कारण इस आर पी एफ में शामिल अथवा अन्यथा किसी भी कारण स्वरूप हुए व्यय अथवा उससे उत्पन्न किसी भी हानि, क्षति, लागत अथवा व्यय के लिए किसी भी कानून, नियमों अथवा विनियमों के अधीन किसी भी आवेदक अथवा बोलीकर्ता सहित किसी भी व्यक्ति के प्रति उनका किसी प्रकार का कोई दायित्व होगा।

3.1.3 बोलीकर्ता द्वारा बोली लगाने के उद्देश्य से, आरएफपी दस्तावेज़ से जुड़े फॉर्म को हर प्रकार से पूरा भरा जाना होगा, मूल्य उद्धृत किए जाने होंगे एवं उसमें मांगी गई जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे, एवं प्रत्येक प्रपत्र/दस्तावेज पर इस प्रयोजन के लिए दिए गए स्थान पर हस्ताक्षर करने होंगे तथा तारीख अंकित करनी होगी। बोलीकर्ता द्वारा बोली दस्तावेजों के प्रत्येक पृष्ठ पर अपना प्रारंभिक हस्ताक्षर करना होगा।

3.1.4 बोली पर बोलीकर्ता द्वारा विधिवत प्रमाणित किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षर किए जाने होंगे। किसी कॉरपोरेट निकाय के मामले में, बोली पर कॉरपोरेट निकाय द्वारा विधिवत अधिकृत अधिकारियों द्वारा हस्ताक्षर किए जाने होंगे तथा उसकी सामान्य मुहर विधिवत लगाई जानी होगी। संघीय व्यवस्था के मामले में, बोली पर संघीय व्यवस्था के प्रत्येक सदस्य द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किए जाने होंगे एवं बोली पर संघीय व्यवस्था के प्रत्येक सदस्य की सामान्य मुहरों का लगाया जाना अनिवार्य होगा।

3.1.5 बोली में बोली के संबंध में बोलीदाता को आवश्यक नोटिस देने के उद्देश्य से बोलीकर्ता का पता, दूरभाष सं / मोबाइल सं एवं ई-मेल आईडी, यदि कोई हो का उल्लेख आवश्यक है।

3.1.6 बोली प्रपत्र एवं उससे जुड़े दस्तावेज़ एक-दूसरे से अलग नहीं किए जाएं तथा उससे जुड़े किसी भी फॉर्म अथवा दस्तावेज़ में किसी प्रकार का संशोधन अथवा उससे छेड़छाड़ (सभी रिक्त स्थानों को भरने के अलावा) नहीं की जाय। संलग्न दस्तावेजों में प्रविष्टियों में किसी भी प्रकार का संशोधन अथवा परिवर्तन केवल एक अलग आवरण पत्र द्वारा ही किया जाए अन्यथा बोली प्रक्रिया के लिए इस पर विचार नहीं किया जाएगा।

3.1.7 बोलीकर्ता द्वारा , बोली प्रक्रिया में अपनी भागीदारी के बावजूद, दस्तावेजों के विवरण को विशेषाधिकार प्राप्त, गुप्त एवं गोपनीय माना जाये।

3.1.8 बोलियां दो भागों में प्रस्तुत किया जाना होगा अर्थात

(1) योग्यता/पात्रता बोली सह तकनीकी बोली एवं

(2) मूल्य/वाणिज्यिक बोली

(नोट: ईसीजीसी किसी भी बोली अथवा प्राप्त किसी अन्य बोली की न्यूनतम राशि को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है।)

3.1.9 बोलीकर्ता को **अनुलग्नक - 1** के अधीन निर्धारित फॉर्म के अनुसार पात्रता सह तकनीकी बोली जमा करनी होगी एवं इसे सभी सहायक दस्तावेजों के साथ एक सीलबंद लिफाफे में संलग्न किया जाए।

3.1.10 बोलीदाता को अनुलग्नक - 3 के अधीन निर्धारित फॉर्म के अनुसार मूल्य/वाणिज्यिक बोली जमा करनी होगी एवं उसे दूसरे अन्य सीलबंद लिफाफे में संलग्न किया जाए।

3.1.11 योग्यता/पात्रता सह तकनीकी बोली के साथ-साथ मूल्य/वाणिज्यिक बोलियों में सहायक दस्तावेज़ प्रस्तुत किए जाने होंगे।

3.1.12 काम के आंशिक दायरे के लिए प्रासंगिक दस्तावेजों अथवा बोलियों को अपूर्ण या आंशिक रूप से प्रस्तुति को अयोग्य माना जाएगा।

3.1.13 बोली दरों को निर्धारित प्रारूप में ही प्रस्तुत किया जाना होगा। गैर-अनुरूपता अथवा किसी अन्य प्रारूप में प्राप्त कोटेशन के परिणामस्वरूप बोली को अस्वीकार किए जाने की संभावना है।

3.1.14 बोलीदाता को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनकी बोली को इंगित करने के लिए किसी प्रकार की काँट छाँट अथवा अपठनीय अथवा अस्पष्ट आंकड़े न हों । इस प्रकार की सभी बोलियाँ केवल इसी आधार पर अयोग्य घोषित की जा सकती हैं। कंपनी का निर्णय अंतिम एवं बोलीकर्ता पर बाध्यकारी होगा। बोलीकर्ता को यह सुनिश्चित करना होगा कि बोली में किसी प्रकार की अस्पष्ट अथवा अप्राप्य लागत/राशि तो शामिल नहीं की गई है, जिससे बोली अयोग्य घोषित हो जाये।

3.1.15 प्रत्येक बोलीकर्ता द्वारा केवल एक बोली प्रस्तुत की जाये।

3.1.16 बोली प्रक्रिया के संदर्भ में किसी भी प्रश्न अथवा आवश्यकता विनिर्देशों/मुख्य मुद्दों में संशोधन पर विचार नहीं किया जाएगा, सिवाय इसके कि इस प्रकार के संशोधनों की सलाह कंपनी द्वारा दी गई हो अथवा अनुमोदित हो।

3.1.17 बोलीकर्ता को अनुबंध की पूरी अवधि के लिए आपस में सहमत लागत एवं निबंधनों व शर्तों पर कंपनी द्वारा वांछित संसाधन उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध होना होगा।

3.1.18 सभी दरों एवं कुल राशि को अंकों तथा शब्दों दोनों में दर्शाना होगा एवं यदि दोनों के बीच किसी प्रकार की विसंगति पायी जाये तो दोनों में से जो कम होगा वह मान्य होगा।

3.1.19 अनुलग्नकों में कोई भी प्रश्न अथवा मद खाली अथवा अनुत्तरित नहीं छोड़ा जाए। जहां आपके पास उपलब्ध करने के लिए किसी प्रकार का विवरण अथवा उत्तर न हो , वहां 'नहीं' अथवा 'शून्य' अथवा 'लागू नहीं' उल्लिखित किया जाए। खाली कॉलम वाले अथवा अहस्ताक्षरित फॉर्म अस्वीकार कर दिये जाएँगे।

3.1.20 आरएफपी की आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं होने वाली बोली पर ईसीजीसी द्वारा विचार नहीं किया जाएगा। हालाँकि, ईसीजीसी किसी भी समय आरएफपी की किसी भी आवश्यकता को माफ करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

3.1.21 बोलियां ईसीजीसी द्वारा निर्दिष्ट पते पर, बोली आमंत्रण में "कार्यक्रमों की अनुसूची" में निर्दिष्ट तिथि तक अथवा उससे पूर्व प्राप्त जानी चाहिए।

3.1.22 डाक विलंब अथवा छुट्टियों सहित किसी भी कारण से निर्दिष्ट तिथि के भीतर बोलियां प्राप्त न होने के लिए ईसीजीसी जिम्मेदार नहीं होगा।

3.1.23 ईसीजीसी, अपने विवेक पर, बोली दस्तावेज़ में निबंधनों एवं शर्तों में उचित संशोधन करके बोलियां जमा करने की समय सीमा बढ़ा सकता है, ऐसी स्थिति में, पहले से ही निर्धारित समय सीमा के अधीन ईसीजीसी एवं बोलीकर्ताओं के सभी अधिकार तथा दायित्व तत्पश्चात विस्तारित समय सीमा के अधीन होंगे। समयसीमा, की सूचना सभी इच्छुक बोलीकर्ताओं को ईसीजीसी की वेबसाइट पर भी दी जाएगी।

3.1.24 आरएफपी की प्रक्रिया के दौरान अथवा अनुबंध प्रदान करने के बाद भी जहां बोली की विषय वस्तु आंशिक रूप से अथवा पूरी तरह से गलत पाई जाये ऐसी स्थिति में ईसीजीसी के पास बोली जानकारी की वैधता को सत्यापित करने एवं किसी भी बोली को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है।

3.1.25 ईसीजीसी द्वारा निर्धारित तारीख एवं समय सीमा के बाद प्राप्त बोली पर कोई विचार नहीं किया जाएगा तथा बोलियां जमा करने के लिए समय सीमा में विस्तार की अनुमति नहीं दी जाएगी। हालाँकि, ईसीजीसी के पास उसके अपने विवेक से बोलियाँ जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय बढ़ाने का अधिकार सुरक्षित है।

3.1.26 बोलियों के संबंध में किसी भी रूप में प्रचार/भ्रामक जानकारी देना सख्त वर्जित है तथा इस प्रकार की गतिविधियों का सहारा लेने वाले बोलीकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत बोलियों को अस्वीकार कर दिया जाएगा।

3.1.27 ईसीजीसी के पास बोलियों के मूल्यांकन के दौरान किसी भी/सभी बोलिकर्ताओं से किसी भी प्रकार का स्पष्टीकरण मांगने का अधिकार सुरक्षित है। हालाँकि, बोलियों पर किसी अन्य पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा। आंशिक बोलियाँ स्वीकार नहीं की जाएंगी एवं उन्हें अस्वीकार कर दिया जाएगा। बोलिकर्ताओं को समग्र कार्य के लिए बोली लगानी होगी।

3.1.28 किसी भी मूल्य परिवर्तन/समायोजन, स्पष्टीकरण, सुधार या किसी अन्य वृद्धि पर विचार नहीं किया जाएगा। ईसीजीसी सबसे कम श्रेणी वाले उच्चतम उच्चतम श्रेणी वाले बोलीकर्ता की बोली अथवा प्राप्त किसी अन्य बोली को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है एवं उसके पास बिना कोई कारण बताए किसी भी बोली को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है।

3.1.29 बोली की सॉफ्ट कॉपी की प्रति हार्ड कॉपी के रूप में प्रस्तुत किया जाना होगा।

3.1.30 एक बार प्रस्तुत बोली को संशोधित नहीं किया जा सकता।

3.1.31 ईसीजीसी के पास प्रभावित बोलीकर्ता अथवा बोलीकर्ताओं के प्रति किसी प्रकार की दायित्व को ग्रहण किए बिना अनुबंध प्रदान करने के पूर्व बोली प्रक्रिया को रद्द करने किसी भी समय सभी बोलियों को

अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है। ईसीजीसी द्वारा लिए गए सभी निर्णय बाध्यकारी एवं अंतिम होंगे।

3.2. बोली लागत :

बोलीकर्ता को अपनी बोली तैयार करने एवं जमा करने से जुड़ी सभी लागतें वहन करनी होंगी एवं कंपनी किसी भी स्थिति में इन लागतों के लिए जिम्मेदार अथवा उत्तरदायी नहीं होगी, चाहे बोली प्रक्रिया का संचालन अथवा परिणाम कुछ भी हो।

बोलीकर्ता को अनुबंध की पूरी अवधि के लिए सहमत लागत, नियम एवं शर्तों पर ईसीजीसी द्वारा वांछित सेवाएं प्रदान करनी होंगी।

3.3. वैधता अवधि:

बोलियों की वैधता अवधि आरएफपी की समापन तिथि से 90 दिनों तक की होगी। बोली शर्तों के अनुसार बोलीकर्ताओं को 90 दिनों की मूल्य वैधता का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। उद्धृत कीमतें खरीद आदेश/अनुबंध की अवधि के दौरान स्थिर रहेंगी एवं तब तक स्थिर रहेंगी जब तक कि कंपनी अन्यथा सहमत न हो।

असाधारण परिस्थितियों में, कंपनी समान निबंधनों एवं शर्तों पर बोली की वैधता की अवधि में विस्तार करने के लिए बोलीकर्ता की सहमति का अनुरोध कर सकती है। अनुरोध एवं उस पर प्रतिक्रियाएँ लिखित रूप में की जाएंगी। इस बिंदु पर, कोई भी बोलीकर्ता भविष्य के किसी भी आरएफपी से अपवर्जन अथवा किसी प्रतिबंध से बाहर किए जाने के जोखिम के भय के बिना अनुरोध को अस्वीकार कर सकता है।

यदि आवश्यक समझा जाए तो कंपनी बोली की वैधता अवधि के दौरान किसी भी समय नई कोटेशन मंगाने का अधिकार सुरक्षित रखती है।

3.4. कार्यक्षेत्र

3.4.1 ईसीजीसी एक मोनोलाइन बीमाकर्ता है, जो एकल व्यवसाय में कार्यरत है एवं इसकी आई आई ओ के रूप में गिफ्ट सिटी में एक शाखा भी है। कंपनी द्वारा वित्तीय विवरणों के लिए सुचारु इंड एस कार्यान्वयन हेतु परामर्शदाता सेवाओं का लाभ उठाकर भारतीय लेखा मानकों (इंड एस) को लागू करने के लिए स्वयं को तैयार किया जा रहा है।

वर्तमान लेखांकन प्रथाओं से भारतीय लेखा मानकों (इंड एएस) में सुचारु परिवर्तन के लिए डिलिवरेबल्स के संदर्भ में एंड-टू-एंड समाधान प्रदान करने हेतु परियोजना / असाइनमेंट के रूप में कार्यक्षेत्र होगा। कार्यक्षेत्र में निम्नलिखित शामिल हैं, परन्तु यहीं तक सीमित नहीं हैं:

1) समग्र रूप से कंपनी पर लागू इंड एएस एवं वर्तमान लेखा मानकों तथा इंड एएस के मध्य अंतर की पहचान करना:

क. वर्तमान लेखांकन मानकों एवं इंड एएस के मध्य लेखांकन तथा रिपोर्टिंग अंतर की पहचान करना।

ख. इंड एएस के अंतर्गत उपलब्ध छूटों की पहचान एवं चयन करना।

2) व्यवसायों के परिचालन/कार्यात्मक मॉड्यूल पर प्रभाव मूल्यांकन:

क. सभी परिचालन विभागों, वर्तमान प्रक्रियाओं एवं सू प्रौ सिस्टम, लेखांकन, बीमांकिक,निवेश तथा पुनर्बीमा आदि सहित व्यावसायिक आंकड़ों की रिपोर्टिंग पर संशोधनों के प्रभाव का आकलन करना, परंतु इन्हीं तक सीमित नहीं हैं।

ख. वर्तमान में मूल्य निर्धारण, मूल्यांकन, लेखांकन, निवेश, पुनर्बीमा, सू प्रौ एवं वैधानिक/नियामक रिपोर्टिंग सहित विभिन्न वर्तमान प्रक्रियाओं एवं एम आई एस (प्रबंधन सूचना प्रणाली) के लिए उपयोग में लाये जाने वाले सॉफ़्टवेयर में आवश्यक संशोधन।

ग. उपरोक्त प्रभाव मूल्यांकन एवं व्यवसाय के परिचालन/कार्यात्मक मॉड्यूल के परीक्षण के आधार पर विस्तृत कार्यान्वयन योजना।

3) इंड एएस के अनुसार तुलनात्मक अवधि एवं रिपोर्टिंग अवधि के लिए परिवर्तन लागू होने की तिथि से कम से कम दो वित्तीय वर्षों (तिमाही आधार पर) के लिए वित्तीय विवरण तैयार करना:

क. प्रारंभिक तुलन पत्र तैयार करने में सहायता।

ख. तुलनात्मक अवधियों एवं रिपोर्टिंग अवधि के बाद के लिए वित्तीय विवरण तैयार करने में सहायता।

ग. समय-समय पर अधिसूचित बीमाकर्ताओं द्वारा इंड एएस रोलआउट के एक भाग के रूप में आई आर डी ए आई द्वारा अपेक्षित अंतिम रिपोर्ट तैयार करना।

घ. एक पात्र सीए एवं गैर-जीवन बीमा में अनुभवी फ़ेलो बीमांकिक द्वारा प्रमाणित आउटपुट।

ङ. अधिकारियों के समक्ष वास्तविक रिपोर्टिंग के समय लागू नियामक दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए सभी प्रकार के परामर्श दी जानी चाहिए।

4) कंपनी के कर्मियों के साथ तकनीकी लेखांकन, बीमांकिक, बीमांकन, दावे एवं सू प्रौ कार्यशालाएं आयोजित करना; प्रशिक्षण सामग्री प्रदान करना एवं भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) की मूलभूत , नियामकों की आवश्यकताओं एवं वर्तमान प्रणालियों को नए मानकों में बदलने के संबंध में सामान्य प्रशिक्षण प्रदान करना। प्रशिक्षण,भारतीय लेखा मानक (इंड एएस) तथा / अथवा आई एफ आर एस, जहां भी लागू हो, की विषय वस्तुओं पर आधारित होना चाहिए। यदि कंपनी को आवश्यक प्रतीत हो, तो भारतीय लेखा मानक (इंड एएस) / आई एफ आर एस प्रमाणन के लिए भी प्रशिक्षण दिया जाए।

5) वैधानिक तथा अन्य लेखा परीक्षा के दौरान सहायता: यह स्पष्ट करने के लिए लेखा परीक्षकों के साथ चर्चा तथा प्रदर्शन (यदि आवश्यक हो) कि उद्योग लेखा मानक परिवर्तन से संबंधित किसी भी निर्णय पर कोई मतभेद तो नहीं है।

6) कार्यक्षेत्र में समय के साथ नियामक द्वारा जारी आवश्यकताएँ भी शामिल की जाएंगी।

असाइनमेंट के उद्देश्य में दिशानिर्देशों की संपूर्ण अवधारणा, सू प्रौ प्रणाली में इसके कार्यान्वयन में सहायता एवं इंड एएस आवश्यकताओं के अंतर्गत रिपोर्टिंग शामिल होगी। असाइनमेंट में शुरू से अंत तक जुड़े रहना एवं कार्यान्वयन शामिल होगा तथा निम्न उल्लिखित संदर्भ की शर्तें केवल उदाहरणात्मक हैं एवं ये संपूर्ण नहीं हैं। सलाहकार को वर्तमान प्रणाली पर गंभीरता से निगरानी करनी होगी एवं इंड एएस के अनुरूप वित्तीय विवरणों के अनुपालन तथा प्रस्तुति के लिए लेखांकन प्रणाली में किए जाने वाले आवश्यक संशोधनों का सुझाव/मार्गदर्शन करना होगा।

3.4.2 संदर्भ की शर्तें/ **डिलिवरेबल्स** निम्नानुसार हैं:

उपरोक्त उल्लिखित कार्यक्षेत्र के अलावा, निम्नलिखित कार्य, गतिविधियाँ एवं कार्य (संपूर्ण नहीं) सलाहकार द्वारा निष्पादित किए जाएंगे जिसमें बीमाकर्ता के प्रमुख टीम सदस्यों के साथ मुंबई में एक समर्पित परियोजना प्रबंधन कार्यालय (पी एम ओ) टीम का गठन भी शामिल होगा:

चरण 1 - भारतीय लेखा मानक (इंड एएस) के कार्यान्वयन का क्षेत्र

क. इंड एएस एवं /अथवा आई एफ आर एस की सामग्री के आधार पर सामान्य एवं साथ ही विशिष्ट तथा विस्तृत 25 से 30 प्रशिक्षण सत्र।

ख. व्यवसाय के प्रत्येक क्षेत्र एवं प्रत्येक प्रमुख उत्पाद श्रेणी के लिए अंतिम रिपोर्टिंग के लिए एक प्रोटोटाइप का विकास करना एवं वर्तमान प्रथाओं/सिद्धांतों के साथ उसका सामंजस्य बनाएं रखना।

ग. उवर्तमान लेखांकन ढांचे/मानकों एवं इंड एएस के मध्य अंतर का विश्लेषण करना तथा प्रमुख संख्याओं एवं अनुपातों पर इंड एएस के कार्यान्वयन के प्रभाव के बारे में लेखांकन निदान का आकलन करना।

घ. लाभ नियोजन, बजट, कराधान, पूंजी नियोजन एवं मूल्य निर्धारण, मूल्यांकन, पूंजी आवश्यकताओं, शोधनक्षमता (इस संबंध में वर्तमान एवं प्रस्तावित नियामक प्रावधानों के अनुसार), वित्तीय उपकरण जैसे प्रमुख लेखांकन क्षेत्र सहित व्यवसाय पर प्रत्येक इंड एएस कार्यान्वयन पर प्रभाव अध्ययन का संचालन करना एवं उपकरण, राजस्व मान्यता, संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण, पट्टे, कार्मिक लाभ, आस्थगित करों सहित कर प्रावधान, समेकन, प्रावधान इत्यादि रिपोर्टिंग प्रारूपों तथा प्रकटीकरणों के अलावा सभी संबंधित कार्यात्मक पक्षों की सहायता से उनके प्रभाव को अनुकूलित करने के लिए रणनीतियों का सुझाव देना।

ङ. इंड एएस के सुचारू कार्यान्वयन के लिए कंपनी के कार्यान्वयन एवं हार्डवेयर के अंतर्गत वर्तमान सॉफ्टवेयर/सिस्टम की अनुकूलता तथा अनुकूलनशीलता का अध्ययन एवं मूल्यांकन करना एवं यदि आवश्यक हो तो सॉफ्टवेयर के साथ-साथ हार्डवेयर दोनों के संदर्भ में आवश्यक परिवर्तनों की सिफारिश करना, सुविधा प्रदान करना तथा अंतिम रूप देना तथा यह भी सुनिश्चित करना कि संबन्धित सॉफ्टवेयर से उत्पन्न डेटा एवं रिपोर्ट इंड एएस की आवश्यकता को पूर्ण करते हैं।

च. वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए इंड एएस के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप प्रमुख लेखांकन, बीमांकिक, निवेश मुद्दों एवं किसी भी संभावित 'आश्चर्य' पर प्रकाश डालना तथा प्रथम बार कार्यान्वयन संबन्धित मामलों की पहचान करना।

छ. प्रत्येक विकल्प के लिए उच्च स्तरीय वित्तीय प्रभाव मूल्यांकन के साथ-साथ वैकल्पिक विकल्पों की रूपरेखा तैयार करने वाले मसौदा लेखांकन एवं बीमांकिक तकनीकी स्थिति दस्तावेज़ तैयार करने में सहायता करना। वैधानिक लेखा परीक्षकों को तकनीकी स्थिति कागजात एवं पॉलिसी विकल्प प्रस्तुत करने तथा उनकी समीक्षा करने में सहायता करना।

ज. विशेष रूप से परिचालन संबंधी मामलों, संसाधनों की आवश्यकताओं एवं "ईसीजीसी इंड एएस परियोजना" को अंतिम रूप प्रदान करने हेतु कार्य योजना की सिफारिश करना।

चरण 1 की डिलिवरेबल्स:

क. चरण 1 के अंत में एक व्यापक 'ईसीजीसी इंड एएस परियोजना रिपोर्ट' जमा करें, जिसमें अंतर विश्लेषण, मसौदा अकाउंटिंग एवं बीमांकिक तकनीकी स्थिति दस्तावेजों के निष्कर्षों पर प्रकाश डाला गया हो, जिसमें प्रभाव अध्ययन, सू प्रौ से संबंधित मामलों, परिचालन तथा संसाधन योजना मामलों के साथ वैकल्पिक विकल्पों, ईसीजीसी के खातों का समेकन (जैसा कि इंड एएस में परिभाषित है) एवं कार्यान्वयन / रोड मैप की दीर्घकालिक रणनीति की रूपरेखा प्रदान की गई है।

ख. लागू दिवालियापन विनियम आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए पूंजी की उप्लब्धता सहित वित्तीय स्थिति पर इंड एएस कार्यान्वयन के प्रभाव का आकलन करना।

ग. जैसा कि उपरोक्त कार्य क्षेत्र अनुभाग के बिंदु संख्या 3.4.1.(4) के अंतर्गत उल्लेखित है कि वर्तमान लेखा मानक एवं इंड एएस के मध्य अवलोकन, चुनौतियों एवं प्रमुख अंतरों के बारे में ईसीजीसी के अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान करना।

घ. नियामकों को स्वीकार्य प्रत्येक तिमाही के लिए पारस्परिक रूप से सहमत चयनित उत्पाद का उपयोग करके नियामक द्वारा निर्धारित प्रोफार्मा में वित्तीय विवरण तैयार करने में ईसीजीसी की सहायता करना। यदि कोई प्रश्न उठाया जाता है, तो परामर्शदाता को उसके अनुपालन में कंपनी की सहायता करनी चाहिए।

ङ. भारतीय लेखा मानकों के अंतर्गत प्रकटीकरण के उद्देश्य से प्रबंधन सूचना प्रणाली (एम आई एस) रिपोर्ट तैयार करने एवं प्रबंधन, आई आर डी ए आई, लेखा परीक्षा

समिति, बोर्ड तथा किसी अन्य नियामक प्राधिकरण को रिपोर्ट करने में सहायता करना।

च. सभी प्रकटीकरणों को बनाने वाले खातों पर किसी अन्य अनुशंसित टिप्पण सहित नए नियामक अनुपालन प्रोफार्मा में वित्तीय विवरण तैयार करने में ईसीजीसी की सहायता करना।

छ. यदि आई आर डी ए आई एवं अन्य नियामक निकायों द्वारा कोई प्रश्न उठाया जाता है, तो परामर्शदाता को उसके अनुपालन में कंपनी की सहायता करनी चाहिए।

ज. लेखांकन नीतियों एवं प्रणालियों में आवश्यक संशोधनों पर दृष्टिकोण पत्र तैयार करना।

झ. मूल्य निर्धारण, मूल्यांकन, पूंजी आवश्यकता, परिसंपत्ति देयता प्रबंधन, वैधानिक दिवालियापन रिपोर्टिंग (इस संबंध में वर्तमान एवं प्रस्तावित नियामक प्रावधानों के अनुसार) आदि की नई / संशोधित /पुनर्निर्मित प्रक्रिया को लागू करने एवं बनाए रखने में सहायता करना।

चरण 2 – समाधान डिजाइन एवं विकास

क. वर्तमान लेखांकन मानक एवं इंड एएस के संबंध में कंपनी की लेखांकन नीतियों, प्रकटीकरणों एवं वित्तीय विवरण प्रस्तुतियों में अंतर का विस्तृत मूल्यांकन करना तथा जहां भी आवश्यक हो, ईसीजीसी के लिए लेखांकन ढांचे में इंड एएस के अनुरूप नीतियों, प्रकटीकरणों को तैयार करने में सहायता करना।

ख. मौजूदा नीतियों, प्रक्रियाओं, मैनुअल, आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एवं रिपोर्टिंग पैकेजों की समीक्षा तथा संशोधन करना एवं वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए इंड एएस को स्वीकार कर अपने में शामिल करने हेतु कंपनी के लिए प्रकटीकरण के साथ वित्तीय विवरण तैयार करना।

ग. वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए भारतीय लेखा मानकों (इंड एएस) को शामिल करने के लिए ईसीजीसी के लिए प्रक्रियात्मक मैनुअल तैयार करना।

घ. इंड एएस को स्वीकार करने से उत्पन्न होने वाली वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण लेखांकन नीतिगत निर्णय लेने में ईसीजीसी की सहायता करना।

ङ. लेखांकन एवं सू प्रौ सिस्टम दोनों पर प्रमुख वित्तीय संख्याओं, अनुपातों, प्रक्रियाओं एवं प्रणालियों पर इंड एएस के कार्यान्वयन के प्रभाव के बारे में लेखांकन समाधान बताना।

च. विश्लेषण के परिणामस्वरूप विशिष्ट समायोजन एवं / अथवा पुनर्वर्गीकरण का दस्तावेजीकरण करने के लिए मानक समाधान टेम्पलेट के विकास सहित वर्तमान लेखा मानक से इंड एएस तक समाधान प्रक्रिया तैयार करने में सहायता करना।

छ. इंड एएस कार्यान्वयन टीमों के लिए प्रशिक्षण रणनीति को परिष्कृत करना एवं प्रशिक्षण सामग्री तैयार करने का अधिकार ईसीजीसी के पास सुरक्षित रहेगा।

ज. रोड मैप (समय एवं क्रमांक सहित) विकसित करना एवं संबंधित प्राधिकरणों द्वारा निर्धारित दिशानिर्देश / सिफारिश / भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण / इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया एवं अन्य नियामक निकायों के अनुरूप समय-सीमा बनाए रखने के लिए इंड एएस के कार्यान्वयन में सहायता करना।

झ. संबंधित प्राधिकारियों द्वारा इंड एएस में प्रस्तावित किसी भी परिवर्तन को समय पर शामिल करना और उन परिवर्तनों को संबोधित करने के लिए दृष्टिकोण विकसित करना जो केवल लेखांकन तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि कंपनी की इकाइयों, प्रक्रियाओं, मैनुअल, नियंत्रण, आईटी वातावरण पर प्रभाव को भी ध्यान में रखते हैं।

ञ. वर्तमान जी ए ए पी के साथ वास्तविक रूपांतरण एवं तुलना से पहले लेखांकन, बीमांकिक, निवेश, पुनर्बीमा प्रणालियों एवं शुरू से अंत तक रिपोर्टिंग प्रक्रिया के ड्राई रन में ईसीजीसी की सहायता करना।

ट. कंपनी द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले अपेक्षित क्रेडिट लॉस (ई सी एल) मॉडल का विकास करना।

ठ. वैधानिक मूल्यांकन एवं अन्य बीमांकिक गणना तथा जहां भी लागू हो, रिपोर्टिंग सहित विभिन्न प्रावधानों के निर्धारण के लिए नियुक्त बीमांकिक की सहायता करना।

ड. उपलब्ध छूट / छूट का निर्धारण करना एवं तुलन पत्र खोलने के लिए छूट पहचान करने में सहायता करना, परामर्श दाता को सभी छूटों एवं अपवादों के वित्तीय विवरण पर पड़ने वाले प्रभाव का भी अध्ययन करना चाहिए एवं प्रबंधन को वित्तीय विवरणों पर इसके प्रभाव के बारे में बताना चाहिए।

ढ. पहचानें कि किन क्षेत्रों में संबंधित प्रभाव (वित्तीय एवं अन्यथा दोनों) के साथ-साथ मूल्यांकन अभ्यास के प्रति दृष्टिकोण सहित अनिवार्य निष्पक्ष मूल्यांकन की आवश्यकता है।

चरण 2 की डिलिवरेबल्स:

क. नियामकों द्वारा निर्धारित सभी उत्पादों के लिए प्रोफार्मा में वित्तीय विवरण तैयार करने में ईसीजीसी की सहायता करना। यदि कोई प्रश्न उठाया जाता है, तो परामर्शदाता को उसके अनुपालन में ईसीजीसी की सहायता करनी चाहिए।

ख. समय-समय पर संशोधित आई आर डी ए आई (वित्तीय विवरण एवं लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट की तैयारी) विनियमों सहित विभिन्न लागू अधिनियम, नियमों एवं विनियमों के अनुसार वित्तीय खातों तथा विवरणों की तैयारी के लिए उचित दस्तावेज के साथ ईसीजीसी को आवश्यक टेम्पलेट प्रदान करना।

ग. भारतीय लेखा मानकों के अंतर्गत प्रकटीकरण के उद्देश्य से प्रबंधन सूचना प्रणाली रिपोर्ट तैयार करने तथा प्रबंधन और नियामकों को रिपोर्ट करने में सहायता करना।

घ. सभी प्रकटीकरण उद्देश्यों के लिए खातों पर टिप्पणी के लिए मसौदा टिप्पण तैयार करने में ईसीजीसी की सहायता करना। यदि किसी नियामक निकाय द्वारा कोई प्रश्न उठाया जाता है तो परामर्शदाता को उसके अनुपालन में कंपनी की सहायता करना।

ङ. आई एफ आर एस 17/इंड एएस 117 द्वारा अपेक्षित नकदी प्रवाह मॉडल, जोखिम समायोजन तकनीकों एवं कवरेज इकाई की कार्यप्रणाली के विकास / समीक्षा सहित लेखांकन नीतियों के चयन में परामर्श देना एवं सहायता करना।

च. प्रारंभिक बैलेंस शीट के रूपांतरण में परामर्श देना एवं सहायता करना।

छ. पिछले वर्ष के तुलनात्मक वित्तीय विवरणों के रूपांतरण में परामर्श देना एवं सहायता करना।

ज. अंतिम वित्तीय विवरण के साथ वर्तमान अवधि / प्रयोज्यता वित्तीय विवरणों के वित्तीय विवरणों के रूपांतरण में परामर्श देना एवं सहायता करना।

झ. बीमांकिक देयता एवं रिपोर्टिंग तथा वित्तीय विवरण में रिपोर्ट किए जाने वाले किसी भी अन्य मूल्यों का भाग बनने वाले विभिन्न घटकों के मूल्यों के निर्धारण के साथ-साथ परिचालन विश्लेषण में ईसीजीसी की सहायता करना।

चरण 3 - समाधान कार्यान्वयन

क. लेन-देन की तारीख पर वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने की तैयारी में ईसीजीसी की सहायता करना, जो नियामकों को स्वीकार्य हों। यदि कोई प्रश्न उठाया जाता है, तो परामर्शदाता को उसके अनुपालन में कंपनी की सहायता करना।

ख. इंड एएस तुलन पत्र तैयार करने एवं वर्तमान लेखा मानक तथा इंड एएस के मध्य सामंजस्य स्थापित करने के लिए ईसीजीसी प्रबंधन के साथ सम्मिलित रूप से कार्य करना।

ग. कारोबार की सर्वोत्तम प्रथाओं को प्रतिबिंबित करने वाली इंड एएस नीतियां / टिप्पणियां / प्रकटीकरण तैयार करने के लिए ईसीजीसी प्रबंधन के साथ सम्मिलित रूप से कार्य करना।

घ. ईसीजीसी प्रबंधन के चर्चे एवं विश्लेषण के लिए समीक्षा करना एवं गुणात्मक इनपुट प्रदान करना।

ङ. आवश्यक प्रकटीकरण के साथ सभी रिपोर्टिंग अवधि के लिए ईसीजीसी के इंड एएस के अनुरूप वित्तीय विवरणों की तैयारी एवं सत्यापन हेतु ईसीजीसी प्रबंधन तथा उसके सेवा प्रदाताओं के साथ सम्मिलित रूप से कार्य करना।

च. इंड एएस से संबंधित मामलों में वैधानिक लेखापरीक्षा एवं सीमित समीक्षा के दौरान ईसीजीसी की सहायता करना।

छ. आवश्यकता पड़ने पर आयकर रिटर्न जमा करने के लिए करयोग्य लाभ, प्रीमियम आदि के साथ बुक प्रॉफिट के मिलान में इंड एएस परिप्रेक्ष्य से इनपुट प्रदान करना।

ज. वार्षिक रिपोर्ट तैयार करने के उद्देश्य से ईसीजीसी द्वारा आवश्यक गुणात्मक जानकारी की समीक्षा करना एवं जानकारी प्रदान करना।

झ. आत्मनिर्भरता के लिए इंड एएस के संदर्भ में कर्मचारी को प्रशिक्षण प्रदान करना।

ञ. परिवर्तन एवं संवर्द्धन के संबंध में परीक्षण तथा समाधान प्रदान करना।

ट. परामर्शदाता द्वारा सभी गतिविधियों के लिए दो वर्षों तक सहयोग प्रदान करना।

चरण 3 की डिलिवरेबल्स:

क. लेन-देन की तारीख पर वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने की तैयारी में ईसीजीसी की सहायता करना, जो नियामकों को स्वीकार्य हों। यदि कोई प्रश्न उठाया जाता है, तो परामर्शदाता को उसके अनुपालन में कंपनी की सहायता करना।

ख. इंड एएस तुलन पत्र तैयार करने एवं वर्तमान लेखा मानक तथा इंड एएस के मध्य सामंजस्य स्थापित करने के लिए ईसीजीसी प्रबंधन के साथ सम्मिलित रूप से कार्य करना।

ग. कारोबार की सर्वोत्तम प्रथाओं को प्रतिबिंबित करने वाली इंड एएस नीतियां / टिप्पणियां / प्रकटीकरण तैयार करने के लिए ईसीजीसी प्रबंधन के साथ सम्मिलित रूप से कार्य करना।

घ. ईसीजीसी प्रबंधन के चर्चे एवं विश्लेषण के लिए समीक्षा करना एवं गुणात्मक इनपुट प्रदान करना।

ङ. आवश्यक प्रकटीकरण के साथ सभी रिपोर्टिंग अवधि के लिए ईसीजीसी के इंड एएस के अनुरूप वित्तीय विवरणों की तैयारी एवं सत्यापन हेतु ईसीजीसी प्रबंधन तथा उसके सेवा प्रदाताओं के साथ सम्मिलित रूप से कार्य करना।

च. इंड एएस से संबंधित मामलों में वैधानिक लेखापरीक्षा एवं सीमित समीक्षा के दौरान ईसीजीसी की सहायता करना।

छ. आवश्यकता पड़ने पर आयकर रिटर्न जमा करने के लिए करयोग्य लाभ, प्रीमियम आदि के साथ बुक प्रॉफिट के मिलान में इंड एएस परिप्रेक्ष्य से इनपुट प्रदान करना।

ज. वार्षिक रिपोर्ट तैयार करने के उद्देश्य से ईसीजीसी द्वारा आवश्यक गुणात्मक जानकारी की समीक्षा करना एवं जानकारी प्रदान करना।

झ. आत्मनिर्भरता के लिए इंड एएस के संदर्भ में कर्मचारी को प्रशिक्षण प्रदान करना।

ञ. परिवर्तन एवं संवर्द्धन के संबंध में परीक्षण तथा समाधान प्रदान करना।

ट. परामर्शदाता द्वारा सभी गतिविधियों के लिए दो वर्षों तक सहयोग प्रदान करना।

नोट:

1. उपरोक्त सूची समावेशी है एवं यह संपूर्ण नहीं है अर्थात संदर्भ की शर्तों में जहां भी आवश्यक हो, ईसीजीसी एवं इसकी इकाइयों की वित्तीय तथा रिटर्न विवरण तैयार करने हेतु इंड-एएस के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक सभी गतिविधियों के लिए पेशेवर सहायता प्रदान करना शामिल होगा।
2. कार्यान्वयन के प्रत्येक चरण के दौरान नवीनतम इंड-एएस कार्यान्वयन स्थिति पर ईसीजीसी प्रबंधन के समक्ष प्रस्तुतिकरण।

3.5. पेशेवर कार्मिक

3.5.1. चयनित बोली लगाने वाला ईसीजीसी को व्यावसायिक कर्मचारियों की एक सूची प्रदान करेगा जो अनुबंध-घ के तहत प्रदान किए गए प्रारूप में अपनी बोली प्रस्तुत करते समय परियोजना पर काम करेंगे और अपनी योग्यता और प्रासंगिक अनुभव के साथ परियोजना पर काम करेंगे। बोली लगाने वाला यह सुनिश्चित करेगा कि वही कर्मचारी परियोजना पर काम करेगा।

3.5.2. परियोजना के दौरान, परियोजना के लिए पहचाने गए प्रमुख कर्मचारियों के प्रतिस्थापन की अनुमति नहीं दी जाएगी जब तक कि इस तरह के प्रतिस्थापन अनुचित देरी को दूर करने के लिए अपरिहार्य नहीं हो जाते हैं या दायित्व को पूरा करने के लिए ऐसे परिवर्तन महत्वपूर्ण हैं। ऐसी परिस्थितियों में, चयनित सलाहकार, जैसा भी मामला हो, केवल ईसीजीसी की पूर्व लिखित सहमति से और समान स्तर की योग्यता और योग्यता के प्रतिस्थापन कर्मचारी प्रदान करके ऐसा कर सकता है। यदि ईसीजीसी प्रतिस्थापन से संतुष्ट नहीं है, तो ईसीजीसी अनुबंध को समाप्त करने और इस आरएफपी के अनुसार परियोजना के दौरान चयनित सलाहकार को दंड के रूप में अनुबंध मूल्य के बराबर राशि का दावा करने के अलावा ईसीजीसी द्वारा किए गए भुगतान (पिछले भुगतान और अग्रिम में किए गए भुगतान सहित) की वसूली करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। । हालांकि, ईसीजीसी के पास इस आरएफपी

के अनुसार परियोजना के दौरान किसी भी टीम सदस्य को किसी अन्य (ईसीजीसी द्वारा आवश्यक योग्यता और क्षमता के साथ) के साथ बदलने के लिए चयनित सलाहकार पर जोर दिए बिना शर्त अधिकार सुरक्षित है।

3.6 बोली दस्तावेज

3.6.1 बोली लगाने वाले दस्तावेज:

बोली लगाने वाले दस्तावेजों में शामिल हैं:

(i) पात्रता बोली सह तकनीकी बोली (अनुबंध - 1 के तहत प्रदान किए गए फॉर्म के अनुसार)

(ii) मूल्य/वाणिज्यिक बोली (अनुबंध - 3 के तहत प्रदान किए गए फॉर्म के अनुसार)

(iii) संलग्न सभी अन्य / सहायक दस्तावेज और अनुलग्नक।

बिडर से बिड दस्तावेज़ में सभी निर्देशों, प्रपत्रों, नियमों, शर्तों और विनिर्देशों की जांच करने की उम्मीद है। बिड दस्तावेज़ द्वारा आवश्यक सभी जानकारी प्रस्तुत करने या बिड जमा करने में विफलता हर संबंध में बिड दस्तावेज़ के लिए पर्याप्त रूप से उत्तरदायी नहीं है, बिडर के जोखिम पर होगी और इसके परिणामस्वरूप बिड की अस्वीकृति हो सकती है।

3.6.2 बोली पूर्व बैठक:

इस दस्तावेज़ या चयन प्रक्रिया के किसी भी खंड के साथ कोई संदेह / प्रश्न /जानकारी चाहने वाले बिडर आरएफपी दस्तावेज़ जारी होने के 7 दिनों के भीतर वांछित जानकारी मांग सकते हैं। ईसीजीसी बाद में किसी भी संदेह / प्रश्न के लिए कोई स्पष्टीकरण स्वीकार या प्रदान करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

ईसीजीसी ई-मेल के माध्यम से लिखित में स्पष्टीकरण/संशोधन जारी करेगा और ऐसे स्पष्टीकरण और/या संशोधन आरएफपी का हिस्सा बन जाएंगे।

आरएफपी दस्तावेज़ में दी गई अनुसूची के अनुसार एक पूर्व-बोली बैठक आयोजित की जाएगी, जहां बोली लगाने वाला के प्रश्न, यदि कोई हो, पर चर्चा की जाएगी।

प्री-बिड मीटिंग में भाग लेने वाले बिडरों को अनिवार्य रूप से प्रतिभागियों के नाम, पदनाम, संपर्क नंबर (मोबाइल और लैंडलाइन) के बारे में अग्रिम रूप से सूचित करना होगा। प्रत्येक बोली लगाने वाली कंपनी से 3 से अधिक प्रतिभागियों की अनुमति नहीं दी जाएगी।

प्रश्नों की सूचना केवल अनुबंध - 5 में दिए गए प्रारूप में ई-मेल आईडी, CAT.ACCOUNTS@ECGC के माध्यम से दी जाएगी।

3.7 बोलियों की तैयारी

3.7.1 बोली की भाषा

बोली लगाने वाला द्वारा तैयार की गई बिड, साथ ही बोली लगाने वाला और कंपनी द्वारा आदान-प्रदान की गई बोली से संबंधित सभी पत्राचार और दस्तावेज और सहायक दस्तावेज और मुद्रित साहित्य अंग्रेजी में प्रस्तुत किए जाएंगे।

3.7.2 बोली में शामिल किए जाने वाले दस्तावेज

3.7.2.1 पात्रता सह तकनीकी बोली लिफाफे वाले दस्तावेजों में बोली में खंडों के अनुसार निम्नलिखित पूर्ण प्रपत्र / दस्तावेज होने चाहिए और बोली लगाने वाले के प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित और बोली लगाने वाला के आधिकारिक मुहर के साथ मुहर लगाई जानी चाहिए (बोर्ड संकल्प बोली लगाने के लिए प्रतिनिधि को अधिकृत करने और बोली लगाने वाला की ओर से प्रतिबद्धताएं करने के लिए अधिकृत करना) संलग्न किया जाना चाहिए):

क) **अनुलग्नक -1** के अनुसार पात्रता सह तकनीकी बोली प्रपत्र

ख) **अनुलग्नक-1** में उल्लिखित सहायक दस्तावेजों

3.7.2.2 ऊपर उल्लिखित प्रारूपों, सहायक दस्तावेजों आदि जैसे कागजात तकनीकी बोली के साथ एक लिफाफे में एक लॉट में प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

3.7.2.3 दस्तावेजों की उपरोक्त सूची के अनुरूप कोई भी पात्रता सह तकनीकी बोली अस्वीकार कर दी जाएगी।

3.7.2.4 पात्रता सह तकनीकी बोली में कोई मूल्य जानकारी नहीं होनी चाहिए। इस तरह की बिड, यदि प्राप्त होती है, तो अस्वीकार कर दी जाएगी।

3.7.3 मूल्य / वाणिज्यिक बोली

3.7.3.1प्रत्येक बोली लगाने वाला को मूल्य/वाणिज्यिक बोली लिफाफे को पूरा करना आवश्यक है, जिसमें बोली लगाने वाला के लेटर हेड पर अनुबंध-3 के अनुसार मूल्य/वाणिज्यिक बोली फॉर्म शामिल है।

3.7.4 बोली प्रपत्र

बिडर उपरोक्त दोनों लिफाफों को पूरा करेगा जिसमें पात्रता सह तकनीकी और मूल्य / वाणिज्यिक बोलियां शामिल हैं, जहां भी आवश्यक दस्तावेजों का उल्लेख किया गया है और उन्हें एक ही बाहरी लिफाफे में कंपनी को एक साथ जमा करना होगा। यदि सभी बोलियां (पात्रता सह तकनीकी बोली और मूल्य / वाणिज्यिक बोली) एक साथ प्राप्त नहीं होती हैं तो बोलियां अस्वीकार की जा सकती हैं।

3.7.5 बोली मूल्य

3.7.5.1 कीमतें केवल भारतीय रुपये में उद्धृत की जानी हैं।

3.7.5.2 उद्धृत मूल्य सभी केंद्र / राज्य सरकार के लेवी, करों (जीएसटी सहित) को छोड़कर होना चाहिए जो लागू दरों पर स्रोत पर कर काटा जाएगा।

3.7.5.3 बोली लगाने वाला द्वारा उद्धृत मूल्य अनुबंध के बिडर के निष्पादन के दौरान तय किए जाएंगे और अनुबंध की वैधता अवधि के दौरान विनिमय दर में उतार-चढ़ाव सहित किसी भी खाते में भिन्नता के अधीन नहीं होंगे। केंद्र या राज्य सरकारों द्वारा लगाए जाने वाले कर/शुल्क/लेवी/उपकर आदि , या वैधानिक, अर्ध-सरकारी निकाय, या नियामकों को वास्तविक के अनुसार चार्ज किया जा सकता है, एवं उन्हें भिन्न होने की अनुमति है। यहां निर्दिष्ट अपवादों के अलावा एक समायोज्य मूल्य उद्धरण के साथ प्रस्तुत बोली को गैर-उत्तरदायी माना जाएगा और अस्वीकार कर दिया जाएगा।

3.7.6 बिडर की पात्रता और योग्यता स्थापित करने वाले दस्तावेजी साक्ष्य

3.7.6.1 अपनी बोली में अनुबंध करने के लिए अनुबंध-1 के अनुसार बिडर की योग्यता के दस्तावेजी साक्ष्य को केवल तभी स्वीकार किया जाएगा जब यह स्थापित हो जाए कि वही कंपनी की संतुष्टि के लिए है।

3.7.6.2 बोली लगाने वाला जब तक कि इस आरएफपी की धारा 5 के तहत **अनुबंध-1** में अन्यथा निर्धारित न हो:

i. एक प्राकृतिक व्यक्ति/एक निजी संस्था/एक सार्वजनिक संस्था/संयुक्त उद्यम/संघ होना चाहिए।

ii. संबंधित प्राधिकारी/सरकार द्वारा जारी जी एस टी आई एन, पैन, ईपीएफ, ईएसआई, श्रम, या समकक्ष पंजीकरण प्रमाण पत्र के संबंध में वैध पंजीकरण के साथ एक परामर्श सेवा प्रदाता होना चाहिए।

iii. दिवालिया नहीं होना चाहिए, रिसीवरशिप में, दिवालिया या घायल होने पर, किसी अदालत या न्यायिक अधिकारी द्वारा अपने मामलों को प्रशासित नहीं किया जाना चाहिए, इसकी व्यावसायिक गतिविधियों को निलंबित नहीं किया जाना चाहिए और उपरोक्त किसी भी कारण से कानूनी कार्यवाही के विषयांतर्गत नहीं होना चाहिए।

iv. ईसीजीसी लिमिटेड द्वारा अपात्र/ प्रतिबंधित सूचीबद्ध/प्रतिबंधित/विवर्जित नहीं होना चाहिए।

v. भारत सरकार की उपयुक्त एजेंसियों द्वारा दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिए (ई ओ आई प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि से पहले तीन वर्षों के भीतर) या अपात्र/निलंबित/काली सूचीबद्ध/प्रतिबंधित/प्रतिबंधित घोषित नहीं किया जाना चाहिए।

vi. किसी सेवानिवृत्त कर्मचारी (राजपत्रित रैंक के) या केंद्र या राज्य सरकार या उसके सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के किसी सेवानिवृत्त राजपत्रित अधिकारी का संघ (एक सलाहकार/भागीदार/निदेशक/कर्मचारी के रूप में) नहीं हो, यदि ऐसे सेवानिवृत्त व्यक्ति ने अपनी सेवानिवृत्ति के बाद एक साल की कूलिंग-ऑफ अवधि (या उनके पूर्ववर्ती नियोक्ता द्वारा निर्धारित कोई अन्य अवधि) पूरी नहीं की है। हालांकि, यह लागू नहीं होगा यदि ऐसे कर्मचारियों/अधिकारियों ने अपने पूर्व संगठन से कूलिंग-ऑफ अवधि की छूट प्राप्त कर ली है।

vii. ईसीजीसी लिमिटेड के अधिकारियों के निकट संबंधों का संघ नहीं हो जो इस खरीद प्रक्रिया में शामिल / शामिल होने की संभावना है।

viii. हितों का टकराव नहीं हो ।

3.7.7 प्रारूप और बोली पर हस्ताक्षर

3.7.7.1 प्रत्येक बोली दो भागों में होगी:

भाग ए - पात्रता सह तकनीकी बोली।

भाग बी - मूल्य / वाणिज्यिक बोली

"प्रत्येक भाग दो अलग-अलग सीलबंद नॉन-विंडो लिफाफों में होना चाहिए जिसमें बिडर का नाम और पता (रिटर्न पता), प्रत्येक ""आरएफपी विषय"" के साथ-साथ ""पात्रता बिड"", ""तकनीकी बिड"" और ""मूल्य / वाणिज्यिक बिड", जैसा भी मामला हो, लिखा हो। ।"

3.7.7.2 बोली को अमिट स्याही में लिखा जाए और बोली लगाने वाला या अनुबंध के लिए बोली लगाने के लिए विधिवत प्राधिकृत व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा। बोलियों पर हस्ताक्षर करने वाला व्यक्ति या व्यक्ति बिना संशोधित मुद्रित साहित्य को छोड़कर, बोलियों के सभी पृष्ठों को प्रमाणित किया जाए।

3.7.7. 3 कोई भी अंतर-आरेखण, मिटाना या ओवरराइटिंग तभी मान्य होगी जब वे बोली पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति द्वारा प्रमाणित हों। कंपनी के पास उपरोक्त के अनुरूप नहीं होने वाली बोलियों को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है।

3.7.7.4 इस आर एफ पी दस्तावेज़ के संदर्भ में प्रस्तुत सभी दस्तावेज, चाहे टाइप किया गया हो, अमिट स्याही में लिखा गया हो, या गैर-संशोधित मुद्रित साहित्य सुपाठ्य / पठनीय होना चाहिए। इस खंड के गैर-अनुपालन के परिणामस्वरूप बोली को गैर-उत्तरदायी माना जाएगा, और शुरुआत में ही अस्वीकार कर दिया जाएगा।

3.7.7.5 बोली ए4 आकार के कागजात में होगी, पृष्ठ संख्या लिखी गई हो एवं तकनीकी विनिर्देश विवरण के साथ हाइलाइट किया जाए। प्रस्तुत करने से पहले बोलियों को स्पाइरल बाइंड या सुरक्षित रूप से बांधा जाना चाहिए। अलग -अलग शीट में प्रस्तुत बोलियों को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।

3.7.7.6 अतिरिक्त जानकारी: बोली लगाने वाले में अतिरिक्त जानकारी शामिल हो सकती है जो प्रस्ताव की बेहतर समझ के लिए आवश्यक होगी। इसमें मैनुअल, या अन्य व्याख्यात्मक दस्तावेज़ीकरण के आरेख, अंश शामिल हो सकते हैं, जो बोली को स्पष्ट और/या प्रमाणित करेंगे। यहां शामिल किसी भी सामग्री को बोली में कहीं और विशेष रूप से संदर्भित किया जाना चाहिए।

3.7.7. शब्दावली: प्रस्तावित सेवाओं या उत्पादों का वर्णन करने के लिए उपयोग किए जाने वाले सभी संक्षिप्त, संक्षिप्त नाम और तकनीकी शब्दों की शब्दावली प्रदान करें। यह शब्दावली तब भी प्रदान की जानी चाहिए जब इन शर्तों को उनके पहले उपयोग पर या बोली प्रतिक्रिया में कहीं और वर्णित या परिभाषित किया गया हो।

3.8. बोलियों को प्रस्तुत करना

3.8.1 बोलियों को मुहरबंद करना एवं चिन्हित करना

3.8.1.1 बोली लगाने वाला (ओं) को नॉन-विंडो लिफाफों को सील करना होगा जिसमें ""पात्रता सह तकनीकी बोली"" की एक प्रति और ""मूल्य / वाणिज्यिक बोली"" की एक प्रति अलग से होगी और इन दोनों नॉन-विंडो लिफाफों को संलग्न और सील किया जाएगा। एक एकल बाहरी गैर-खिड़की लिफाफे में बिडर का नाम और पता (रिटर्न पता) होगा।

3.8.1.2 आंतरिक लिफाफे कंपनी को उपरोक्त भाग 1 में बोली प्रस्तुत करने के लिए दिए गए पते पर संबोधित किए जाएंगे और ऊपर दिए गए खंड में वर्णित अनुसार चिह्नित किए जाएंगे।

3.8.1.3 बाहरी लिफाफा में :

क) भाग 1.2 में दिए गए उक्त पते पर कंपनी को संबोधित किया जाए; तथा

बी) परियोजना का नाम लिखें

3.8.1.4 सभी लिफाफों में कवर पर बोली लगाने वाले का नाम और पता होना चाहिए।

3.8.1.5 यदि लिफाफे को सील और चिह्नित नहीं किया गया है, तो कंपनी बोली के खोने या उसके समय से पहले खोलने के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं लेगी।

3.9. बिड जमा करने के लिए समय सीमा

3.9.1 बोली लगाने के आमंत्रण में "समय सारणी की अनुसूची" में निर्दिष्ट तिथि और समय के बाद कंपनी द्वारा निर्दिष्ट पते पर बोलियां प्राप्त नहीं की जानी चाहिए।

3.9.2 कंपनी के लिए बोलियां जमा करने की निर्दिष्ट तिथि पर अवकाश की स्थिति में, अगले कार्य दिवस पर नियत समय तक बोलियां प्राप्त की जाएंगी।

3.9.3 कंपनी अपने विवेक से, बोली दस्तावेज में उपयुक्त नियमों और शर्तों में संशोधन करके बोलियां जमा करने की समय सीमा का विस्तार कर सकती है, इस मामले में, कंपनी और बोली लगाने वालों के सभी अधिकार और दायित्व पहले समय के अधीन होंगे। इसके बाद विस्तारित समय सीमा के अधीन होगा, जिसे कंपनी की वेबसाइट पर सभी इच्छुक बोली लगाने वालाओं को भी सूचित किया जाएगा।

3.10 देर से बोलियां:

निर्धारित बोलियों को प्रस्तुत करने की समय सीमा के बाद प्राप्त किसी भी बोली को अस्वीकार कर दिया जाएगा, और बाद में नष्ट कर दिया जाएगा। कोई बोली वापस नहीं की जाएगी।

3.11. संशोधन और बोलियों की वापसी

3.11.1 बोली लगाने वाला, यदि बोली प्रक्रिया में भाग लेने और पूर्व-बोली बैठक में भाग लेने में रुचि की अभिव्यक्ति प्रस्तुत करने के बाद, बोली प्रक्रिया से वापस लेना चाहता है या अपनी बोली को संशोधित करना चाहता है, तो बोली लगाने वाला बिना किसी दंडात्मक कार्रवाई के ऐसा कर सकता है। भविष्य के आरएफपी / अनुबंध / व्यवसाय से बहिष्कार, बशर्ते कि बोली लगाने वाला बोली जमा करने के लिए निर्धारित समय सीमा से पहले इसके कारणों के साथ, लिखित रूप में कंपनी को अपना निर्णय प्रस्तुत करे। वापस ली गई बोलियों को बिडरों को बिना खोले वापस कर दिया जाएगा।

3.11.2 बोली जमा करने की समय सीमा के बाद किसी भी बोली को संशोधित नहीं किया जा सकता है।

3.11.3 बोली प्रस्तुत करने की समय सीमा और बोली प्रपत्र पर बोली द्वारा निर्दिष्ट बोली वैधता की अवधि की समाप्ति के बीच के अंतराल में कोई बोली वापस नहीं ली जा सकती है। इस अंतराल के दौरान बोली वापस लेने के

परिणामस्वरूप भविष्य के किसी भी आरएफपी/अनुबंध/व्यवसाय से प्रतिबंध या बहिष्कार सहित दंडात्मक कार्रवाई हो सकती है।

3.12. बोलियों को खोलना और उनका मूल्यांकन

3.12.1. कंपनी द्वारा बोलियों को खोलना

3.12.1.1 बोली जमा करने की अंतिम तिथि के तुरंत बाद बोली खोलने का अधिकार कंपनी के पास है। कंपनी के पास किसी भी या सभी बिडर (ओं) को उनकी प्रतिक्रियाओं के आधार पर, सभी या कुछ प्रतिक्रिया पत्रों, या यहां तक कि किसी भी कारण को बताए बिना उसके किसी भी हिस्से को अपात्र घोषित करने का अधिकार सुरक्षित है।

3.12.1.2. कंपनी अपने विवेक से और यदि वह उचित समझती है तो बोली लगाने वालों के नाम, बोली संशोधन या वापसी एवं आवश्यक दस्तावेजों की उपस्थिति या अनुपस्थिति और ऐसे अन्य विवरणों की घोषणा कर सकती है।

3.12.1.3 नहीं खोले गए बोलियों और संशोधनों को, यदि कोई हो, तो परिस्थितियों पर ध्यान दिए बिना, मूल्यांकन के लिए आगे नहीं माना जाएगा। वापस ली गई बोलियों को बिडरों को बिना खोले वापस कर दिया जाएगा।

3.12.2. प्रारंभिक मूल्यांकन

3.12.2.1. कंपनी यह निर्धारित करने के लिए बोलियों की जांच करेगी कि क्या वे पूर्ण हैं, क्या आवश्यक प्रारूप प्रस्तुत किए गए हैं, दस्तावेजों पर ठीक से हस्ताक्षर किए गए हैं, और बोलियां सामान्य तौर पर क्रम में हैं।

3.12.2.2. विस्तृत मूल्यांकन से पहले, कंपनी बोली दस्तावेज के लिए प्रत्येक बोली की जवाबदेही निर्धारित करेगी। इन खंडों के प्रयोजनों के लिए, एक उत्तरदायी बोली एक है, जो बिना किसी विचलन के बोली दस्तावेज के सभी नियमों और शर्तों के अनुरूप है।

3.12.2.3 बोली की उत्तरदायी होना बिना बाहरी साक्ष्य के सहारा के कंपनी का निर्धारण बोली की सामग्री पर आधारित होगा।

3.12.2.4. यदि कोई बोली उत्तरदायी नहीं है, तो इसे कंपनी द्वारा अस्वीकार कर दिया जाएगा और ऐसी बोली को बाद में बोली लगाने वाला द्वारा गैर-अनुरूपता में सुधार करके उत्तरदायी नहीं माना जा सकता है। इन खंडों के प्रयोजन के लिए, एक उत्तरदायी बोली एक है, जो बिना किसी विचलन के बोली दस्तावेजों के सभी नियमों और शर्तों के अनुरूप हो।

3.12.3. बोलियों का मूल्यांकन

3.12.3.1 प्रत्येक बोली लगाने वाला स्वीकार करता है कि ईसीजीसी अपने एकमात्र और पूर्ण विवेक में, सलाहकार के चयन में जो भी मानदंड, इस आरएफपी दस्तावेज़ में निर्धारित उन चयन मानदंडों तक सीमित नहीं है, जैसा उचित समझे, लागू कर सकता है।

3.12.3.2. केवल उन बोलीदाताओं और बोलियों को जो प्रारंभिक मूल्यांकन के दौरान पात्रता नियमों और शर्तों के अनुरूप पाए गए हैं, कंपनी द्वारा आगे विस्तृत मूल्यांकन के लिए लिया जाएगा। प्रारंभिक मूल्यांकन के दौरान पात्रता मानदंड और सभी नियमों और शर्तों को अर्हता प्राप्त नहीं करने वाली बोलियों को आगे के मूल्यांकन के लिए नहीं लिया जाएगा।

3.12.3.3. कंपनी तकनीकी और कार्यात्मक मापदंडों पर बोलियों के मूल्यांकन का अधिकार सुरक्षित रखती है।

3.12.3.4. स्कोरिंग शीट आरएफपी दस्तावेज़ के एक भाग के रूप में केवल इच्छुक बोलीदाताओं और पूर्व-बोली बैठक में भाग लेने वालों के साथ साझा की जाएंगी/साझा की जाएगी।

3.12.3.5. पात्रता सह तकनीकी मूल्यांकन पहले अनुबंध-1 में दिए गए मानदंडों के अनुसार किया जाएगा। इस भाग में न्यूनतम 70% अंक प्राप्त करने वाले बोलीदाताओं को आगे के मूल्यांकन के लिए योग्य माना जाएगा।

3.12.3.6. अपूर्ण पात्रता सह तकनीकी बोली अस्वीकृति के अधीन हो सकती है। हालांकि, ईसीजीसी अपने विवेक से सभी बिडरों से अतिरिक्त दस्तावेजों/स्पष्टीकरण मांग सकता है, यदि आवश्यक हो। बोलीदाताओं को संबंधित बोलियों में मांगे गए मूल अनिवार्य दस्तावेज को पूरा करने की अनुमति नहीं है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि संबंधित बोली प्रस्तुत करने और उन दस्तावेजों की सामग्री पर संबंधित स्पष्टीकरण के एक भाग के रूप में बोली लगाने वाला द्वारा पहले से ही प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों से संबंधित केवल अतिरिक्त दस्तावेज जिन्हें ईसीजीसी के विवेक पर बुलाया जा सकता है, यदि आवश्यक समझा जाए।

3.12.3.7. आरएफपी के अनुसार बोलियां जमा करने वाले बोलीदाताओं को इस आरएफपी के लिए ईसीजीसी तकनीकी मूल्यांकन समिति के समक्ष प्रस्तुति देने के लिए आमंत्रित किया जाएगा, एवं डिजाइन और प्रस्तावित समग्र समाधान पर तकनीकी स्कोरिंग शीट में निर्दिष्ट मानदंडों के अनुसार मूल्यांकन किया जाएगा।

3.12.3.8. बोलियों के मूल्यांकन और तुलना के दौरान, कंपनी अपने विवेक से बोली लगाने वालाओं से अपनी बोली के स्पष्टीकरण के लिए कह सकती है। स्पष्टीकरण के लिए अनुरोध लिखित रूप में होगा और बोली की कीमतों या वस्तु में कोई बदलाव नहीं मांगा जाएगा, पेश किया जाएगा या अनुमति दी जाएगी। बिडर की पहल पर किसी भी पोस्ट बिड स्पष्टीकरण पर विचार नहीं किया जाएगा।

3.12.3.9. पात्रता सह तकनीकी बोली के लिए न्यूनतम योग्यता अंक 70% अंक होंगे।

3.12.4 मूल्य बोलियों का मूल्यांकन और अंतिम रूप देना: अंतिम चयन संयुक्त गुणवत्ता सह लागत आधारित प्रणाली (सी क्यू सी सी बी) मूल्यांकन प्रक्रिया के तहत लागत मूल्यांकन पर आधारित होगा जिसे निम्नानुसार उल्लेख किया गया है:

3.12.4.1 पात्रता सह तकनीकी बोली में न्यूनतम 70% अंक प्राप्त करने वाले बोलीदाताओं को आगे के मूल्यांकन के लिए विचार किया जाएगा और इन बोली लगाने वालाओं के लिए मूल्य/वाणिज्यिक बोली खोली जाएगी।

3.12.4.2 मूल्य/वाणिज्यिक बोली कुल 100 पर निम्नानुसार स्कोर की जाएगी:

Cs = (Cmin / Cb) x 100 जहाँ,

Cs = विचाराधीन बोलीकर्ता का वाणिज्यिक स्कोर है

Cmin = सबसे कम कीमत/उद्धृत वाणिज्यिक बोली

Cb = मूल्य/विचाराधीन वाणिज्यिक बोली

3.12.4.3 बोलियों को अंत में संयुक्त स्कोर के आधार पर निम्नानुसार रैंक किया जाएगा:

• कुल तकनीकी स्कोर में 70% भारिता

• वाणिज्यिक स्कोर में 30% भारिता

दो दशमलव बिंदुओं तक गणना किए गए तकनीकी और वाणिज्यिक स्कोर निम्नानुसार होंगे:

Bs = (0.7) * Ts + (0.3) * Cs

जहाँ,

Bs = विचाराधीन बोलीकर्ता का समग्र संयुक्त स्कोर है

Ts = विचाराधीन बोलीकर्ता का तकनीकी स्कोर है

Cs = विचाराधीन बोलीकर्ता का वाणिज्यिक स्कोर है

3.12.4.4 CQCCBS मूल्यांकन प्रक्रिया:

वाणिज्यिक बोलियां सीक्यूसीसीबी मूल्यांकन प्रक्रिया के अधीन होंगी। सीक्यूसीसीबी (संयुक्त गुणवत्ता सह लागत आधारित प्रणाली के तहत लागत मूल्यांकन) के तहत, तकनीकी प्रस्तावों को 70% का वेटेज आवंटित किया जाएगा, जबकि वित्तीय प्रस्तावों को 30% का वेटेज आवंटित किया जाएगा। सबसे कम लागत वाले प्रस्ताव को 100 का

वित्तीय स्कोर दिया जा सकता है और अन्य प्रस्तावों को वित्तीय स्कोर दिया जा सकता है जो उनकी कीमतों के विपरीत आनुपातिक हैं। तकनीकी और वाणिज्यिक/वित्तीय दोनों का कुल स्कोर गुणवत्ता और लागत स्कोर को तौलकर और उन्हें जोड़कर प्राप्त किया जाएगा।

उच्चतम अंक आधार: गुणवत्ता और लागत के लिए संयुक्त भारित स्कोर के आधार पर, बोलीदाताओं को प्राप्त कुल स्कोर के संदर्भ में रैंक किया जाएगा। गुणवत्ता और लागत के मूल्यांकन में उच्चतम कुल संयुक्त स्कोर प्राप्त करने वाले प्रस्ताव को एच-1 के रूप में रैंक किया जाएगा, इसके बाद एच-2, एच-3 आदि के रूप में कम अंक प्राप्त करने वाले प्रस्तावों को प्राप्त किया जाएगा। उच्चतम संयुक्त अंक प्राप्त करने वाले प्रस्ताव को एच-1 रैंक दिया जाएगा और अनुबंध प्रदान करने के लिए अनुशंसित किया जाएगा। उदाहरण के रूप में, निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन किया जा सकता है। बिडर के चयन के एक विशेष मामले में, तकनीकी योग्यता के लिए न्यूनतम योग्यता अंक 70 के रूप में रखने का निर्णय लिया गया था और तकनीकी बोलियों और वाणिज्यिक/वित्तीय बोलियों का वेटेज 70:30 के रूप में रखा गया था। आरएफपी के जवाब में, 3 प्रस्ताव, ए, बी और सी प्राप्त हुए थे। तकनीकी मूल्यांकन समिति ने उन्हें क्रमशः 75, 80 और 90 अंक प्रदान किए। न्यूनतम योग्यता अंक 70 थे। इसलिए, सभी 3 प्रस्ताव तकनीकी रूप से उपयुक्त पाए गए और उनके वाणिज्यिक / वित्तीय प्रस्ताव सफल प्रतिभागियों को बोली खोलने की तारीख और समय को सूचित करने के बाद खोले गए। मूल्य मूल्यांकन समिति ने वाणिज्यिक/वित्तीय प्रस्तावों की जांच की और उद्धृत कीमतों का मूल्यांकन निम्नानुसार किया:

योग्य बोलीदाताओं द्वारा उद्धृत मूल्य

क: रु. 120.00

ख: रु. 100.00

ग: रु. 110.00

फॉर्मूला (LEC/EC) * 100 का उपयोग करके, जहां LEC बोली लगाने वालाओं के बीच उद्धृत न्यूनतम मूल्य के लिए खड़ा है और व्यक्तिगत बोली लगाने वालाओं द्वारा उद्धृत मूल्य के लिए ईसी स्टैंड है, समिति ने उन्हें वाणिज्यिक/वित्तीय प्रस्तावों के लिए निम्नलिखित अंक दिए:

क: (100/120)*100 = 83 अंक

ख: (100/100)*100 =100 अंक

ग: (100/110)*100 = 91 अंक

इसके बाद, संयुक्त मूल्यांकन में, मूल्यांकन समिति ने संयुक्त तकनीकी और वाणिज्यिक/वित्तीय स्कोर की गणना निम्नानुसार की जानी है :

प्रस्ताव क: 75x0.70 +83x0.30 = 77.4 अंक

प्रस्ताव ख: 80x0.70 +100x0.30 =86 अंक

प्रस्ताव ग: 90x0.70 +91x0.30 = 90.3 अंक

संयुक्त तकनीकी और वाणिज्यिक/वित्तीय मूल्यांकन में तीन प्रस्तावों को निम्नानुसार रैंक किया गया:

प्रस्ताव A: 77.4 अंक: एच 3

प्रस्ताव B: 86 अंक: एच2

प्रस्ताव C: 90.3 अंक: एच1

इसलिए, 110.00 रुपये की मूल्यांकित लागत पर प्रस्ताव सी को विजेता घोषित किया गया था और सक्षम प्राधिकारी को अनुबंध देने के लिए अनुशंसित किया जाएगा।

यह बताया गया है कि उपरोक्त केवल एक उदाहरण है। यदि एक से अधिक फर्म उपरोक्त उदाहरण के अनुसार समान अंक प्राप्त करते हैं तो चयन के संबंध में अंतिम विवेक कंपनी के पास होता है।

नोट: ईसीजीसी लिमिटेड किसी भी कारण से बोली दस्तावेजों की प्राप्ति न होने के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।

पूर्व-योग्यता सह तकनीकी बोली और वाणिज्यिक बोली आवश्यकताओं का पालन करने में विफलता के परिणामस्वरूप बोली लगाने वाला की अयोग्यता और उसके द्वारा प्रस्तुत बोली को रद्द किया जा सकता है।

3.12.4.5 कंपनी किसी बोली में किसी भी मामूली कमी या गैर-अनुरूपता या अनियमितता को माफ कर सकती है, जो भौतिक विचलन का गठन नहीं करती है, बशर्ते ऐसी छूट किसी भी बोली लगाने वाला की सापेक्ष रैंकिंग को प्रभावित या प्रभावित नहीं करती है।

3.12.4.6 कंपनी के पास किसी भी या सभी अपूर्ण बोलियों को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है।

3.12.4.7 प्रक्रिया में बोली लगाने वाला (ओं) को **अनुबंध -2** के तहत प्रदान किए गए प्रारूप के अनुसार, बोली दस्तावेजों के एक हिस्से के रूप में अपने पत्र शीर्ष पर एक विवरण देगा, कि उन्हें आरएफपी दस्तावेज़ के किसी भी खंड के साथ कोई आपत्ति नहीं है ।

3.12.5 कंपनी से संपर्क करना

3.12.51 कोई भी बोली लगाने वाला, अपनी बोली से मूल्य / वाणिज्यिक बोली खोलने के समय से अनुबंध दिए जाने के समय तक संबंधित किसी भी मामले पर कंपनी से संपर्क नहीं करेगा ।

3.12.5.2 बोली लगाने वाला द्वारा बोली मूल्यांकन, बोली तुलना या अनुबंध पर अपने निर्णयों में कंपनी को प्रभावित करने के किसी भी प्रयास के परिणामस्वरूप बोली लगाने वाला की बोली को अस्वीकार किया जा सकता है और ईसीजीसी के साथ किसी भी भविष्य के आरएफपी/अनुबंध/व्यवसाय से प्रतिबंधित किया जा सकता है।

3.12.6 अवार्ड मानदंड

सबसे अधिक संयुक्त तकनीकी और वाणिज्यिक स्कोर प्राप्त करने वाले बोली लगाने वाले से अनुबंध किया जाएगा। ईसीजीसी लिमिटेड सफल बोली लगाने वाला को लिखित रूप में, पत्र द्वारा या ई-मेल द्वारा सूचित करेगा कि उसकी बोली स्वीकार कर ली गई है।

ईसीजीसी ऐसी किसी भी स्वीकृति या अस्वीकृति के लिए कोई कारण प्रदान करने के लिए बाध्य नहीं है। ईसीजीसी का निर्णय बोली प्रक्रिया से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े सभी बोलीदाताओं/पार्टियों पर अंतिम, निर्णायक और बाध्यकारी होगा और उस पर प्रश्न/चुनौती नहीं दी जाएगी।

अनुबंध की अधिसूचना अनुबंध के लिए प्रस्ताव होगी। चयनित बोली लगाने वाला को संचार की प्राप्ति के 7 (सात) कार्य दिवसों के भीतर अवार्ड पत्र की विधिवत हस्ताक्षरित और मुद्रांकित डुप्लिकेट प्रति वापस करके अनुबंध के पुरस्कार की स्वीकृति से अवगत कराना चाहिए। टाई के मामले में, तकनीकी मूल्यांकन में उच्च स्कोर वाली बोली को सर्वोत्तम बोली मूल्य माना जाएगा। यदि चयनित बोली लगाने वाला अवार्ड स्वीकार करने में विफल रहता है तो बोली लगाने वाला (बोलीदाता के अलावा जो अवार्ड स्वीकार करने में विफल रहा है) के बीच अगला उच्चतम संयुक्त स्कोर हासिल करने वाले बोली लगाने वाला को अवार्ड के लिए माना जाएगा और इसी तरह आगे भी यही क्रम चलता रहेगा ।

सफल बिडर को अनुबंध के अवार्ड के दो सप्ताह के भीतर निष्पादन बैंक गारंटी प्रस्तुत करनी होगी और इस आरएफपी के अनुबंध 8 के रूप में संलग्न एक सेवा समझौते को निष्पादित करना होगा, जो इस आरएफपी दस्तावेज़ में उल्लिखित कार्यकाल के लिए मान्य होगा।

परियोजना ईसीजीसी द्वारा अवार्ड की तारीख से 12 सप्ताह के भीतर पूरी की जाएगी।

3.12.7 किसी भी बोली को स्वीकार करने और किसी भी या सभी बोलियों को अस्वीकार करने का कंपनी का अधिकार:

3.12.7.1 कंपनी सबसे कम कोटेशन को स्वीकार करने के लिए खुद को बाध्य नहीं करती है और किसी भी बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने या बोली प्रक्रिया को रद्द करने और अनुबंध अवार्ड से पहले किसी भी समय सभी बोलियों को अस्वीकार करने बिना किसी दायित्व के प्रभावित बोली लगाने वाला या बोली लगाने वाला (ओं) या कंपनी की कार्रवाई के लिए प्रभावित बोली लगाने वाला या बोली लगाने वालाओं को सूचित करने का कोई दायित्व के अपना अधिकार सुरक्षित रखती है।

3.12.7.2 बोलियों को संसाधित करते समय, ईसीजीसी किसी भी वस्तु या अनुभाग को हटाने या कम करने का अधिकार सुरक्षित रखता है जिसमें आरएफपी दस्तावेज़ या कार्य के दायरे में बिना कोई कारण बताए शामिल है।

3.12.7.3 कंपनी द्वारा लिए गए सभी निर्णय अंतिम, बाध्यकारी और अंतिम हैं।

3.12.8 निष्पादन बैंक गारंटी

3.12.8.1 सफल बोली लगाने वाला (बाद में 'सलाहकार' के रूप में संदर्भित) को ईसीजीसी द्वारा संतोषजनक स्वीकृति/साइन ऑफ की तारीख से अनुबंध - 4 के रूप में संलग्न प्रो-फॉर्मा के अनुसार 5% के बराबर मूल्य अनुबंध मूल्य, अनुबंध की अवधि के लिए वैध (दावा अवधि के लिए अतिरिक्त 8 सप्ताह) के लिए एक निष्पादन बैंक गारंटी ("पीबीजी") जमा करना होगी"

3.12.8.2 सही मूल्य और वैधता अवधि का पीबीजी जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, अवार्ड पत्र की स्वीकृति की तारीख से दो सप्ताह के भीतर प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

3.12.8.3 यदि कार्य की प्रकृति के कारण अनुबंध की अवधि छह महीने से अधिक बढ़ाई जाती है, तो पीबीजी को दावा अवधि सहित नई/विस्तारित अनुबंध अवधि के लिए बढ़ाया/नवीनीकृत/फिर से जारी करना होगा। वेंडर ऐसे मामले में पीबीजी की मूल अवधि की समाप्ति से कम से कम दो सप्ताह पहले विस्तारित पीबीजी जमा करने का प्रावधान करेगा।

3.12.8.1 यदि वेंडर द्वारा सेवाएं अचानक समाप्त कर दी जाती हैं या वेंडर द्वारा अनुबंध के नियमों और शर्तों से कोई विचलन किया जाता है, जिसके आधर पर कंपनी पीबीजी को जब्त करने का निर्णय ले सकती है, तो पीबीजी जब्त कर लिया जाएगा। इसके अतरिक्त, ऐसी परिस्थितियों में भुगतान न किये गए शुल्क, यदि कोई हो, का भी भुगतान नहीं किया जाएगा। वेंडर के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई न होने की स्थिति में, ईसीजीसी द्वारा संतोषजनक स्वीकृति/साइनऑफ के 8 सप्ताह के बाद या वेंडर के खिलाफ किसी भी दावे के निपटान पर, जो भी बाद में हो, पीबीजी वापस कर दिया जाएगा।

3.12.9 बयाना राशि:

1,00,000 रुपये (केवल एक लाख रुपये) की बयाना राशि (ईएमडी) सम्भव हो तो एनईएफटी द्वारा जमा किया जाना आवश्यक है। इसका भुगतान वेडरों द्वारा निविदा के साथ डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक द्वारा भी किया जा सकता है। डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक **'ईसीजीसी लिमिटेड'** के पक्ष में जारी किया जाना चाहिए, जो मुंबई में देय होगा। असफल बोलीदाताओं द्वारा जमा की गई ईएमडी ईसीजीसी लिमिटेड के सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिवत समर्थित मूल डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक सौंपने के माध्यम से वापस कर दी जाएगी। सफल बोली लगाने वाले की ईएमडी को सुरक्षा राशि में बदल दिया जाएगा जो संतोषजनक कार्य पूरा होने के बाद बिना किसी ब्याज के वापस कर दी जाएगी। किसी भी परिस्थिति में, ईसीजीसी

लिमिटेड ईएमडी पर कोई ब्याज देने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

3.13. गोपनीयता प्रावधान

इस आरएफपी की शर्तें, यहां कंपनी द्वारा प्रदान की गई जानकारी और इस आरएफपी के अनुसार बोलीदाता द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के संबंध में बोलीदाता द्वारा प्रदान की गई अन्य सभी जानकारी, बोलीदाता द्वारा सख्ती से गोपनीय और मालिकाना मानी जाएगी। ऐसी सामग्रियों का उपयोग केवल इस अनुरोध का प्रतिउत्तर देने के उद्देश्य से किया जाना चाहिए। कंपनी की पूर्व सहमति और इच्छित प्राप्तकर्ता के इसे गोपनीय मानने के लिखित समझौते के अलावा तीसरे पक्ष को प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। कंपनी किसी भी समय कंपनी की किसी भी सामग्री को वापस करने अथवा नष्ट करने का अनुरोध कर सकती है।.

यदि बोलीकर्ता इस आरएफपी का प्रतिउत्तर नहीं देना चाहता है, तो उसे सभी सामग्री और उसकी कोई प्रतिलिपि भी वापस करनी होगी:

विषय: आरएफपी का प्रतिउत्तर –**"ईसीजीसी लिमिटेड में भारतीय लेखांकन मानकों (इंड एएस) के कार्यान्वयन के लिए परामर्शदाता की नियुक्ति के लिए प्रस्ताव (आरएफपी) हेतु अनुरोध"**

ध्यानार्थ: सहायक महाप्रबंधक – एफ एंड ए

3.14. क्षतिरहित अधिकार

प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय, बोलीकर्ता को यह स्पष्ट है कि कंपनी अपने विवेक से यह निर्धारित करेगी कि कौन सा प्रस्ताव, यदि कोई, स्वीकार किया जाएगा। बोलीकर्ता चयन प्रक्रिया, अंतिम चयन और चयन से जुड़े किसी भी संचार के आधार पर किसी भी प्रकृति की हानि का दावा करने का अधिकार छोड़ देता है।

कंपनी उस बोलीकर्ता को सम्विदा प्रदान करने का अधिकार सुरक्षित रखती है जिसका प्रस्ताव आरएफपी के विनिर्देशों को पूर्ण करने में सबसे लाभप्रद माना जाता है। इसके अतरिक्त, कंपनी प्रस्तुत प्रस्तावों के संबंध में स्वविवेक से इस आरएफपी में शामिल किसी भी आवश्यकता को जोड़ने अथवा माफ करने का अधिकार सुरक्षित रखती है। सम्विदा प्रदान करने पर कंपनी का निर्णय निर्णायक, अंतिम और सभी बोलीकर्ताओं पर बाध्यकारी होगा।

3.15. त्रुटियों हेतु ज़िम्मेदारी

यद्यपि कंपनी ने प्रस्तावित सेवाओं के लिए आवश्यक सभी विवरणों की सटीक प्रस्तुति सुनिश्चित करने के लिए काफी प्रयास किए हैं तथपि इस आरएफपी में निहित जानकारी केवल बोलीकर्ताओं के लिए एक दिशानिर्देश के रूप में प्रदान की गई है। प्रदत्त जानकारी की सटीकता की कंपनी द्वारा गारंटी नहीं दी गई है एवं न ही यह आवश्यक रूप से व्यापक या विस्तृत है। ऐसी स्थिति में, जहाँ कंपनी को ऐसा लगता है कि इच्छित आउटसोर्सिंग का उद्देश्य इस दस्तावेज़ में उल्लिखित प्रक्रियाओं के अलावा अन्य प्रक्रियाओं/प्रक्रियाओं द्वारा बेहतर ढंग से प्राप्त किया जा सकता है तो कंपनी के पास इस तथ्य के होते हुए भी अधिकार होगा कि उसे पहले से ही इच्छुक बोलीदाताओं से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं या नहीं, ऐसे परिवर्तनों को लागू करना और ऐसी परिवर्तित/संशोधित प्रक्रियाओं के लिए स्वविवेक पर एक या अधिक बोलीकर्ताओं के साथ समझौता वार्ता में प्रवेश कर सकते हैं।

3.16. शर्तों की स्वीकारोक्ति

इस आरएफपी के सभी नियमों और शर्तों को बोलीकर्ता द्वारा स्वीकार किया हुआ माना जाएगा और उसके प्रस्ताव में शामिल किया जाएगा जब तक कि विशेष रूप से अन्यथा सूचित न किया जाए।

अनुभाग 4

4.1 सम्विदा की नियम एवं शर्तें(टीसीसी)

4.1.1. अनुबंध को संचालित करने वाले नियम एवं शर्तें **अनुलग्नक 8** में मसौदा सेवा अनुबंध में वर्णित हैं।

अनुभाग 5

1. अनुलग्नक 1: पात्रता मानदंड एवं विनिर्देश

    (i) अनुलग्नक क: 31.03.2024 तक आईएफआरएस-17 में संलग्न होने के संबंध में विवरण
    (ii) अनुलग्नक ख: तकनीकी बिड/बोली
    (iii) अनुलग्नक ग: बोलीकर्ता का वित्तीय निष्पादन
    (iv) अनुलग्नक घ: पेशेवर कर्मचारियों का विवरण
    (v) अनुलग्नक च: बोली लगाने वाले/सहयोगी/समूह कंपनियों का विवरण
    (vi) अनुलग्नक छ: बोलीकर्ता के भागीदारों का विवरण
    (vii) अनुलग्नक ज: बोलीकर्ता के पूर्णकालिक पेशेवर कर्मचारियों का विवरण
    (viii) अनुलग्नक झ: आमुख पत्र
    (ix) अनुलग्नक त: तकनीकी/वाणिज्यिक विचलन का विवरण
    (x) अनुलग्नक थ: बैंक विवरण

2. अनुलग्नक 2: अभिस्वीकृति

3. अनुलग्नक 3: मूल्य/वाणिज्यिक बोली प्रारूप

4. अनुलग्नक 4: निष्पादन हेतु प्रोफार्मा बैंक गारंटी

5. अनुलग्नक 5: प्रश्न प्रारूप

6. अनुलग्नक 6: प्राधिकार पत्र हेतु प्रारूप

7. अनुलग्नक 7: सत्यनिष्ठा संहिता

8. अनुलग्नक 8: सेवा अनुबंध प्रारूप

अनुलग्नक 1: पात्रता मानदंड और विनिर्देश

क) बोलीकर्ताओं का पात्रता मानदंड:

बोलीकर्ताओं को निम्नलिखित पात्रता मानदंडों को पूरा करना होगा। निम्नलिखित पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं करने वाले सलाहकार का आवेदन, प्रक्रिया के किसी भी चरण में, बिना कोई कारण बताए तुरंत खारिज कर दिया जाएगा।

क्र.सं.	पात्रता मानदंड(*)	आवश्यक दस्तावेज
1	अपने अनुबंध की अवधि के दौरान 5000 करोड़ रुपये के न्यूनतम बैलेंस शीट के आकार वाली बीमा कंपनियों/बैंकों/वित्तीय संस्थानों के लिए आईएफआरएस 17 कार्यान्वयन अभ्यास और इंड एएस रूपांतरण अभ्यास में विश्व स्तर पर लगे हुए हों। (न्यूनतम 2 प्रोजेक्ट) (न्यूनतम 1 प्रोजेक्ट, सामान्य बीमा व्यवसाय में लगी एक कंपनी में हो)	ग्राहक प्रमाणपत्र/ग्राहक के साथ सम्विदा/लेखा परीक्षा रिपोर्ट। विवरण **अनुलग्नक क** के अनुसार।
2	आवेदन की तिथि तक बोलीकर्ता के पास मुंबई में एक स्थायी कार्यालय होना चाहिए	**अनुलग्नक ख** में स्व-घोषणा के साथ इसका समर्थन करने वाले दस्तावेज यथा किराया समझौता, बिजली बिल आदि ।
3	बोलीकर्ता के पास भारत में कम से कम 10 भागीदार/निदेशक होने चाहिए, जिनमें से बोलीकर्ता पास कम से कम 3 भागीदार/निदेशक होने चाहिए, जिनके पास चार्टर्ड अकाउंटेंट की योग्यता हो , साथ ही आईसीएआई या किसी अन्य प्रतिष्ठित संस्थान द्वारा इंड एएस/आईएफआरएस पर प्रमाणपत्र कोर्स और भारत में 15 पूर्णकालिक पेशेवर कर्मचारी होने चाहिए।. बोलीकर्ता के पास 31.03.2024 तक बीमांकिक अधिनियम, 2006 में परिभाषित पूर्णतः योग्य बीमांकिकों एवं सू प्रौ पेशेवरों की सेवा भी होनी चाहिए। "पेशेवर कर्मचारी" का अर्थ है बोलीकर्ता के पेरोल पर चार्टर्ड अकाउंटेंट एवं/अथवा बीमांकिक की न्यूनतम योग्यता वाले पूर्णकालिक कर्मचारी।	**अनुलग्नक ख** में स्व-घोषणा।

4	बोलीकर्ता के पास 31.03.2024 को समाप्त पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लिए प्रत्येक वित्तीय वर्ष में भारतीय परिचालन से न्यूनतम राजस्व 100 करोड़ रुपये और न्यूनतम शुद्ध लाभ 5 करोड़ रुपये होना चाहिए।	**अनुलग्नक ग** के अनुसार।
5	बोलीकर्ता को सभी कानूनों, नियमों, विनियमों, उप-कानूनों, दिशानिर्देशों, अधिसूचनाओं आदि के अनुपालन के संबंध में एक पावती प्रस्तुत करनी चाहिए।	**अनुलग्नक 2** के अनुसार।

(*) पात्रता मानदंड में बोलीदाता के साथ-साथ उसके सहयोगी/समूह कंपनियां/सदस्य फर्म शामिल होंगे जो समान ब्रांड नाम के अंतर्गत कार्य कर रहे हैं और भारत में पंजीकृत लेखांकन सलाहकार/वित्तीय सेवाओं की समान गतिविधि में लगे हुए हैं।

बोलीकर्ता उपरोक्त सभी मानदंडों का पालन करेगा। किसी भी मानदंड का अनुपालन न करने पर बोली को प्रारम्भिक दौर में ही अस्वीकार कर दिया जाएगा। उसमें किए गए दावों और बयानों के समर्थन में सबूत के तौर पर प्रासंगिक दस्तावेजों/प्रमाणपत्रों की स्कैन की गई फोटोकॉपी अपलोड की जानी चाहिए। कंपनी बोलीकर्ता द्वारा किए गए दावों और बयानों को स्वतंत्र रूप से सत्यापित / मूल्यांकन करने का अधिकार सुरक्षित रखती है। इस संबंध में कंपनी का कोई भी निर्णय अंतिम, निर्णायक और बोलीकर्ता पर बाध्यकारी होगा।

मार्किंग मैट्रिक्स में निम्नलिखित शामिल हैं:

क्र. सं.	मानदंड	अधिकतम अंक	अंकन प्रणाली	
			मापदंड	अधिकतम अंक
1	**वैश्विक बाज़ार में क्षमता - वैश्विक बाज़ारों में वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों के कार्यान्वयन में अनुभव** अपने सम्विदा की अवधि के दौरान 5000 करोड़ रुपये के न्यूनतम बैलेंस शीट के आकार वाली बीमा कंपनियों/बैंकों/वित्तीय संस्थानों के लिए आईएफआरएस 17 कार्यान्वयन अभ्यास और इंड एएस रूपांतरण अभ्यास में विश्व स्तर पर लगे हुए हों।	20	संदर्भ पत्रों के अनुसारआईएफआरएस 17 के अंतर्गत ऐसे प्रत्येक कार्यान्वयन अभ्यास हेतु 5 अंक	20

	बोलीकर्ता को ग्राहकों से संदर्भ पत्र प्रदान करना होगा जो बोलीकर्ता के पास आईएफआरएस 17 कार्यान्वयन और इंड एएस रूपांतरण अभ्यास से संबंधित चालू और/या पूर्ण परियोजनाएं हैं। संदर्भ पत्र में बोली लगाने वाले की भागीदारी के स्तर को स्पष्ट रूप से इंगित किया जाना चाहिए, जिसमें प्रशिक्षण, परिचालन अंतराल विश्लेषण, वित्तीय प्रभाव विश्लेषण, सिस्टम प्रभाव विश्लेषण आदि शामिल हो सकते हैं, परंतु इन्हीं तक सीमित नहीं हैं।			
2	**विषय - वस्तु विशेषज्ञ** प्रस्तावित एंगेजमेंट नेतृत्व के पास भारतीय बीमा बाजार (जीवन, गैर-जीवन, पुनर्बीमा, स्वास्थ्य बीमा) में कार्य का न्यूनतम पंद्रह वर्ष का अनुभव होना चाहिए, जिसमें से न्यूनतम 5 वर्ष गैर-जीवन बीमा कंपनियों में और न्यूनतम 3 वर्ष का कार्य अनुभव आईएफआरएस 17 अथवा इंड ए एस रूपांतरण अभ्यास परियोजनाएँ मे होना चाहिए। । साथ ही, परियोजना में तैनात किए जाने वाले व्यक्तिगत टीम के सदस्यों के पास प्रासंगिक आईएफआरएस/इंड-एएस का अनुभव होना चाहिए।	20	आवश्यक अनुभव के साथ एंगेजमेंट नेतृत्व के लिए 15 अंक, आईएफआरएस 17 में न्यूनतम 1 वर्ष का अनुभव रखने वाले प्रत्येक व्यक्तिगत टीम के सदस्य के लिए 2.5 अंक।	20
3	**इंडस्ट्रीज़ एएस 117 के लिए प्रस्तावित टीम का प्रतिनिधित्व उद्योग मंचों पर किया जा**	10	आईएफआरएस/इंड एएस के कार्यान्वयन	10

	रहा है जैसे कि इंडस्ट्रीज़ एएस 117 पर विशेषज्ञ समिति आदि।		के क्षेत्र में आईसीएआई/इरडा/ आरबीआई/एमसीए/ सेबी की समितियों में बोलीकर्ता फर्म का संघ। ऐसे प्रत्येक प्रतिनिधित्व के लिए 5 अंक	
4	**क्रियाविधि** बोलीकर्ता को कार्य के पूर्ण दायरे को ध्यान में रखते हुए परियोजना के निष्पादन के लिए एक विस्तृत दृष्टिकोण/कार्यपद्धति प्रदान करनी होगी। प्रस्तावित दृष्टिकोण माइलस्टोन आधारित होना चाहिए जिसमें कार्यान्वयन अवधि की अवधि के लिए वितरण योग्य, गतिविधियों, संसाधनों, वार्षिक और त्रैमासिक कार्य और समयसीमा के साथ एक विस्तृत कार्यान्वयन योजना शामिल होनी चाहिए। संचालन समिति/वरिष्ठ प्रबंधन को प्रस्तुतिकरण के माध्यम से रोड मैप का वर्णन किया जाएगा।	10	तकनीकी मूल्यांकन समिति द्वारा मूल्यांकन किया जाएगा	10
5	**इंडस्ट्रीज़ एएस/आईएफआरएस अनुभव: बीमांकिक** प्रस्तावित बीमांकिक टीम को वैश्विक स्तर के आईएफआरएस 17 के प्रभाव मूल्यांकन और कार्यान्वयन पर पूर्व अनुभव होना चाहिए। कृपया कंपनी के आकार, ग्राहक	10		10

	स्थान, समस्या विवरण, दी गई सेवाओं और परिणामी परिणाम सहित निष्पादित परियोजनाओं का विवरण प्रदान करें। टीम में योग्य बीमांकिक होने चाहिए। कृपया प्रस्तावित बीमांकिक टीम का आईएफआरएस अनुभव विवरण प्रदान करें।			
6	**इंड एएस/आईएफआरएस: वित्तीय प्रोफार्मा रिपोर्टिंग में अनुभव** प्रस्तावित वित्त/लेखा टीम को दुनिया भर मेंआईएफआरएस 17 के प्रभाव मूल्यांकन और कार्यान्वयन पर पूर्व अनुभव होना चाहिए। कृपया कंपनी के आकार, ग्राहक स्थान, समस्या विवरण, दी गई सेवाओं और परिणामी परिणाम सहित निष्पादित परियोजनाओं का विवरण प्रदान करें। कृपया प्रस्तावित टीम का आईएफआरएस अनुभव का विवरण प्रदान करें।	10	तकनीकी मूल्यांकन समिति द्वारा मूल्यांकन किया जाएगा	10
7	**प्रस्तावित टीम की कई सिस्टम विक्रेताओं के साथ काम करने की क्षमता**	5	संदर्भ पत्रों द्वारा अनुपूरित। ऐसे प्रत्येक संदर्भ के लिए 5 अंक।	5
8	प्रस्तावित टीम के सदस्यों को आईएफआरएस 17 वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा/समीक्षा करने और संबंधित लेखापरीक्षा समितियों, नियामक निकायों, संस्थानों आदि को निष्कर्ष प्रस्तुत करने का अनुभव होना चाहिए।	10	प्रत्येक बीमाकर्ता हेतु 5 अंक	10
9	न्यूनतम प्रस्तावित मानव-घंटे का कार्य	5	प्रत्येक 100 मानव घंटे हेतु 1 अंक।	5

……..……..

कम्पनी/कंसोर्टियम के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर
(कंपनी/कंसोर्टियम की मोहर)

नाम:

पदनाम:

संपर्क (मोबाइल)

ख) तकनीकी प्रस्ताव/तकनीकी बोली हेतु प्रारूप:

तकनीकी प्रस्ताव/तकनीकी बोली निम्नलिखित रूप में व्यवस्थित और संरचित तरीके से की जानी चाहिए:

i. अनुक्रमणिका
ii. यदि निविदा दस्तावेज बीमा कंपनी की वेबसाइट से डाउनलोड किया गया है तो बोली मूल्य के रूप में वैध बैंक ड्राफ्ट/भुगतान आदेश
iii. **अनुलग्नक-2** के अनुसार पावती
iv. **अनुलग्नक-छ** के अनुसार आवरण पत्र।
v. पात्रता मानदंडों को पूर्ण करने की पुष्टि करने वाले दस्तावेज़/प्रमाणपत्र।
vi. बोलीदाता फर्म की प्रोफाइल के साथ आईएफआरएस/कन्वर्जेड इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स (इंड-एएस) सेवाओं के दस्तावेजी साक्ष्य और सभी प्रासंगिक संलग्नक, जैसा कि **अनुलग्नक-ख से थ** में वर्णित है।
vii. फर्म के सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित प्राधिकार पत्र, फर्म की ओर से बोली पर हस्ताक्षर करने के लिए निष्पादकों को अधिकृत करना**, अनुलग्नक-6।**
viii. **अनुलग्नक-I** के अनुसार तकनीकी/वाणिज्यिक विचलन विवरण।
ix. पिछले तीन वित्तीय वर्षों 2021-22, 2022-23 और 2023-24 की लेखापरीक्षित तुलन पत्र और लाभ और हानि खाता)।
x. अनुलग्नक-थ के अनुसार बैंक विवरण.
xi. पंजीकरण प्रमाणपत्र की मूल प्रतिलिपि और भारत में कार्यालयों की सूची
xii. इस आरएफपी में मांगे गए अन्य दस्तावेज/जानकारी।

नोट: बोलीकर्ता द्वारा किए गए सभी दावों को दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा समर्थित होना चाहिये। तकनीकी बोली में कोई भी व्यावसायिक/वित्तीय जानकारी शामिल नहीं होगी। व्यावसायिक बोली में यदि तकनीकी बोली से सम्बंधित जानकारी होती है तो इसे अमान्य घोषित कर अस्वीकार कर दिया जाएगा।

……..…….

कम्पनी/कंसोर्टियम/व्यक्ति के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर
(कंपनी/कंसोर्टियम की मोहर)
नाम:
पदनाम:
संपर्क (मोबाइल)

अनुलग्नक: क

31.03.2024 तक आईएफआरएस-17 में संलग्नता के संबंध में विवरण

क्रम सं.	**ग्राहक का नाम**	**अनुबंध की अवधि के दौरान ग्राहक की तुलन पत्र का आकार (करोड़ रुपये में)**	**कार्य के दायरे का संक्षिप्त विवरण**	**ग्राहक की ओर से प्रभारी व्यक्ति का नाम, संपर्क सूत्र एवं ईमेल आईडी**	**अवधि**	
					से	**तक**

……..……..

कम्पनी/कंसोर्टियम/व्यक्ति के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर
(कंपनी/कंसोर्टियम की मोहर)

नाम:

पदनाम:

संपर्क (मोबाइल)

नोट: उपरोक्त जानकारी के समर्थन में ग्राहक प्रमाणपत्र/ग्राहक के साथ अनुबंध/लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी चाहिए

अनुलग्नक: ख

तकनीकी बोली

बोलीकर्ता कंपनी/फर्म का नाम	
बोलीकर्ता कंपनी/फर्म के निगमन की तिथि	
बोलीकर्ता कंपनी/फर्म का पूरा पता	
नोडल व्यक्ति का नाम एवं संपर्क विवरण तथा ई-मेल आईडी	
प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का विवरण a) नाम b) पदनाम c) सम्पर्क नम्बर d) फैक्स नं. e) ईमेल आईडी	
परामर्श सेवाओं के लिए नियुक्त किए जाने वाले प्रस्तावित व्यक्ति और उनकी प्रोफ़ाइल	As per **Annexure-D**.
बोलीकर्ता के बैंक का नाम, पता और खाता संख्या	
बोलीकर्ता कंपनी/फर्म का पैन	
बोलीकर्ता कंपनी/फर्म की जीएसटी पंजीकरण संख्या	
मुंबई में कार्यालय की स्थापना की तारीख के साथ मुंबई का कार्यालय पता	(कृपया इससे सम्बंधित दस्तावेज़ प्रदान करें)
भारत में पंजीकृत सदस्य फर्मों/सहयोगियों/समूह कंपनियों के नाम जिन पर पात्रता मानदंड के लिए विचार किया गया है	As per **Annexure-E**
समान ब्रांड नाम के अंतर्गत कार्यरत एवं भारत में लेखांकन सलाहकार/वित्तीय सेवाओं की समान गतिविधि में लगे हुए बोलीकर्ताओं के सहयोगियों/समूह कंपनियों/सदस्य फर्मों सहित उसके भागीदारों की कुल संख्या.	As per **Annexure-F**
बोलीकर्ता के पूर्णकालिक पेशेवर कर्मचारियों की सूची जिसमें उसकी सहयोगी/समूह कंपनियां/सदस्य फर्म शामिल हैं जो सामान्य ब्रांड नाम के तहत काम कर रहे हैं और भारत में लेखांकन सलाहकार/वित्तीय सेवाओं की समान गतिविधि में लगे हुए हैं।	As per **Annexure-G**
भारत में कितने कस्बों/शहरों में उपस्थिति - कृपया शहरों/केंद्रों के नाम बताएं	
संदर्भाधीन क्षेत्र में वैश्विक और स्थानीय अनुभव, एक सलाहकार के रूप में कार्यान्वयन। प्रासंगिक दस्तावेज़/प्रमाणपत्र संलग्न किया जाना चाहिए	
संदर्भाधीन क्षेत्र में वैश्विक और स्थानीय अनुभव, एक सलाहकार के रूप में कार्यान्वयन। प्रासंगिक दस्तावेज़/प्रमाणपत्र संलग्न किया जाना चाहिए	
भुगतान की गई बोली की राशि का विवरण डीडी/पीओ नं …… दिनांकित बैंक …… (शाखा) पर भारित……	
राशि रु……	
बोलीकर्ता द्वारा प्रासंगिक समझी गई कोई अन्य जानकारी।	

……..……..

कम्पनी/कंसोर्टियम/व्यक्ति के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर

(कंपनी/कंसोर्टियम की मोहर)

नाम:

पदनाम:

संपर्क (मोबाइल)

अनुलग्नक: ग

बोलीकर्ता का वित्तीय प्रदर्शन

वित्तीय वर्ष	**भारतीय परिचालन से वार्षिक राजस्व (रु. करोड़ में)**	**भारतीय परिचालन से शुद्ध लाभ (रु. करोड़ में)**
2023-24		
2022-23		
2021-22		

वैधानिक लेखा परीक्षकों से प्रमाणपत्र *

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त जानकारी ..... से संबंधित है। (बोलीकर्ता का नाम) फर्म/कंपनी की बही में उपलब्ध जानकारी के अनुसार सही है।

लेखापरीक्षा फर्म का नाम:

लेखापरीक्षा फर्म की मोहर:

फर्म की पंजीकरण संख्या.:

सदस्यता सं.:

दिनांक:

.....

कम्पनी के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर
(कंपनी की मोहर)

नाम:

पदनाम:

संपर्क (मोबाइल)

*** यदि बोलीकर्ता के पास वैधानिक लेखा परीक्षक नहीं है, तो उसे अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट से प्रमाण पत्र प्रदान करना होगा जो सामान्यतः बोलीकर्ता के वार्षिक खातों की लेखा परीक्षा करता है।**

अनुलग्नक: घ

<u>पेशेवर कर्मचारियों का विवरण</u>

उन व्यक्तियों का विवरण जिन्हें प्रोजेक्ट हेतु तैनात किया जाएगा

1. **व्यक्ति का नाम:**
2. **कार्यालय का पता:**
3. **ईमेल आईडी:**
4. **कार्यालय का फोन नं:**
5. **मोबाइल:**
6. **दिनांक जब से कम्पनी में कार्यरत हैं:**
7. **व्यावसायिक योग्यता:**
8. **वर्तमान पदनाम:**
9. **अनुभव:**

क्र.सं.	**प्रोजेक्ट का विवरण/प्रकृति**	**उस संगठन का संक्षिप्त विवरण जहां परियोजना शुरू की गई थी/की गई है**	**अवधि**	
			से	**तक**

नोट*:* -

(1) प्रारूप न्यूनतम आवश्यकताओं वाला है और इसे अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जाना है। यह अनुबंध पूरी परियोजना में तैनात किए जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग से भरा जाना चाहिए। बोलीकर्ता अतिरिक्त विवरण, यदि कोई हो, प्रस्तुत कर सकते हैं।

(2) किए गए दावों के समर्थन में प्रमाण के रूप में प्रासंगिक दस्तावेजों/प्रमाणपत्रों की फोटोकॉपी जमा की जानी चाहिए

2023 के..... दिवस को दिनांकित

कंपनी के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर

(कम्पनी की मोहर)

नाम:

पदनाम:

सम्पर्क(मोबाइल)

अनुलग्नक: च

बोलीकर्ता का विवरण/सम्बद्ध/ समूह की कंपनियां

क्रम सं.	सदस्य फर्मों / सहयोगी/समूह कंपनियाँ का नाम	आईसीएआई / एमसीए के साथ पंजीकरण संख्या जो भी लागू हो*

***** आईसीएआई - इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया

एम सी ए- कार्पोरेट मामलों का मंत्रालय

……..……..

कंपनी/कंसोर्टियम/व्यक्ति के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर

(कंपनी/कंसोर्टियम की मोहर)

नाम:

पदनाम:

संपर्क (मोबाइल)

अनुलग्नक: छ

सामान्य ब्रांड नाम के अंतर्गत कार्य करने वाले एवं भारत में लेखांकन सलाहकार/वित्तीय सेवाओं की समान गतिविधि में लगे हुए बोलीदाता के भागीदारों का विवरण, जिसमें उसकी सहयोगी/समूह कंपनियां/सदस्य फर्म शामिल हैं:

क्रम संख्या	सदस्य फर्म/ संबद्ध/ समूह कंपनियाँ	साझेदार का नाम	आईसीएआई में साझेदार की सदस्य संख्या

……..……..

कंपनी/ सहायक संघ / व्यक्ति के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर

(कंपनी/ सहायक संघ की मोहर)

नाम:

पद का नाम:

संपर्क नंबर (मोबाइल)

अनुलग्नक: ज

सामान्य ब्रांड नाम के तहत काम करने वाले और भारत में लेखांकन सलाहकार/वित्तीय सेवाओं की समान गतिविधि में लगे हुए बोलीदाता के पूर्णकालिक पेशेवर कर्मचारियों का विवरण, जिसमें उसकी सहयोगी/समूह कंपनियां/सदस्य फर्म शामिल हैं।

क्रम संख्या	सदस्य फर्म / संबद्ध / समूह कंपनियों के नाम	पेशेवर स्टाफ का नाम	आईसीएआई में सदस्य संख्या	प्रासंगिक अनुभव (परियोजना एवं वर्ष)

……..……..

कंपनी के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर

(कंपनी की मोहर)

नाम:

पद का नाम:

संपर्क नंबर (मोबाइल)

अनुलग्नक: झ

(पत्र शीर्ष) तकनीकी प्रस्ताव
(सलाहकार के पत्रशीर्ष पर कंपनी को पत्र)

महा प्रबन्धक

(वित्त एवं लेखा),

ईसीजीसी लिमिटेड

ईसीजीसी भवन, सीटीएस संख्या 393,

393/1-45, एम वी रोड,

अंधेरी (पूर्व), मुंबई – 400069

महोदय,

विषय: भारतीय लेखा मानकों के कार्यान्वयन के लिए सलाहकार की नियुक्ति के लिए प्रस्ताव हेतु अनुरोध

उपरोक्त आरएफपी के संदर्भ में, आरएफपी और मास्टर अनुबंध का हिस्सा बनने वाले निर्देशों, नियमों और शर्तों की जांच और समझने के पश्चात, जैसा कि ऊपर संदर्भित आरएफपी में बताया गया है, हम अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों (आईएफआरएस) के साथ एकीकृत भारतीय लेखा मानकों (इंड-एएस) के कार्यान्वयन के चरण- I में सहायता के लिए अपनी सेवाएं प्रदान करने के लिए अपना प्रस्ताव संलग्न करते हैं। हम आरएफपी और मास्टर अनुबंध में उल्लिखित सभी नियमों और शर्तों से सहमत हैं। हम अपना तकनीकी प्रस्ताव एक सीलबंद लिफाफे में जमा करते हैं। यह प्रस्ताव हमारे लिए 90 दिनों तक बाध्यकारी होगा और अनुबंध वार्ता के परिणामस्वरूप होने वाले संशोधनों के अधीन होगा.

भवदीय,

(नाम और पदनाम, कंपनी/सह-व्यवस्था /फर्म की मुहर)

संलग्नक: मुहरसीलबंद लिफाफे में तकनीकी प्रस्ताव

अनुलग्नक: त

(तकनीकी बोली के साथ शामिल किया जाना है**)**

तकनीकी/वाणिज्यिक विचलन विवरण

निविदा विनिर्देशों की आवश्यकताओं से विचलन का विवरण निम्नलिखित है:

खंड	विचलन	टिप्पणियाँ (तर्क सहित)

बोली दस्तावेज में दी गई तकनीकी विशिष्टताएं इस विवरण में दिए गए विचलन की सीमा को छोड़कर हमारी बोली का हिस्सा बनने वाले किसी भी अन्य दस्तावेज पर लागू होंगी।

दिनांक _____बोलीदाता के हस्ताक्षर एवं मुहर

नोट: जहां कोई विचलन नहीं है, विवरण को विधिवत हस्ताक्षरित एक पृष्ठांकन के साथ लौटाया जाना चाहिए - "कोई विचलन नहीं".

अनुलग्नक: थ

बैंक विवरण

क्रम संख्या	विवरण	विवरण
1	बैंक का नाम	
2	बैंक का पता	
3	बैंक शाखा आईएफ़एससी कोड	
4	लाभार्थी का नाम	
5	बैंक खाता संख्या	
6	खाता प्रकार	

.....

कंपनी/फर्म/सहायक के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर

(कंपनी की मुहर)

नाम

पद का नाम

संपर्क नंबर (मोबाइल)

ईमेल आईडी

अनुलग्नक 2: अभिस्वीकृति

दिनांक:

महा प्रबन्धक (वित्त एवं प्रशासन),

ईसीजीसी लिमिटेड

ईसीजीसी भवन, सीटीएस नं. 393,

393/1-45, एम वी रोड,

अंधेरी (पूर्व), मुंबई – 400069

महोदय/महोदया,

विषय: भारतीय लेखा मानकों के चरण-I कार्यान्वयन के लिए सलाहकार की नियुक्ति के प्रस्ताव के अनुरोध का उत्तर

उसमें संलग्नक सहित प्रस्ताव दस्तावेज़ के लिए अनुरोध की जांच करने के बाद, जिसकी प्राप्ति की विधिवत पुष्टि करते हुए हम, अधोहस्ताक्षरी बोली में बताई गई लागत के भीतर आरएफपी दस्तावेज़ में बताए गए कार्य के दायरे के अनुसार सेवाएं प्रदान करने की पेशकश करते हैं और घोषणा करते हैं कि:

1. हम पुष्टि करते हैं कि हमारी बोली/प्रस्ताव में हमारे द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी सत्य और सही है। यदि हमारी बोली स्वीकार कर ली जाती है, तो हम इस आर एफ पी के सभी नियमों और शर्तों का पालन करने का वचन देते हैं।

2. हम प्रमाणित करते हैं कि हमने ईसीजीसी द्वारा अनुरोधित सभी जानकारी अनुरोधित प्रारूप में प्रदान की है। हम यह भी समझते हैं कि आवश्यक जानकारी प्राप्त ना होने की स्थिति में अथवा किसी अन्य प्रारूप में जानकारी,

जो किसी अन्य कारण से मूल्यांकन प्रक्रिया के लिए उपयुक्त नहीं है, प्रदान किए जाने की स्थिति में ईसीजीसी को इस बोली को अस्वीकार करने का अधिकार है। ईसीजीसी का निर्णय अंतिम और हमारे लिए बाध्यकारी होगा।

3. हम इसके द्वारा अभिस्वीकृत करते हैं एवं सशर्त स्वीकार करते हैं कि ईसीजीसी अपने पूर्ण विवेक पर सलाहकारों की शॉर्ट लिस्टिंग और चयन में जो भी मानदंड उचित समझे उसे लागू कर सकता है। हम घोषणा करते हैं कि हमने आर एफ पी दस्तावेज़ में किसी भी तरह का कोई परिवर्तन नहीं किया है एवं हमे यह पूर्ण रूप से ज्ञात है कि किसी भी बदलाव की स्थिति में, ईसीजीसी में रखे गए आरएफपी दस्तावेज़ को प्रामाणिक और बाध्यकारी माना जाएगा और हमारे द्वारा प्रस्तुत बोली/प्रस्ताव को माना जाएगा। आरएफपी दस्तावेज़ में किए गए किसी भी परिवर्तन की स्थिति में बीमा कंपनी द्वारा अस्वीकार कर दिया जाएगा।

4. हम प्रमाणित करते हैं कि किसी भी न्यायालय द्वारा हमें अथवा हमारी किसी सहयोगी कंपनी अथवा हमारे सीईओ, निदेशकों को किसी अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया गया है अथवा कदाचार, दोषी अथवा किसी नियामक प्राधिकरण द्वारा अभियोग/प्रतिकूल आदेश के लिए अदालत द्वारा विचाराधीन नहीं है एवं यदि ऐसा होता है, हमारे द्वारा इसकी सूचना ईसीजीसी को दी जाएगी। देंगे।

5. हम वचन देते हैं कि उपरोक्त अनुबंध के निष्पादन हेतु स्पर्धा करते समय एवं हमारी बोली स्वीकार कर लिए जाने के पश्चात, हम धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार के खिलाफ भारत में लागू कानूनों अर्थात् "भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988" का सख्ती से पालन करेंगे। हम समझते हैं कि आप प्राप्त होने वाले न्यूनतम या किसी अन्य प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं हैं। हम यह भी समझते हैं कि परियोजना सौंपे जाने की तारीख से प्रस्तावित अनुबंधित अवधि के लिए अंतिम कीमतें स्थिर कर दी जाएंगी और ईसीजीसी, अपने विवेक पर आवश्यक लागू/आनुपातिक मूल्य और शर्तों पर परियोजना को पूर्ण या आंशिक रूप से फिर से सौंप सकता है।

6. हम सहमत हैं कि ईसीजीसी इस आरएफपी दस्तावेज़ और सभी संशोधनों को निविदा के दौरान किसी भी समय संशोधित करने, रद्द करने या फिर से जारी करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

7. हम सहमत हैं कि हमें इस आरएफपी दस्तावेज़ के किसी भी खंड और बोली प्रक्रिया से कोई आपत्ति नहीं है।

8. हम इसके द्वारा आरएफपी के अनुसार डीडी नंबर…… के माध्यम से रुपये.....की ईएमडी प्रस्तुत करते हैं।

9. हम वचन देते हैं कि परियोजना को निर्धारित समय के भीतर पूरा करने के लिए पर्याप्त संख्या में योग्य आई एफ़ आर एस/भारतीय लेखा मानक पेशेवरों को तैनात किया जाएगा।

(उपरोक्त में यदि कोई विचलन हो, तो बोलीदाता को अनुलग्नक-I के अनुसार ऐसी कार्रवाई का विवरण प्रदान करना होगा

1)

2)

3)

10. आवेदन में शामिल सभी जानकारी, कथन और विवरण हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार हर तरह से सत्य, सही और पूर्ण हैं। हम समझते हैं कि हमारे आवेदन में तथ्यों की गलत प्रस्तुति और आरएफपी के किसी भी नियम और शर्तों का उल्लंघन हमारे दावे को अस्वीकार कर सकता है।

.....

कंपनी/फर्म/सहायक के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर
(कंपनी की मुहर)
नाम :
पद का नाम :
संपर्क नंबर (मोबाइल):
ईमेल आईडी :

अनुलग्नक 3: मूल्य/वाणिज्यिक बोली प्रारूप

भारतीय लेखा मानकों के चरण-I कार्यान्वयन के लिए सलाहकार की नियुक्ति के लिए प्रस्ताव हेतु अनुरोध (ऊपर बताए अनुसार सीलबंद लिफाफे में जमा किया जाना चाहिए)

बोलीदाता का नाम: _____

पता: _____

संपर्क व्यक्ति: _____ फोन नंबर: _____

ई-मेल: _____ वेबसाइट: _____

हम प्रस्तावित परियोजना के लिए अपनी राशि/वाणिज्यिक बोली (शुल्क) निम्नानुसार जमा करते हैं

घटक	विवरण	मात्र	इकाई मूल्य	कुल
कुल				

नियम एवं शर्तें:

1) उपरोक्त उद्धृत शुल्क में सभी खर्च शामिल हैं (करों को छोड़कर)

2) हम प्रस्ताव/समझौते में उल्लिखित सभी डिलिवरेबल्स वितरित करने और आरएफपी दस्तावेज़ में निर्धारित समय सीमा के भीतर परियोजना को पूरा करने का वचन देते हैं।

3) ईसीजीसी लिमिटेड द्वारा भुगतान जारी करते समय आयकर अधिनियम के लागू प्रावधानों के अनुसार कर (टीडीएस) एवं अन्य सभी लागू कर, देय, उपकर आदि में कटौती की जाएगी।

4) ईसीजीसी सफल बोलीदाता के साथ बातचीत करने एवं परियोजना / भुगतान अनुसूची / भुगतान प्रतिशत में परिवर्तन का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखता है।

कंपनी के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर

नाम:

पद का नाम:

संपर्क नंबर (मोबाइल):

ईमेल आईडी:

कंपनी की मुहर:

अनुलग्नक 4: प्रदर्शन के लिए बैंक गारंटी प्रोफार्मा

(रु.500/- मूल्य के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर)

बैंक ग्यारंटी संख्या.:---------- दिनांक: ----------

प्रति,

ईसीजीसी लिमिटेड

सीटीएस संख्या. 393, 393/1-45,

गाँव गुंदवली, एम. वी. रोड,

अंधेरी (पूर्व), मुंबई – 400069

संदर्भ: - अनुबंध संख्या----------, को प्रदान किया गया ----------

ईसीजीसी लिमिटेड के संदर्भ में, यह कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत स्थापित की गयी कंपनी है जिसका पंजीकृत कार्यालय ईसीजीसी लिमिटेड, सीटीएस संख्या. 393, 393/1-45, गाँव गुंदवली, एम. वी. रोड, अंधेरी (पूर्व), मुंबई – 400069 में स्थित है (इसके बाद इसे "कंपनी" के रूप में संदर्भित किया जाएगा, जिसकी अभिव्यक्ति, जब तक कि यह उसके विषय या संदर्भ के प्रतिकूल या प्रतिकूल न हो, का अर्थ उसके उत्तराधिकारियों और नियुक्तियों को शामिल माना जाएगा।) द्वारा अनुबंध दिनांक _____ (इसके बाद इसे "कार्य आदेश" कहा जाएगा, जिसकी अभिव्यक्ति में "कंपनी" द्वारा जारी किए गए "कार्य आदेश" में कोई भी संशोधन/परिवर्तन शामिल होगा।) (कार्य का दायरा) जैसा कि प्रस्ताव के अनुरोध में कार्य के दायरे (इसके बाद इसे आरएफपी के रूप में कहा जाएगा) में बताया गया है, के माध्यम से मैसर्स _____ , जो कि कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत साझेदारी फर्म/एकमात्र मालिक व्यवसाय/एक कंपनी है एवं जिसका पंजीकृत कार्यालय _____में स्थित है (इसके बाद इसे सेवा प्रदाता कहा जाएगा, जिसकी अभिव्यक्ति, जब तक कि यह उसके विषय या संदर्भ के प्रतिकूल या प्रतिकूल न हो, इसका अर्थ उसके उत्तराधिकारियों और नियुक्तियों को शामिल माना जाएगा।)

जबकि उक्त समझौते के नियमों और शर्तों के अंतर्गत सेवा प्रदाता को सहमत समय अवधि या उसके विस्तार के दौरान नियमों और शर्तों की उचित पूर्ति के लिए (केवल राशि रुपये में इंगित करें) निष्पादन बैंक गारंटी प्रस्तुत करना एवं निर्धारित शर्तों के अनुसार ईसीजीसी लिमिटेड के लिए संतोषजनक प्रदर्शन करना आवश्यक है।

1. हम, …….. ….. …. बैंक जिसका कार्यालय ..... में स्थित है (इसके बाद इसे "बैंक" के रूप में संदर्भित किया जाएगा, जिसकी अभिव्यक्ति तब तक नहीं होगी जब तक कि यह उसके विषय या संदर्भ के प्रतिकूल या प्रतिकूल न हो, इसका अर्थ उसके उत्तराधिकारियों और नियुक्तियों को शामिल माना जाएगा।) इसके द्वारा बिना शर्त और अपरिवर्तनीय रूप से कंपनी को प्रथम मांग पर बिना किसी विरोध या किसी आपत्ति के गैर-प्रदर्शन और गैर-पूर्ति के कारण या किसी भी नियम और शर्तों के सेवा प्रदाता की ओर से किसी भी उल्लंघन के कारण कंपनी को होने वाली किसी भी हानि या क्षति, लागत, शुल्क और व्यय के खिलाफ पूर्ण कार्य आदेश मूल्य उक्त आदेश का भुगतान करने के लिए सहमत हूं, जो कि रुपये..... रुपये ..... मात्र) से अधिक नहीं होगी।
2. हम, ... बैंक इसके अतिरिक्त स्वीकार करते हैं कि कंपनी यह सुनिश्चित करने के लिए एकमात्र निर्णयकर्ता होगी कि क्या उक्त सेवा प्रदाता उन्हे प्रदान किए गए कार्य को निष्पादित करने अथवा पूर्ण करने में सफल रहा है अथवा कार्य आदेश में उल्लिखित किसी नियम अथवा शर्त का उल्लंघन किया है एवं जिसके कारण कंपनी को कितनी सीमा तक हानि, क्षति, लागत शुल्क अथवा खर्च वहन करना पड़ेगा एवं कंपनी के पक्ष में उन सभी अधिकारों का त्याग करते हैं जिनके हम गारंटर के रूप में हकदार हो सकते हैं।

3. हम, ... बैंक इसके अतिरिक्त स्वीकार करते हैं कि कंपनी द्वारा मांग की गयी राशि अंतिम एवं बैंक पर बाध्य होगी एवं बैंक कंपनी को राशि का भुगतान करने का वचन देता है अतः इस गारंटी के अंतर्गत मांग की गई और सेवा प्रदाता द्वारा उठाए गए किसी भी विवाद के बावजूद बिना किसी आपत्ति के या मध्यस्थता सहित कोई मुकदमा या अन्य कानूनी कार्यवाही या उससे संबंधित किसी अदालत, न्यायाधिकरण या मध्यस्थ के समक्ष लंबित कोई कानूनी मुकदमा, पूर्ण दायित्व हमारा एवं बिना शर्त है।

.

4. हम, ... बैंक इसके अतिरिक्त स्वीकार करते हैं कि कंपनी को हमारी सहमति के बिना और समय-समय पर उक्त अनुबंध के किसी भी नियम और शर्तों में बदलाव करने की अथवा उक्त सेवा प्रदाता के विरुद्ध कंपनी द्वारा प्रयोग की जाने वाली किसी भी अधिकार को किसी भी समय या समय-समय पर स्थगित करने की एवं उक्त समझौते के किसी भी नियम और शर्तों को रोकने अथवा लागू करने की पूर्ण स्वतंत्रता होगी एवं और कंपनी की ओर से किसी भी सहनशीलता अधिनियम या चूक के लिए उक्त सेवा प्रदाता को इस तरह के बदलाव, या विस्तार दिए जाने के कारण हमें अपनी देनदारियों से राहत नहीं मिलेगी अथवा कंपनी द्वारा उक्त सेवा प्रदाता को किसी भी तरह की छूट या ऐसे किसी भी मामले या चीज़ से जो कि उक्त आरक्षण के लिए ज़मानत से संबंधित कानून के अंतर्गत हमें दायित्व से मुक्त कर देगा।
5. हम, ... बैंक इसके अतिरिक्त यह वचन देते हैं कि वह कंपनी की लिखित पूर्व सहमति के अतिरिक्त अपनी चालू अवधि के दौरान इस गारंटी को रद्द नहीं करेगा।

6. हम, ... बैंक यह स्वीकार करते हैं कि इस गारंटी के अंतर्गत बैंक के दायित्व सेवा प्रादाता अथवा .....बैंक के संविधान/विघटन में किसी भी बदलाव से प्रभावित नहीं होगा।

7. कंपनी के लिए यह आवश्यक नहीं होगा कि गारंटर-बैंक के खिलाफ आगे बढ़ने से पहले सेवा प्रदाता के खिलाफ आगे बढ़ना और यहां दी गई गारंटी किसी भी सुरक्षा के बावजूद उनके खिलाफ लागू करने योग्य होगी, जिसे कंपनी ने कार्यवाही शुरू होने के समय सेवा प्रदाता से प्राप्त किया हो या प्राप्त किया हो या प्राप्त करेगी। यहां गारंटर के विरुद्ध बकाया या अप्राप्त हो।

8. तथापि उपरोक्त किसी भी बिन्दु के होते हुए भी:

   i. इस गारंटी के तहत हमारी देनदारी ..... रुपये से अधिक नहीं होगी।
   ii. यह बैंक गारंटी ..... तक वैध होगी; और
   iii. हम इस बैंक गारंटी के अंतर्गत गारंटी राशि या उसके किसी भी हिस्से का भुगतान केवल तभी करने के लिए उत्तरदायी हैं जब आपके द्वारा आप ..... (इस गारंटी की समाप्ति की तारीख से वैधता + --- सप्ताह) पर या उससे पहले एक लिखित रूप से राशि के लिए दावा अथवा मांग प्रदान करते हैं।

9. यह गारंटी भारतीय कानूनों द्वारा शासित होगी और मुंबई, भारत के न्यायालयों के पास विशेष क्षेत्राधिकार होगा.

इसके साक्ष्य में बैंक ने इस दस्तावेज़ को इस ..... दिन को निष्पादित किया है।

..... बैंक के लिए

(इसके गठित वकील द्वारा)

("बैंक" की ओर से हस्ताक्षर करने के लिए अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर)

नोट:-

1. स्वदेशी सेवा प्रदाता या इंडियन बैंक के माध्यम से बैंक गारंटी प्रस्तुत की जाए
2. यदि सीधे बैंक से बैंक गारंटी प्राप्त नहीं होती है तो, तो ईसीजीसी लिमिटेड द्वारा बैंक गारंटी का सत्यापन करवाया जाएगा एवं सत्यापन की पुष्टि होने के पश्चात ही बैंक गारंटी को प्रस्तुत किया हुआ माना जाएगा। बैंक गारंटी के सत्यापन में किए जाने वाले सभी व्यय ईसीजीसी लिमिटेड द्वारा वहन किए जाएंगे।

अनुलग्नक 5: प्रश्न प्रारूप

क्रम संख्या	बोलीदाता का नाम	पृष्ठ संख्या (निविदा संदर्भ)	खंड (निविदा संदर्भ)	निविदा में विवरण (निविदा संदर्भ)	प्रश्न
1					
2					

नोट: प्रश्न केवल प्रदान की गई ई-मेल आईडी cat.accounts@ecgc.in के माध्यम से ही संप्रेषित किए जाएंगे। प्रश्नों के उत्तर ईसीजीसी वेबसाइट पर अपलोड किए जाएंगे या संबंधित बोलीदाता को ईमेल किए जाएंगे। टेलीफोन पर या ई-मेल के अलावा किसी अन्य माध्यम से कोई भी प्रश्न स्वीकार नहीं किया जाएगा। प्रश्न उपर्युक्त प्रोफार्मा में .xls/.xlsx प्रारूप में भेजे जाएंगे

अनुलग्नक 6: प्राधिकार पत्र के लिए प्रारूप

(बोलीदाता के शीर्ष पत्र पर प्रस्तुत किया जाना चाहिए)

प्रति
महा प्रबन्धक (वित्त एवं लेखा)
ईसीजीसी लिमिटेड
सीटीएस नं. 393, 393/1-45,
गाँव गुंदवली, एम वी रोड,
अंधेरी (पूर्व), मुंबई – 400069

दिनांक 15.04.2024 को जारी निविदा संदर्भ : ईसीजीसी / निविदा / आरएफपी-1 / वित्त-लेखा / आईएनडी एएस 2024-2025, के लिए बोली खोलने की प्रक्रिया में भाग लेने हेतु प्राधिकार पत्र

निम्न अधिकारियों को दिये गए क्रम के अनुसार मेसर्स _____ की ओर से "भारतीय लेखा मानकों के कार्यान्वयन के लिए सलाहकार की नियुक्ति" के लिए दिनांक _____ को खोली निविदा में निम्न व्यक्तियों को प्राधिकृत किया गया है।

वरीयता क्रम नाम पदनाम नमूना हस्ताक्षर

I

II

(बोलीदाता के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)

दिनांक_____

(कंपनी मुहर)

1. बोली खोलने में भाग लेने के लिए अधिकतम दो व्यक्तियों को अधिकृत किया जा सकता है।
2. यदि ऊपर निर्धारित प्राधिकरण प्रस्तुत नहीं किया गया है तो उस हॉल में प्रवेश की अनुमति देने से इनकार किया जा सकता है जहां बोलियां खोली जाती हैं।

अनुलग्नक 7

सत्यनिष्ठा

घोषणा

मैं/हम _____ के रूप में (फर्म/कंपनी का नाम और फर्म/कंपनी का पूरा पता उल्लेखित किया जाए) में कार्यरत हैं, एतद्वारा सत्यनिष्ठा से पुष्टि और घोषणा करता हूं कि फर्म/कंपनी द्वारा मुझे बोलियों पर हस्ताक्षर करने के लिए अधिकृत किया गया है। मैं/हम, फर्म/कंपनी की ओर से, घोषणा और प्रमाणित करता हूं कि हमने ..... में उल्लिखित सभी नियमों और शर्तों को स्वीकार कर लिया है और हम आरएफपी/समझौते के सभी नियमों और शर्तों का पालन करेंगे।

मैं/हम इससे सहमत हैं और वचन देते हैं कि किसी भी प्रकार का विनिमय लाभ प्राप्त करने के लिए हमारे प्रस्ताव/प्रस्ताव/बोली/निविदा/अनुबंध के प्रसंस्करण और/या अनुमोदन से पहले या उसके दौरान या बाद में हमें प्रत्यक्ष रूप से अथवा किसी भी व्यक्ति अथवा फार्म के माध्यम से प्रस्ताव अथवा वचन नहीं दिया गया है अथवा ना ही हम प्रक्रिया में शामिल किसी भी ईसीजीसी कार्मिक को कोई भी प्रस्ताव अथवा वचन नहीं देंगे एवं/अथवा और/या हमारे प्रस्ताव/प्रस्ताव/बोली/निविदा/अनुबंध या किसी तीसरे व्यक्ति को किसी भी सामग्री का अनुमोदन या कोई अन्य लाभ जिसका वह कानूनी रूप से हकदार नहीं है।

आरएफपी संख्या ..... के उत्तर में ईसीजीसी को प्रस्तुत की गई मेरे/हमारे द्वारा प्रस्तुत बोली के संदर्भ में मैं/हम आगे यह घोषणा करते हैं कि मैं/हम ..... यह वचन देते हैं कि मैं/हम सत्यनिष्ठा संहिता का पालन करेंगे/करेंगे एवं किसी भी समय हितों के किसी भी टकराव के बारे में हर समय खुलासा करें। हम यह समझते हैं कि सत्यनिष्ठा संहिता का कोई भी उल्लंघन मुझे/हमें पंजीकृत बोलीदाताओं की सूची से हटाने के लिए उत्तरदायी बना देगा एवं मेरे/हमारे ऊपर अन्य दंडात्मक कार्रवाई जैसे कि अनुबंध रद्द करना, प्रतिबंध लगाना, प्रतिबंधित करना और काली सूची में डालना या अदालत में कार्रवाई करना, इत्यादि भी की जाएगी।

सील और स्टाम्प के साथ फर्म के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर

दिनांक : स्थान:

नाम:

पद:

<u>अनुलग्नक 8</u>

मसौदा सेवा समझौता

*(*अनुबंध प्रदान करने का पत्र जारी किए जाने के पश्चात सफल बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत किया जाना है*)*

यह सेवा समझौता (इसके बाद इसे "समझौता" के रूप में संदर्भित किया जाता है और दो हजार चौबीस (.../.../2024) के ..... दिन के इस तारीख ( ) को बनाया और दर्ज किया जाता है।).

द्वारा एवं के मध्य

ईसीजीसी लिमिटेड, कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत निगमित एक कंपनी है, जिसका पंजीकृत कार्यालय ईसीजीसी भवन, सीटीएस नंबर 393, 393/1 से 45, एमवी रोड, अंधेरी (पूर्व), मुंबई-400069 (इसके बाद इसे "ईसीजीसी" या "कंपनी" कहा जाएगा) है, जिसके एक हिस्से की अभिव्यक्ति होगी जब तक यह संदर्भ या उसके अर्थ के प्रतिकूल न हो, इसमें इसके उत्तराधिकारी, निष्पादक और पहले भाग के अनुमत असाइनमेंट शामिल हैं।

एवं

.....के अंतर्गत पंजीकृत कंपनी/ फर्म/ एलएलपी मेसर्स_____ जिसका पंजीकृत कार्यालय (इसके बाद इसे "सलाहकार" के रूप में संदर्भित किया गया है, यह शब्द, जब तक कि संदर्भ या उसके अर्थ के विपरीत न हो, अन्य भाग के उत्तराधिकारियों, निष्पादकों और अनुमत असाइनमेंट का अर्थ और इसमें शामिल माना जाएगा।)

इस समझौते में, ईसीजीसी और सेवा प्रदाता को व्यक्तिगत रूप से 'एक पार्टी' और सामूहिक रूप से 'पार्टी' के रूप में संदर्भित किया गया है।.

जहाँ:

1. कंपनी, अन्य कार्यों के साथ, भारतीय निर्यातकों को निर्यात ऋण बीमा प्रदान करने के व्यवसाय करती है।;

2. सेवा प्रदाता, अन्य कार्यों के साथ-साथ, ... प्रदान करने के व्यवसाय में शामिल है।

3. कंपनी ने अनुरोध जारी किया संदर्भ संख्या वाले प्रस्ताव के लिए: ..... (इसके बाद "उक्त आरएफपी" के रूप में संदर्भित) (इस समझौते के लिए अनुलग्नक - 1 के रूप में संलग्न)।

4. सेवा प्रदाता उक्त आरएफपी में सफल बोलीदाता बन गया है और कंपनी ने कार्य के दायरे में (परिशिष्ट-1 के खंड 3 का बिंदु क्रमांक 3.4) शामिल अपेक्षित सेवाएं प्रदान करने के लिए सेवा प्रदाता का चयन किया है, क्योंकि वे आवश्यक कौशल और कर्मियों को रखने का वचन देते हैं।

अब यह समझौता इस प्रकार प्रमाणित होता है:

समझौते, गैर-प्रकटीकरण समझौते और आरएफपी में निर्धारित नियम और शर्तें इस समझौते के अनुरूप पढ़ी जाएंगी और इस समझौते का अभिन्न अंग बनेंगी और साथ में पूरे समझौते का गठन करेंगी। यह समझौता विषय वस्तु पर पार्टियों के किसी भी पूर्व अनुबंध/समझौते, समझ या प्रतिनिधित्व का स्थान लेता है।

अब इसलिए, इस समझौते में निर्धारित आपसी अनुबंधों, नियमों और शर्तों और समझ को ध्यान में रखते हुए, कानूनी रूप से बाध्य होने के इरादे से पार्टियां इस प्रकार सहमत हैं:

4.1.1 परिभाषाएँ:

इस अनुबंध में, निम्नलिखित शर्तों की व्याख्या संकेत के अनुसार की जाएगी:

4.1.1.1 'ईसीजीसी' का मतलब ईसीजीसी लिमिटेड है।

4.1.1.2 "कंपनी" का अर्थ ईसीजीसी लिमिटेड है.

4.1.1.3 आर एफ़ पी के अर्थ में दिनांक 15.04.2024 को जारी भारतीय लेखा मानकों के अंतर्गत में चरण- I कार्यान्वयन के लिए सलाहकार की नियुक्ति के लिए को जारी 'प्रस्ताव के लिए अनुरोध' (निविदा संदर्भ संख्या: ईसीजीसी/निविदा/आरएफपी-1/वित्त-लेखा/इंड एएस/2024-2025) शामिल है।

4.1.1.4 कंपनी और सलाहकार द्वारा हस्ताक्षरित अनुबंध प्रपत्र में दर्ज रिकॉर्ड के अनुसार 'संविदा का अर्थ कंपनी और सलाहकार के मध्य किया गया अनुबंध है, जिसमें सभी संलग्नक और अनुलग्नक और उसमें संदर्भित सभी दस्तावेज शामिल हैं।

4.1.1.5 'सलाहकार' का अर्थ उस व्यक्ति, फर्म अथवा कामपानी से है जिसको भारतीय लेखा मानकों के कार्यान्वयन के पहले चरण का आदेश दिया गया है एवं जब तक कि संविदा की शर्तों से बाहर नही किया गया है तब तक उसमें मामले के आधार पर सलाहकार के उत्तराधिकारी, प्रतिनिधि (कंपनी द्वारा अनुमोदित), निष्पादक, प्रशासक और अनुमत समनुदेशिती शामिल माने जाएंगे।

4.1.1.6 गोपनीय जानकारी का अर्थ कंपनी की उन सभी जानकारियों से है जो सलाहकार को मौखिक अथवा लिखित अथवा दृश्य अवलोकन के माध्यम से अथवा इलेक्ट्रॉनिक मोड में प्रकट की जाती है और जिसमें गोपनीय व्यापारिक जानकारियाँ भी शामिल होंगे, जिसमें तकनीकी जानकारियाँ जैसे कि तकनीकी प्रक्रियाएँ, योजनाएँ, एल्गोरिदम, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, स्रोत कोड, व्यवसाय विधियाँ, ग्राहक सूची, संपर्क, वित्तीय जानकारी, बिक्री और विपणन योजनाएँ तकनीक, योजनाएँ, डिज़ाइन, अनुबंध, वित्तीय जानकारी, बिक्री और विपणन योजनाएँ, व्यवसाय योजनाएँ, ग्राहक, ग्राहक डेटा, व्यावसायिक मामले, संचालन, रणनीतियाँ, पद्धतियाँ, प्रौद्योगिकियाँ, कर्मचारी, उपठेकेदार, किसी भी और सभी समझौतों की सामग्री, सदस्यता सूची, फोटो फ़ाइलें, विज्ञापन सामग्री, अनुबंध उद्धरण, दस्तावेज़, पासवर्ड, कोड, कंप्यूटर प्रोग्राम, टेप, किताबें , रिकॉर्ड, फ़ाइलें और कर रिटर्न, डेटा, सांख्यिकी, तथ्य, आंकड़े, संख्याएं, रिकॉर्ड, नियोजित पेशेवर, अधिवक्ताओं, सॉलिसिटरों, बैरिस्टरों, वकीलों, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सचिवों, लेखा परीक्षकों आदि जैसे पेशेवरों के साथ किया और प्राप्त किया गया पत्राचार, राय, रिपोर्ट, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 के तहत विशेषाधिकार प्राप्त

संचार के दायरे में आने वाले सभी मामले, भेजे गए और प्राप्त किए गए कानूनी नोटिस, पॉलिसी फाइलें, दावा फाइलें, बीमा पॉलिसियां, उनकी दरें, लाभ, नियम, शर्तें, बहिष्करण, शुल्क, ग्राहकों/ग्राहकों या उनके प्रतिनिधियों से पत्राचार, प्रस्ताव प्रपत्र, दावा-प्रपत्र, शिकायतें, मुकदमे, गवाही, किसी भी जांच से संबंधित मामले, दावा-नोट, कानून की अदालत, न्यायिक मंच, अर्ध-न्यायिक निकायों, या किसी प्राधिकरण, आयोग, मूल्य निर्धारण, सेवा प्रस्तावों, संचालन के तरीकों, प्रक्रियाओं, उत्पादों और / या सेवाओं के समक्ष किए गए बचाव और कंपनी की व्यावसायिक जानकारी शामिल है।

4.1.1.7 "उपठेकेदार" का अर्थ एक तीसरा पक्ष है जिसे सलाहकार किसी भी सेवा का अनुबंध देता है।

4.1.1.8 "बौद्धिक संपदा अधिकार" में कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, सेवा चिह्न, डिज़ाइन अधिकार (चाहे पंजीकृत या अपंजीकृत), व्यापार रहस्य और अन्य सभी समान स्वामित्व अधिकार शामिल हैं।

4.1.1.9 "सामग्री" का अर्थ इस अनुबंध के दौरान विकसित की गई सभी मूर्त सामग्री है जिसमें दस्तावेज़, रिकॉर्ड और सामग्री सहित अन्य प्रतियां शामिल हैं, जिनमें कंप्यूटर सॉफ़्टवेयर प्रोग्राम शामिल हैं।

4.1.1.10 जैसा कि यहां बताया गया है, "मास्टर अनुबंध", "मास्टर समझौता", "एग्रीमेंट", या "कॉन्ट्रैक्ट" का मतलब इस अनुबंध से होगा।

4.1.1.11 परियोजना का अर्थ दिनांक 15/04/2024 आर एफ़ पी संदर्भ संख्या ईसीजीसी/निविदा/आरएफपी-1/वित्त-लेखा/इंड एएस/2024-2025 के माध्यम से जारी आरएफ़पी में निर्दिष्ट भारतीय लेखा मांकों के कार्यान्वयन से है एवं इसे कार्य के दायरे के रूप में इस मास्टर अनुबंध में निर्णायक रूप से प्रलेखित किया गया है।

4.1.1.12 आरएफपी प्रस्तुत करने और मूल्यांकन करने तक 'बोलीदाता' शब्द का अर्थ 'सलाहकार' है। खरीद आदेश जारी करने और अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के समय, सफल बोलीदाता को 'सलाहकार' कहा जाएगा।

4.1.1.13 'बोली मूल्य' का अर्थ बोलीदाता द्वारा उद्धृत 'कुल मूल्य' (धारा-6 के अनुसार) है।

4.1.1.14 'अनुबंध मूल्य' का अर्थ सलाहकार द्वारा भारतीय लेखा मानकों (इंड एएस) और संबंधित सेवाओं के चरण- I कार्यान्वयन के लिए देय कुल राशि है।

4.1.1.15 "लागू कर" का अर्थ है और इसमें बिक्री कर, जीएसटी, मूल्य वर्धित कर और डिलिवरेबल्स के संबंध में देय कर शामिल हैं।

4.1.1.16 'ईएमडी' का अर्थ है बयाना राशि जमा, जो बोली लगाने वाले द्वारा बोली के साथ बीजी/डिमांड ड्राफ्ट के रूप में ईसीजीसी को जमा की जाने वाली राशि है।

4.1.1.17 'पीबीजी' का अर्थ संबंधित आदेश के विरुद्ध प्रदर्शन की गारंटी के रूप में सलाहकार द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली प्रदर्शन बैंक गारंटी है.

4.1.1.18 'आदेश' का अर्थ सफल बोलीदाता के पक्ष में जारी किया गया खरीद आदेश है.

4.1.1.19 "डिलीवरेबल्स" का अर्थ है कोई भी अंतिम लिखित रिपोर्ट या अन्य दस्तावेज़ जिसमें टिप्पणियाँ और अवलोकन के साथ-साथ सिफारिशें भी शामिल हैं जो सलाहकार इस सगाई के दौरान प्रदान कर सकता है।.

4.1.1.20 'सेवा' का अर्थ है मास्टर अनुबंध के कार्य क्षेत्र अनुभाग में वर्णित सेवाएं, डिलिवरेबल्स और कार्य उत्पाद, अनुबंध के तहत कवर की गई सलाहकार की कोई अन्य आकस्मिक सेवाएं और दायित्व।

4.1.1.21 "सेवा स्तर के उद्देश्य" का अर्थ सेवाओं की डिलीवरी के लिए इस अनुबंध में विशेष रूप से निर्धारित पूर्व निर्धारित, उद्देश्य प्रदर्शन मानदंड है।

4.1.1.22 "कार्य का दायरा" का अर्थ इस अनुबंध में दिए गए कार्य के मुख्य सीमा के अंतर्गत परिभाषित सभी सेवाएं हैं जो भारतीय लेखा मानकों की सेवाओं के कार्यान्वयन का वर्णन करता है जिसे सलाहकार द्वारा इस अनुबंध के अंतर्गत निष्पादित करेगा।

4.1.1.23 "प्रभावी तिथि" का अर्थ वह तिथि है जिस तिथि को 'चरण- I के लिए सलाहकार की नियुक्ति, भारतीय लेखा मानकों के कार्यान्वयन (इंड एएस) के संदर्भ: ईसीजीसी / निविदा / आर एफ पी-1/ वित्त -लेखा / इंड एएस / 2024-2025, दिनांक 15/04/2024, में आर एफ पी के सफल बोलीदाता होने के परिणामस्वरूप सलाहकार के रूप में नियुक्त किया जाता है।

4.1.1.24 आर एफ पी दस्तावेज़ में प्रयुक्त 'प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता' शब्द का अर्थ वे प्राधिकृत व्यक्ति होंगे, जिनके द्वारा आर एफ पी पर हस्ताक्षर किए गए हैं एवं उन्हें स्पष्ट रूप से उन अधिकारों का विवरण दिया जाना चाहिए जिसके अंतर्गत उनके द्वारा आर एफ पी पर हस्ताक्षर किए गए हैं एवं कंपनी अथवा फर्म उनके हस्ताक्षर के लिए बाध्यकारी होगी।

4.1.1.25 इस दस्तावेज़ में जहां भी 'वह' शब्द आता है, वहां 'वह', 'यह' जैसा भी उचित हो, शामिल किया गया माना जाएगा।

4.1.1.26 'ईसीजीसी का पता' का अर्थ है बोली जमा करने एवं आर एफ पी खोले जाने / सत्यापन / भारतीय लेखा मानकों (इंड एएस) के चरण-I कार्यान्वयन के तकनीकी मूल्यांकन किए जाने का पता निम्न प्रकार से है:

स म प्र – लेखा

ईसीजीसी लिमिटेड

ईसीजीसी भवन, सीटीएस नंबर 393, 393/1-45, एम.वी. रोड,

अंधेरी (पूर्व), मुंबई - 400069

संपर्क व्यक्ति: श्री संजय एस.पवार

संपर्क नंबर.: 8879667536

ई-मेल: cat.accounts@ecgc.in

4.1.2 कार्य का दायरा

अनुलग्नक 1 की धारा 3 के खंड सं 3.4 के अनुसार।

4.1.3 नियुक्ति एवं सेवाओं का दायरा:

4.1.3.1 कंपनी द्वारा एतद्वारा अनुबंध के अनुलग्नक 1 के अनुसार 'कार्य के दायरे' के अंतर्गत स्पष्ट रूप से निर्धारित 'सेवाएं' प्रदान करने के लिए सलाहकार को नियुक्त किया जाता है... (प्रभावी तिथि) से एवं ... महीने की अवधि के भीतर एवं ऐसी प्रभावी तिथि से सलाहकार इसके द्वारा निम्न निर्धारित निबंधन एवं शर्तों के अधीन सेवाएं प्रदान करने हेतु सहमत है।

4.1.3.2 एक स्वतंत्र ठेकेदार के रूप में कार्य करने वाले सलाहकार के द्वारा अनुबंध के अनुलग्नक 1 में उल्लिखित दिशानिर्देशों के अनुसार सेवाएं एवं डिलिवरेबल्स प्रदान किया जाएगा।

4.1.4 भुगतान:

4.1.4.1 इस अनुबंध से संबंधित सभी प्रकार के भुगतान कंपनी के प्रधान कार्यालय द्वारा किए जाएंगे। सलाहकार के चालान के अनुसार कंपनी द्वारा लागू जी एस टी का भुगतान किया जाएगा।

4.1.4.2 सफल बोलीदाताओं द्वारा अनुबंध पर हस्ताक्षर करते समय ईसीजीसी के पक्ष में संपूर्ण अनुबंध अवधि को रक्षित करने वाली बी जी के रूप में अनुबंध मूल्य के 5% की निष्पादन बैंक गारंटी प्रस्तुत की जानी चाहिए। हस्ताक्षरित अनुबंध एवं पी बी जी (धारा-5 में संलग्न प्रारूप के अनुसार) खरीद आदेश जारी होने के दो सप्ताह के भीतर ईसीजीसी को प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

4.1.4.3 सेवाओं के लिए देय शुल्क अनुबंध के अनुलग्नक-1 एवं अनुबंध पत्र के तिथि..... के अनुसार कार्य के दायरे के अधीन सौंपे गए कार्य के पूर्ण होने के अनुसार होगा।

4.1.4.4 भुगतान केवल भारतीय रुपये (आई एन आर) में किया जाएगा।

4.1.4.5 भुगतान केवल सलाहकार से संबंधित सहायक दस्तावेजों, यदि कोई हो, के साथ चालान की प्राप्ति पर किया जाएगा। विलंबित भुगतान के लिए कंपनी किसी भी प्रकार का अयोग्य भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगी।

4.1.4.6 यह स्पष्ट रूप से सम्मत एवं प्रमाणित है कि सलाहकार द्वारा एक स्वतंत्र ठेकेदार के रूप में कार्य किया जाता है एवं उपरोक्त उल्लिखित विचार में कारोबारी व्यय एवं वैधानिक दायित्व शामिल हैं तथा कंपनी पर कोई गोपनीय अथवा अन्य लागत अथवा व्यय शामिल नहीं है।

4.1.4.7 अप्रत्याशित विलंब के कारण पूर्णता तिथि में किसी भी प्रकार का विस्तार आपसी सहमति से होगा। यदि सलाहकार आर एफ पी में निर्धारित समय सीमा के अनुसार परियोजना को पूरा करने में विफल रहता है, एवं यदि किसी भी प्रकार के एक्सटेंशन की अनुमति है, तो यह अनुबंध का उल्लंघन माना जाएगा यदि हुई देरी के लिए सलाहकार उत्तरदायी है। हुई देरी की स्थिति में ऑर्डर रद्द करने एवं बैंक गारंटी लागू करने का अधिकार बीमाकर्ता के पास सुरक्षित है। विनियामक प्राधिकरणों के दिशानिर्देशों में परिवर्तन के कारण पूर्णता तिथि परिवर्तित करने का अधिकार बीमाकर्ता के पास सुरक्षित है।

4.1.4.8 सलाहकार द्वारा हमेशा पेशेवर एवं निष्पक्ष सलाह दिया जाना चाहिए एवं भविष्य के कार्य पर किसी प्रकार का विचार किए बिना बीमाकर्ता के हित को सर्वोपरि रखा जाना चाहिए, तथा अन्य परियोजनाओं अथवा अपने स्वयं के कॉर्पोरेट हितों के टकराव से सख्ती से बचना चाहिए।

4.1.4.9 मुंबई के लिए पंजीकृत सलाहकार के जी एस टी आई एन के साथ मुंबई के लिए चालान तैयार किया जाएगा एवं उक्त को ईसीजीसी प्रधान कार्यालय, लेखा विभाग, मुंबई में जमा किया जाएगा। बीमा कंपनी द्वारा संबंधित विभाग से पुष्टि की तिथि से 30 दिनों के भीतर एवं प्रासंगिक दस्तावेज तथा सेवाओं के प्रमाण प्राप्त करने के पश्चात सभी भुगतान जारी किए जाएंगे।

4.1.4.10 ईसीजीसी द्वारा निम्नानुसार भुगतान किया जाएगा:

भुगतान की शर्तें निम्न प्रकार से होंगी:

क. **अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के पश्चात अनुबंध मूल्य के 10% अग्रिम का भुगतान।**

ख. चरण वार भुगतान अनुसूची:

चरण	**गतिविधियां पूर्ण होने पर भुगतान**	**चरणवार भुगतान**
चरण 1- इंड एएस के कार्यान्वयन का क्षेत्र	कंपनी की संतुष्टि हेतु सभी गतिविधियाँ।	अनुबंध मूल्य का 25%
चरण 2- समाधान डिजाइन एवं विकास	कंपनी की संतुष्टि हेतु सभी गतिविधियाँ।	अनुबंध मूल्य का 25%
चरण 3- समाधान कार्यान्वयन	कंपनी की संतुष्टि हेतु सभी गतिविधियाँ।	अनुबंध मूल्य का 40%

4.1.4.11 बिलिंग के समय वास्तविक पर जी एस टी का भुगतान किया जाना है।

4.1.4.12 "अनुबंध मूल्य" को छोड़कर कोई भी शुल्क/लागत ईसीजीसी द्वारा वहन नहीं की जाएगी।

5. उप-ठेकेदारी

सलाहकार को उस अनुबंध के अंतर्गत दिए जाने वाले सभी उप-अनुबंधों (यदि कोई हो) के लिए कंपनी की लिखित सहमति प्राप्त करनी होगी, जो उनकी बोली में पहले से निर्दिष्ट नहीं है। इस प्रकार की सूचना, अपनी मूल बोली में अथवा बाद में, सलाहकार को इस सेवा अनुबंध के अंतर्गत उसके दायित्व से मुक्त नहीं करेगी।

6. परियोजना परिदान

संपूर्ण परियोजना को निम्न उल्लिखित समय-सीमा के अनुसार पूर्ण किया जाना है:

असाइनमेंट पूरा करने की समय अवधि- संदर्भ की शर्तें/ डिलिवरेबल्स:

चरण-1 इंड एएस के कार्यान्वयन का क्षेत्र	नियामक प्रावधानों के अनुपालन में ईसीजीसी द्वारा निर्दिष्ट समय अवधि तक पूर्ण किया जाना चाहिए।
चरण-2 समाधान डिजाइन एवं विकास	नियामक प्रावधानों के अनुपालन में ईसीजीसी द्वारा निर्दिष्ट समय अवधि तक पूर्ण किया जाना चाहिए।
चरण-3 समाधान कार्यान्वयन	नियामक प्रावधानों के अनुपालन में ईसीजीसी द्वारा निर्दिष्ट समय अवधि तक पूर्ण किया जाना चाहिए।

सलाहकार की ओर से समय-सारणी का पालन करने में विफलता के मामले में, ईसीजीसी द्वारा परिसमापन क्षति की स्थिति लागू की जाएगी। हालाँकि, यदि सलाहकार खरीद आदेश जारी होने की तिथि से बारह सप्ताह के भीतर परियोजना का परिदान एवं कार्यान्वयन प्रारम्भ करने में विफल रहता है, तो ईसीजीसी के द्वरा अनुबंध रद्द किया जा सकता है।

इंड ए एस के चरण-I कार्यान्वयन को ईसीजीसी अधिकारियों के पर्यवेक्षण एवं मार्गदर्शन के साथ समन्वय में निष्पादित एवं पूर्ण किया जाना चाहिए।

7. क्षति/देयता खंड

निम्नलिखित की स्थिति में सलाहकार को भुगतान की जाने वाली कुल अनुबंध मूल्य से इस प्रकार कटौती करने का अधिकार ईसीजीसी के पास सुरक्षित है:

कारण	**एक सप्ताह की देरी**	**प्रथम सप्ताह एवं उससे अधिक विलंब**
सहमत समयसीमा से परे डिलिवरेबल्स/सेवाएं प्रदान/सुनिश्चित करने में हुई देरी (सलाहकार के कारण हुई देरी)	सावधानी टिप्पण	अनुबंध मूल्य का 5%, एवं सप्ताह के हिस्से के लिए आनुपातिक रूप से। न्यूनतम 5%

ईसीजीसी द्वारा दिए गए संदर्भों का जवाब देने में अत्यधिक देरी (सलाहकार के कारण हुई देरी)	सावधानी टिप्पण	अनुबंध मूल्य का 5%, एवं सप्ताह के हिस्से के लिए आनुपातिक रूप से। न्यूनतम 5%

8. सलाहकार के उत्तरदायित्व:

सलाहकार निम्न के लिए उत्तरदायी होगा:

i. **अनुलग्नक 1 के अनुसार कार्य के प्रासंगिक दायरे** में निर्दिष्ट प्रकार एवं गुणवत्ता की सामग्री (यदि कोई हो), दस्तावेज़ीकरण, विश्लेषण, डेटा प्रोग्राम एवं यहां वितरित अथवा प्रदान की जाने वाली सेवाएं प्रदान करना।

ii. सेवाओं के संबंध में कंपनी के आंतरिक दिशानिर्देशों, निर्देशों, मैनुअल, जांच सूचियों, प्रक्रियाओं, आगे की विशिष्टताओं एवं आवश्यकताओं ("दिशानिर्देश") का अनुपालन करना, जैसा कि कंपनी द्वारा सलाहकार को लिखित रूप में प्रदान किया जा सकता है। हालाँकि, यदि दिशानिर्देशों एवं अनुबंध में निर्धारित शर्तों के मध्य कोई विरोधाभास है, तो अनुबंध में निर्धारित शर्तें प्रभावी होंगी;

iii. सेवाएँ प्रदान करने के लिए कंपनी के परिसर में तैनात अपने कार्मिकों (यदि कोई हो) का पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण करना; एवं

iv. सलाहकार को विभिन्न कानूनों, श्रम कानूनों, स्थानीय निकाय नियमों, राज्य एवं केंद्र सरकार निकाय कानूनों एवं सलाहकार पर लागू किसी भी अन्य विनियामक आवश्यकताओं द्वारा लागू किए गए वैधानिक एवं विनियामक आवश्यकताओं का अनुपालन करने की भी आवश्यकता होगी, इसे ईसीजीसी लिमिटेड एवं /अथवा इसके लेखा परीक्षकों एवं /अथवा इसके विनियामक के रिकॉर्ड हेतु प्रस्तुत किया जाएगा।

v. सलाहकार द्वारा तैनात कार्मिक सख्ती से सेवा प्रदाता की निगरानी में होंगे एवं यह सलाहकार की जिम्मेदारी होगी कि वह अपने कर्मि/कार्मिक/कर्मचारी के माध्यम से कार्य करवाएं।

vi. सेवा प्रदाता इस अनुबंध के अंतर्गत सेवाओं के निष्पादन के लिए कंपनी के परिसर में तैनात रहने के दौरान अपने कर्मियों/कर्मचारियों के सभी कार्य, गतिविधि, चूक एवं कमीशन के लिए अप्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी होगा।

vii. सेवाएँ प्रदान करने के दौरान सभी लागू कानूनों एवं विनियमों का अनुपालन करना एवं कार्य के उल्लिखित दायरे के अनुसार सेवाओं के निष्पादन के दौरान उत्पन्न होने वाली किसी भी अन्य उत्तरदायित्यों का पालन करना।

viii. **कार्य के दायरे** में उल्लिखित सेवाओं के निष्पादन के दौरान उत्पन्न होने वाली कोई अन्य उत्तरदायित्व। यह सुनिश्चित करना कि परियोजना आर एफ पी में उल्लेख की गई समय-सीमा के अनुसार समय पर पूर्ण हो।

9. कंपनी के उत्तरदायित्व

कंपनी, अपनी ओर से, निम्न के लिए उत्तरदायी होगी:

9.1 कार्य के प्रासंगिक दायरे में निर्धारित आवश्यक जानकारी, दस्तावेज़, आपूर्ति एवं ऐसी अन्य सुविधाएं प्रदान करके सेवाओं की डिलीवरी के लिए आवश्यक सहायता प्रदान करना। सलाहकार को कुशलतापूर्वक सेवाएँ प्रदान करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक अन्य सभी सामान्य कार्य किया जाना।

10. गैर-प्रकटीकरण:

10.1. कंपनी के पास सभी गोपनीय जानकारी का स्वामित्व माना जाएगा।

10.2 सलाहकार द्वारा कंपनी की गोपनीय जानकारी का उपयोग केवल इस सेवा अनुबंध के भाग के रूप में एवं इसे आगे बढ़ाने के लिए अपने दायित्वों को पूर्ण करने के लिए किया जाएगा।

10.3 सलाहकार द्वारा किसी भी प्रकार से गोपनीय जानकारी का उपयोग नहीं किया जाएगा जो प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से कंपनी अथवा उसकी सहायक कंपनियों अथवा सहयोगियों के लिए हानिकारक हो, एवं किसी भी अनाधिकृत तृतीय पक्ष को गोपनीय जानकारी का खुलासा नहीं किया जाएगा। सलाहकार द्वारा जानने की आवश्यकता के आधार पर अपने कर्मचारियों एवं सलाहकारों को छोड़कर किसी भी व्यक्ति को किसी भी गोपनीय जानकारी का खुलासा नहीं किया जाएगा, जिन्होंने ऐसी किसी भी गोपनीय जानकारी के प्रकटीकरण अथवा उस तक पहुंचने से पहले इसे शर्तों के अंतर्गत प्राप्त करने के लिए लिखित रूप में सहमति व्यक्त की गई है, प्रतिबंधात्मक हैं जैसा कि इस अनुबंध में विनिर्दिष्ट है। इस संदर्भ में, सलाहकार एवं ऐसे किसी भी व्यक्ति/व्यक्तियों के मध्य किया गया किसी भी प्रकार का समझौता करने के पश्चात यथाशीघ्र कंपनी को भेजा जाएगा। ऐसे व्यक्ति/व्यक्तियों को किसी भी गोपनीय जानकारी का खुलासा

करने से पूर्व, सलाहकार द्वारा उन्हें जानकारी की गोपनीय प्रकृति एवं गोपनीय जानकारी के प्रकटीकरण से बचने के उनके दायित्व के बारे में सूचित किया जाएगा।

10.4 सलाहकार द्वारा गोपनीय जानकारी की सुरक्षा में उतनी ही सावधानी बरती जाएगी जितनी उनके द्वारा अपनी गोपनीय जानकारी की सुरक्षा में उपयोग किया जाता है अथवा किया जाता होगा एवं गोपनीय जानकारी को किसी भी अनाधिकृत अथवा अनजाने उपयोग से बचाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।

11. अनुबंध की अवधि एवं समाप्ति

11.1. इस अनुबंध की मीयाद ..... (**"मीयाद"**), प्रभावी तिथि से प्रारंभ की अवधि के लिए होगी।

11.2 सलाहकार को चरण I की अंतिम रिपोर्ट ..... माह के भीतर प्रस्तुत करनी होगी। कंपनी द्वारा समयावधि में वृद्धि की जा सकती है।

11.3. अनुबंध के अंतर्गत उल्लंघन (भौतिक प्रकृति) अथवा इस अनुबंध के अधीन आने वाले दायित्वों वाले किसी अन्य बाद के दस्तावेज़ के मामले में, कंपनी द्वारा सेवा प्रदाता को सूचित किया जाएगा एवं कंपनी की संतुष्टि के अनुसार उल्लंघन को सुधारने के लिए अधिकतम 7 दिनों का समय दिया जाएगा। यदि कंपनी की संतुष्टि के अनुसार उल्लंघन को सही नहीं किया जाता है, तो कंपनी द्वारा विक्रेता को 15 दिन का लिखित नोटिस देकर अनुबंध समाप्त किया जा सकता है।

11.4. इस प्रकार की अनुबंध समाप्ति की प्रभावी तिथि के पश्चात की गई ऐसी किसी भी समाप्त सेवाओं अथवा किए गए व्ययों के लिए सलाहकार को भुगतान करने के लिए ईसीजीसी बाध्य नहीं होगी।

11.5. निम्नलिखित में से किसी भी मामले में इस अनुबंध को आंशिक अथवा पूर्ण रूप से समाप्त करने का अधिकार ईसीजीसी के पास होगा:

क. सलाहकार को दिवालिया घोषित कर दिया जाता है या दिवालिया हो जाता है।

ख. ईसीजीसी द्वारा यह पाया गया है कि सलाहकार द्वारा इस अनुबंध को प्राप्त करने के लिए किसी भी भारतीय/विदेशी एजेंट की सेवाओं का उपयोग किया है एवं ऐसे व्यक्ति / कंपनी आदि को कोई कमीशन प्रदान किया गया है।

ग. आपसी सहमति से।

किसी भी कारण से इस अनुबंध की समाप्ति एवं रद्दीकरण किसी भी पक्ष को इस अनुबंध में निर्धारित अथवा उससे उत्पन्न होने वाली किसी भी देयता अथवा दायित्वों से मुक्त नहीं करेगा, जो कि निष्पादित होना शेष है अथवा उसकी प्रकृति से ऐसी किसी भी समाप्ति अथवा रद्दीकरण के पश्चात लागू होने की संभावना हो। इस समझौते के अंतर्गत कार्य के दायरे को निष्पादित करने के संबंध में अपने किसी भी दायित्व को पूर्ण करने में सलाहकार की ओर से चूक के कारण किसी भी नुकसान अथवा क्षति के मामले में, सलाहकार कंपनी को ऐसे किसी भी हानि, क्षति अथवा ईसीजीसी द्वारा अन्य लागत के लिए मुआवजा दिया जाएगा।

12. क्षतिपूर्ति

12.1 चूककर्ता पक्ष अथवा उसके कार्मिक अथवा एजेंट द्वारा इस अनुबंध के उल्लंघन, लापरवाही अथवा जानबूझकर किए गए कदाचार से संबंधित अथवा उससे उत्पन्न होने वाले किसी भी अन्य सभी दायित्वों, हानियों, लागतों एवं व्ययों (उचित वकील/वकील की फीस सहित) के लिए क्षतिपूर्ति किया जाएगा, बचाव किया जाएगा एवं दूसरे को हानिरहित रखा जाएगा। हालाँकि, कोई भी पक्ष द्वितीय पक्ष अथवा द्वितीय पक्ष की ओर से किसी तृतीय पक्ष द्वारा आपूर्ति की गई किसी भी जानकारी अथवा सामग्री पर निर्भरता से उत्पन्न होने वाले किसी भी नुकसान अथवा क्षति के लिए अथवा द्वितीय पक्ष की ओर से अन्य पक्ष अथवा किसी तृतीय पक्ष को दी गई किसी भी जानकारी अथवा सामग्री में किसी भी प्रकार अशुद्धि अथवा अन्य त्रुटि के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

12.2 यहां उल्लेखित किसी भी जानकारी के बावजूद, कोई भी पक्ष किसी भी अप्रत्यक्ष, आकस्मिक, परिणामी, विशेष अथवा अनुकरणीय अथवा अन्य क्षति के लिए दूसरे पक्ष के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा, जिसमें व्यापार, लाभ, सूचना, व्यापार रुकावट एवं इस प्रकार की हानि शामिल है, परंतु इन्हीं तक सीमित नहीं है, अन्य अथवा किसी तृतीय पक्ष को इसकी शर्तों के अंतर्गत अथवा अनुसरण में, चाहे जो भी उत्पन्न हो, चाहे अनुबंध के अंतर्गत, अपकार के अंतर्गत अथवा अन्यथा, भले ही इसकी संभावना के बारे में सलाह दी गई हो।

12.3 इस अनुबंध के अंतर्गत गोपनीयता के उल्लंघन एवं बौद्धिक संपदा अधिकारों के उल्लंघन को छोड़कर, इस अनुबंध से संबंधित किसी भी क्षति, हानि, लागत, देयता के लिए प्रत्येक पक्ष की कुल देयता चाहे अनुबंध के अंतर्गत हो, अपकार हो अथवा अन्यथा, इस अनुबंध के अंतर्गत कंपनी द्वारा सेवा प्रदाता को भुगतान की गई कुल फीस, समतुल्य राशि से अधिक नहीं होगी।

13. देयता की सीमा

इस अनुबंध के अंतर्गत गोपनीयता के उल्लंघन एवं बौद्धिक संपदा अधिकारों के उल्लंघन को छोड़कर, इस अनुबंध से संबंधित किसी भी क्षति, हानि, लागत, देयता के लिए प्रत्येक पक्ष की कुल देयता चाहे अनुबंध के अंतर्गत हो, अपकार हो अथवा अन्यथा, इस अनुबंध के अंतर्गत कंपनी द्वारा सेवा प्रदाता को भुगतान की गई कुल फीस, समतुल्य राशि से अधिक नहीं होगी।

14. वारंटी

सलाहकार द्वारा एतद्वारा आश्वासन दिया जाता है कि सलाहकार द्वारा कार्य के दायरे के अनुसार सेवाएं प्रदान किया जाएगा एवं इसके दौरान, उनके द्वारा उसी स्तर की पेशेवर योग्यता, देखभाल, कौशल, परिश्रम एवं विवेक का प्रयोग किया जाएगा जैसा कि साधारणतः अपने क्षेत्र में सलाहकार के पेशेवरों द्वारा किया जाता है।

15. सरवाइवल

अनुबंध की समाप्ति से सलाहकार के अधिकारों एवं दायित्वों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा जो अनुबंध समाप्ति से पूर्व उत्पन्न हुए थे।

16. परिसमापन क्षति

16.1 सलाहकार द्वारा आर एफ पी दस्तावेजों एवं इस अनुबंध में निर्धारित निबंधन एवं शर्तों तथा सभी आवश्यकताओं का पालन किया जाएगा। निष्पादन में विलंब होने की स्थिति में, इस अनुबंध की आवश्यकताओं के अनुसार और जहां सलाहकार सम्पूर्ण रूप से उत्तरदायी है, विलंब के प्रत्येक सप्ताह

अथवा एक सप्ताह के भाग के लिए अनुबंध मूल्य का 1%, अनुबंध मूल्य के अधिकतम 10% के अधीन, निर्धारित क्षति का भुगतान करने के लिए सलाहकार उत्तरदायी होगा।

16.2 ऐसे किसी भी निर्धारित परिसमापन के हानि की क्षतिपूर्ति कंपनी द्वारा सलाहकार को किसी भी लंबित भुगतान/भविष्य में किए जाने वाले भुगतान से की जा सकती है।

16.3 लागू सभी परिसमापन क्षति एक-दूसरे से अलग होंगे। किसी भी समय कुल परिसमापन क्षति अनुबंध मूल्य के 50% से अधिक नहीं होनी चाहिए। यदि निर्धारित क्षति इस राशि से अधिक है, तो 15 दिन का लिखित नोटिस देकर इस अनुबंध को समाप्त करने अथवा अनुबंध के अंतर्गत उपलब्ध अन्य उपायों को अपनाने का अधिकार ईसीजीसी के पास सुरक्षित है।

16.4 निर्धारित क्षति की ऐसी कोई भी वसूली किसी भी प्रकार से सलाहकार को कार्य पूर्ण करने के उसके किसी भी दायित्व से अथवा इस अनुबंध के अंतर्गत किसी भी अन्य दायित्व एवं देयता से मुक्त नहीं करेगी।

17. शासित कानून एवं क्षेत्राधिकार

आर एफ पी में वर्णित बाद के अनुबंध अथवा अनुबंध के निबंधन एवं शर्तों के संदर्भ में अथवा उससे उत्पन्न होने वाले अथवा किसी भी प्रकार से संबंधित मतभेदों के किसी भी विवाद के निर्णय के लिए सिर्फ मुंबई की अदालतों के पास विशेषाधिकार होगा।

18. ईसीजीसी की छुट्टियों वाले दिनों में कार्य करना

यदि आवश्यक हो तो शनिवार / रविवार / छुट्टियों वाले दिनों में भी कार्य करने की अनुमति के लिए अनुरोध, छुट्टी की तारीख से 3 कार्य दिवस पहले संबंधित स्थान प्रमुख को प्रस्तुत किया जाना चाहिए। सलाहकार को आने वाली टीम के सदस्यों का विवरण संबंधित कार्यालयों को पहले से उपलब्ध कराना चाहिए। टीम के सदस्य द्वारा निर्धारित तिथि एवं समय पर दौरा किया जाएगा एवं मांगे जाने पर अपना पहचान पत्र / अनुमति पत्र प्रस्तुत किया जाएगा।

19. अप्रत्याशित घटना

इस अनुबंध के प्रावधानों के बावजूद, विक्रेता अपनी निष्पादन बैंक गारंटी को जब्त करने, परिसमापन क्षति अथवा चूक की समाप्ति के लिए उत्तरदायी नहीं होगा, यदि निष्पादन में विलंब अथवा अनुबंध के अंतर्गत अपने दायित्वों को पूर्ण करने में अन्य विफलता, अप्रत्याशित घटना का एक परिणाम है।

इस खंड के प्रयोजनों के लिए, "अप्रत्याशित घटना" का अर्थ सलाहकार के नियंत्रण से परे एक ऐसी घटना से है जिसमे सलाहकार की गलती अथवा लापरवाही शामिल नहीं है एवं जिसका पूर्वानुमान नहीं है। ऐसी घटनाओं में कंपनी की संप्रभु क्षमता संबंधी कार्य, युद्ध अथवा क्रांति, आग लगना, बाढ़, महामारी, संगरोधन प्रतिबंध एवं सामान ढुलाई प्रतिबंध शामिल हो सकते हैं, लेकिन ये इन्हीं तक सीमित नहीं हो सकते हैं।

यदि अप्रत्याशित घटना की स्थिति उत्पन्न होती है, तो सलाहकार द्वारा तत्काल प्रभाव से ऐसी स्थिति एवं उसके कारण के बारे में कंपनी को लिखित रूप में सूचित किया जाएगा। जब तक कंपनी द्वारा अन्यथा लिखित रूप में निर्देशित नहीं किया जाता है, तो सलाहकार द्वारा अनुबंध के अंतर्गत अपने दायित्वों का पालन करना जारी रखा जाएगा, जहां तक उचित रूप से व्यावहारिक है एवं अप्रत्याशित घटना से बाधित नहीं होने वाले निष्पादन के लिए सभी उचित वैकल्पिक साधनों का तलाश किया जाएगा।

20. संपूर्ण अनुबंध

पार्टियों के मध्य यह स्पष्ट रूप से सहमति है कि अनुबंध, प्रस्ताव के लिए अनुरोध (आर एफ पी) दस्तावेज़, उसके पश्चात जारी किया गया कोई भी परिशिष्ट अथवा शुद्धिपत्र एवं उसके पूर्ण अनुलग्नक पार्टियों के मध्य संपूर्ण अनुबंध को गठित करते हैं।

21. रॉयल्टी एवं पेटेंट

किसी भी रॉयल्टी अथवा पेटेंट अथवा उपयोग के लिए शुल्क को कीमत में शामिल किया जाएगा। सलाहकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि किसी भी इकाई के बौद्धिक संपदा अधिकारों का कोई उल्लंघन नहीं किया जाता है एवं कंपनी को किसी भी दावे से सुरक्षा प्रदान किया जाएगा।

22. बौद्धिक संपदा अधिकार (आई पी आर)

22.1 कंपनी द्वारा प्रदान किए गए सभी मैनुअल, दिशानिर्देश, दस्तावेज़ आदि को सलाहकार द्वारा गोपनीय जानकारी माना जाएगा।

22.2 सलाहकार द्वारा इस अनुबंध के संदर्भ संबंध में विकसित अथवा आपूर्ति किए गए डिलिवरेबल्स में सन्निहित कार्यप्रणाली, प्रक्रियाओं, तकनीकों, विचारों, अवधारणाओं आदि में बौद्धिक अधिकारों सहित सभी अधिकार, शीर्षक, हित बरकरार रखा जाएगा।

22.3 परियोजनाओं के दौरान सलाहकार द्वारा ईसीजीसी को प्रस्तुत किए गए रिपोर्ट, दस्तावेज एवं अन्य सभी प्रासंगिक सामग्री, कलाकृतियां आदि प्रदान किया जाएगा एवं ऐसी रिपोर्टों, दस्तावेजों तथा अन्य सभी प्रासंगिक सामग्रियों, कलाकृतियों आदि सभी प्रकार के आई पी आर का स्वामी ईसीजीसी होगा। इससे संबंधित सभी दस्तावेजों को सेवा प्रदाता द्वारा गोपनीय जानकारी माना जाएगा।

22.4 किसी भी रॉयल्टी अथवा पेटेंट अथवा उसके उपयोग अथवा उल्लंघन के लिए शुल्क जो अनुबंध में शामिल हो सकता है, कीमत में शामिल किया जाएगा। सलाहकार द्वारा किसी भी दावे से ईसीजीसी को रक्षित किया जाएगा।

23 प्रतिनिधित्व एवं वारंटी

कंपनी को सेवा प्रदाता सलाहकार को गतिविधि से संबंधित प्रमुख प्रासंगिक क्षेत्रों में कंपनी की आई एस सुरक्षा नीतियों का अनुपालन करना चाहिए, व्यापक क्षेत्र निम्नलिखित हैं:

i. डेटा एवं एप्लिकेशन की गोपनीयता एवं गोपनीयता हेतु उत्तरदायित्व।

ii. सिस्टम एवं सॉफ्टवेयर एक्सेस नियंत्रण एवं प्रशासन पर उत्तरदायित्व।

iii. सलाहकार द्वारा प्रबंधित अथवा सलाहकार को सौंपी गई कंपनी के डेटा, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर एवं अन्य परिसंपत्तियों के लिए अभिरक्षक उत्तरदायित्व।

iv. सलाहकार द्वारा प्रदान की गई सेवाओं/उपकरणों की भौतिक सुरक्षा।

v. सलाहकार के पास सेवाएँ प्रदान करने के लिए आवश्यक बुनियादी ढाँचा एवं विशेषज्ञता होने चाहिए है एवं इस अनुबंध के अनुसार कार्य प्रारम्भ करने तथा पेशेवर तरीके से अपनी सर्वोत्तम क्षमताओं के साथ सेवाएँ निष्पादित करने एवं कार्य के दायरे के अनुसार कंपनी को सेवाएँ प्रदान करने के लिए विधिवत प्राधिकृत है, कार्य किया जाता है एवं किसी भी प्रकार के संविदात्मक एवं / अथवा कानूनी प्रतिबंध के अंतर्गत नहीं है जो किसी भी प्रकार से आर्किटेक्ट द्वारा सेवाओं के निष्पादन अथवा वितरण में हस्तक्षेप कर सकता है।

vi. यह इस अनुबंध को निष्पादित एवं कार्यान्वित करने तथा इसके अंतर्गत लागू कानूनों एवं विनियमों के अनुसार अपने दायित्वों का निर्वहन करने के लिए प्राधिकृत है।

vii. इस अनुबंध के अनुसार अपने दायित्वों का निष्पादन किसी भी तृतीय पक्ष के किसी भी कर्तव्य अथवा दायित्व का किसी भी प्रकार से उल्लंघन अथवा टकराव नहीं किया जाएगा।

viii. सलाहकार द्वारा विभिन्न कानूनों, श्रम कानूनों, स्थानीय निकाय नियमों, राज्य एवं केंद्र सरकार निकाय कानूनों तथा विक्रेता पर लागू किसी भी अन्य नियामक आवश्यकताओं द्वारा लगाए गए सभी वैधानिक एवं विनियामक आवश्यकताओं का पालन किया जाएगा एवं उक्त से संबन्धित को ईसीजीसी लिमिटेड एवं / अथवा उसके लेखा परीक्षकों एवं / अथवा उसके विनियामक को रिकॉर्ड हेतु प्रस्तुत किया जाएगा।

24 नोटिस

इस अनुबंध की शर्तों के अनुसार दिए जाने वाले सभी नोटिस, अनुरोध, मांग अथवा अन्य पत्राचार लिखित रूप में उपरोक्त पते पर प्रेषित किए जाएंगे एवं एवं उक्त के प्राप्त होने पर विधिवत उपलब्ध कराए गए माने जाएंगे। नोटिस उपरोक्त उल्लेखित पतों पर इस अनुबंध के हस्ताक्षरकर्ताओं के ध्यानार्थ में अथवा ऐसे अन्य पते अथवा व्यक्तियों को भेजे जाएंगे, जिन पर पार्टियां समय-समय पर लिखित रूप में पारस्परिक तौर पर सहमत हो सकती हैं।

25 विविध प्रावधान

क. कंपनी सलाहकार द्वारा इस अनुबंध के किसी भी हिस्से को जोड़ने, परिवर्तित करने अथवा हटाने के किसी भी प्रस्ताव पर सहमत नहीं है, जब तक कि पार्टियों द्वारा अन्यथा लिखित रूप में सहमति नहीं दी जाए। सेवा प्रदाता का कोई अन्य बयान इन निबंधन एवं शर्तों में परिवर्तन, वृद्धि अथवा अन्यथा प्रभाव नहीं डालेगा।

ख. बीमा कानून (संशोधन) अधिनियम, 2015 की धारा 33(3) के प्रावधानों के अनुसार, आई आर डी ए आई चयनित सलाहकार की निगरानी में इस प्रकार के खाता बहियों, रजिस्टर, अन्य दस्तावेजों एवं ईसीजीसी द्वारा आउटसोर्स की गई डेटा बेस सेवा को सत्यापित करने के लिए प्राधिकृत है। चयनित

सलाहकार का यह दायित्व होगा कि वह आई आर डी ए आई द्वारा निर्धारित समय के भीतर आई आर डी ए आई द्वारा अपेक्षित ऐसे दस्तावेज / बयान / जानकारी प्रदान करें।

ग. बीमा कानून (संशोधन) अधिनियम, 2015 की धारा 33(4) के प्रावधानों के अनुसार, आई आर डी ए आई द्वारा यदि ऐसा करना उचित समझता है, तो किसी भी व्यक्ति को, जिसे इसके पश्चात "जांच अधिकारी" के रूप में संदर्भित किया गया है, जांच करने का निर्देश दिया जा सकता है अथवा धारा 33(1) के अंतर्गत निर्दिष्ट अथवा बीमा कानून (संशोधन) अधिनियम, 2015 की धारा 33(2) के अंतर्गत निर्दिष्ट निरीक्षण किया जा सकता हैं, जिनके द्वारा ईसीजीसी द्वारा आउटसोर्स की गई सेवाओं के संबंध में चयनित सलाहकार के किसी प्रबंधक, प्रबंध निदेशक अथवा अन्य अधिकारी की निष्ठा की जांच की जा सकती है।

घ. उपयुक्त प्राधिकारियों से किसी भी प्रश्न के उत्तर में किसी भी समय सलाहकार से अनुपस्थित / अतिरिक्त आवश्यकताओं के लिए कॉल करने का अधिकार ईसीजीसी के पास सुरक्षित है।

ङ. सलाहकार इस बात से सहमत हैं एवं वचन देते हैं कि उन्होंने हमारे प्रस्ताव / ऑफर / निविदा / बोली के प्रक्रियाकरण एवं / अथवा अनुमोदन में शामिल ईसीजीसी के किसी भी कार्मिक को सीधे अथवा किसी अन्य व्यक्ति अथवा फर्म के माध्यम से कोई ऑफर, वादा नहीं किया गया है एवं न ही करेंगे, हमारे प्रस्ताव / ऑफर / बोली / निविदा / अनुबंध के प्रक्रियाकरण एवं / अथवा अनुमोदन से पूर्व अथवा उसके दौरान अथवा उसके पश्चात किसी भी प्रकार का विनिमय लाभ प्राप्त करने के लिए निविदा / अनुबंध अथवा किसी तृतीय व्यक्ति को कोई सामग्री अथवा कोई अन्य लाभ प्रदान नहीं किया गया हैं, जिसके लिए वह कानूनी रूप से पात्र नहीं है।

च. कंपनी एवं सलाहकार के मध्य का संबंध सम्पूर्ण रूप से एक स्वतंत्र ठेकेदार का है एवं यह संबंध प्रिंसिपल-टू-प्रिंसिपल आधार पर है। इस अनुबंध में ऐसा कुछ भी नहीं हैं एवं पार्टियों के मध्य व्यवहार का कोई भी तरीका, किसी पार्टी एवं अन्य पार्टी अथवा अन्य पार्टी के कर्मचारियों अथवा ग्राहकों अथवा एजेंटों के मध्य रोजगार अथवा एजेंसी संबंध अथवा साझेदारी के लिए आधार नहीं माना जाएगा।

छ. इस अनुबंध का प्रत्येक पक्ष सभी दस्तावेजों को निष्पादित करने एवं वितरित करने तथा आगे के सभी कार्य करने एवं इस अनुबंध के प्रावधानों तथा इसके द्वारा अपेक्षित लेनदेन को पूरा करने के लिए उचित रूप से आवश्यक सभी कदम उठाने हेतु सहमत है।

ज. कार्यभार: यह अनुबंध कंपनी की पूर्व लिखित सहमति के बिना सेवा प्रदाता द्वारा नहीं सौंपा जाएगा।

झ. प्रभावशीलता: यदि इस अनुबंध का कोई भी प्रावधान अमान्य, अवैध अथवा अप्रवर्तनीय माना जाता है, तो ऐसे प्रावधान को अनुबंध से हटा दिया जाएगा एवं इस अनुबंध के शेष प्रावधान सम्पूर्ण रूप से लागू एवं प्रभावी रहेंगे।

ट. छुट: किसी भी पक्ष की ओर से इसके अंतर्गत किसी भी अधिकार का उपयोग करने में विफलता अथवा विलंब करने पर उसकी छूट नहीं मानी जाएगी, न ही कोई एकल अथवा आंशिक प्रयोग ऐसे अथवा किसी अन्य अधिकार के किसी भी आगे अथवा अन्य प्रयोग को रोकेगा।

ठ. लागू स्टांप शुल्क दोनों पक्षों द्वारा समान रूप से साझा किया जाएगा।

अनुबंध की मूल प्रति ईसीजीसी के पास रखी जाएगी एवं डुप्लिकेट प्रति सेवा प्रदाता को सौंपी जाएगी।

कंपनी एवं सलाहकार दोनों इस प्रकार के एवं अन्य दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करेंगे, ऐसी बैठकें आयोजित करेंगे, प्रस्ताव पारित कर निष्पादित करेंगे एवं करवाएंगे एवं ऐसे आगे एवं अन्य कार्यों तथा मामलों को निष्पादित करेंगे जो आवश्यक हो सकते हैं अथवा इस अनुबंध एवं उसके प्रत्येक हिस्से को सम्पूर्ण रूप से प्रभावी होने के लिए वांछनीय है।

इनके साक्ष्य में, पार्टियों द्वारा यहां उपरोक्त निर्धारित दिन एवं तिथि में भाग लेकर इस अनुबंध पर अपने हस्ताक्षर किए गए है।

कृते एवं पक्ष में	**कृते एवं पक्ष में**
ईसीजीसी लिमिटेड	**"सेवा प्रदाता"**
उपरोक्त "कंपनी"	**उपरोक्त "सेवा प्रदाता"**
इसके प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के माध्यम से	**इसके प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के माध्यम से**
_____	_____
नाम :	**नाम :**
पदनाम :	**पदनाम :**

गवाह:

1. 2